खण्ड-216, अंक-5
शुक्रवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(2 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीरामगुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिरपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल, अवस्थी, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती

राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन, मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुवामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महाबीर सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

झांसी नगरपालिका से संबंधित चुंगी की चोरी का मामला

**१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका की चुंगी की चोरी का मामला कितने वर्षों से और आजकल किस जिले की किस अदालत में विचाराधीन है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--यह मामला लगभग ३ साल से चल रहा है। आजकल यह कानपुर जिले में श्री आर० बी० सरन, जुडीशियल मजिस्ट्रेट, की अदालत में विचाराधीन है।

**२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें नगरपालिका के कितने सदस्य, कर्मचारी तथा अन्य कितने लोग मुलजिम हैं व उनके क्या नाम हैं ?

श्री जयराम वर्मा--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

**३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त नगरपालिका का हिसाब रखने के लिये कोई एकाउण्टेण्ट नियुक्त करके भेजा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, नगरपालिका झांसी की स्थिति को देखते हुए यह उचित समझा गया कि नगरपालिका में एक लेखाधिकारी नियुक्त किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह मामला इतने साल से चल रहा है, तो फौजदारी के मामले में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, यह मामला दो बार हाई कोर्ट में जा चुका है, इसलिए देर हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह कानपुर की अदालत में कब से आया है और इस समय यह किस स्टेज पर है ?

श्री जयराम वर्मा---यह सन् १९५८ में यहां पर आया। पहले एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में,वहां पर हाई कोर्ट में उनकी अपील करने के कारण, आया था लेकिन फिर उन लोगों ने उस अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा मुकदमा यहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय। लेकिन उनकी दरख्वास्त खारिज हो गयी। फिर उन लोगों ने रिवीजन किया। हाईकोर्ट ने रिवीजन को खारिज कर दिया है। वह मुकदमा फिर वहां पर आ गया है लेकिन इस बीच में जिस अदालत के सामने मुकदमा था उनका ट्रान्सफर हो गया है, दूसरे आदमी उस को देख रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---चुंगी की चोरी का मामला चल रहा है, तो इसका कैसे पता चला ?

श्री जयराम वर्मा---कुछ मेम्बरों ने इसके बारे में शिकायत की थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस नगरपालिका के कितने सदस्यों पर मुकदमा चलाया जा रहा है और उन सदस्यों के पद क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, सूची दी हुई है। यदि आप चाहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---अगर आप चाहें तो पढ़ दें।

श्री जयराम वर्मा---राधा मोहन खत्री, भगवानदास साहू, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल तथा रामनारायण वर्मा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नगरपालिका के सदस्यों तथा कर्मचारियों पर किन किन दफाओं में मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---१२०-बी, ४६५, १०९, ४२०, ४७१, ६६८-आई० पी० सी०।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---प्रश्न नं० ३ से सम्बन्धित जो एकाउण्टेण्ट बताया गया ो क्या वहां की नगरपालिका का अपना एकाउण्टेण्ट नहीं था और अगर था तो दूसरा ए काउण्टेण्ट क्यों भेजा गया है ?

श्री जयराम वर्मा---वहां के एकाउण्टेण्ट की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी इसलिये उसको सुधारने की दृष्टि से एक आदमी वहां से भेजा गया।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिन सदस्यों पर मुकदमा चल रहा है वे अपने पद से मुअत्तल हैं ?

श्री जयराम वर्मा---मुअत्तली की जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि मुअत्तल जरूर हो गये होंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---नगरपालिका के कर्मचारियों तथा सदस्यों पर मुकदमा चल रहा है तो क्या कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और सदस्यों को सदस्यता से पथक कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---इस वक्त नहीं बतला सकेंगे। उनको मालूम नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो एकाउण्टेंण्ट मुकर्रर हुए हैं वह उस जगह जो एकाउंटेंट काम कर रहे थे उनको हटा कर मुकर्रर किये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जो बतलायेंगे कि जो एकाउण्टेण्ट भेजा गया है वह पहले वाले की जगह पर भेजा गया है या वह भी काम कर रहा है और यह भी काम कर रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है कि पहले वाला काम कर रहा है या नहीं ।

नियंत्रित मूल्य से अधिक पर चीनी बेचने की शिकायत

****४---श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आवश्यकता से अधिक चीनी उत्पन्न होने के बाद भी नियंत्रित मूल्य पर चीनी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। चीनी पर्याप्त मात्रा में नियन्त्रित मूल्य पर, चीनी की Fair Price shops पर उपलब्ध है।

श्री गेंदासिंह---क्या उत्तर प्रदेश का खाद्य मंत्रालय, प्रतिदिन अखबारों में चीनी का रेट छपता है कि ४० रुपये प्रति मन से कम नहीं है जब कि ३७.८५ प्रति मन के हिसाब से बिकनी चाहिये, इस पर मंत्री जी का ध्यान जाता है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक एक्स-फैक्टरी प्राइस निर्धारित करने का प्रश्न है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हमारा नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि समूची चीनी जो मिलों में बनती है उस पर नियंत्रण है और केन्द्रीय सरकार की तरफ से चीनी बटवाने के लिये नियंत्रित मूल्य पर मिलती है और राज्य सरकार के जिम्मे यह काम है तो फिर २० आने या १९ आने सेर बिकने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमारे यहां चीनी का कोटा २५-हजार टन का है जो नियंत्रित मूल्य पर आती है और इससे बेशी नहीं लिया जाता है और बाजार में भी उसी भाव पर बिक रही है, जो हमारा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मन्त्री जी ने कोई ऐसा पत्र व्यवहार किया है जिसमें केन्द्र का ध्यान दिलाया गया है कि ऐक्स फैक्टरी प्राइस और कंट्रोल प्राइस अलग-अलग हैं, इसलिये निर्धारित कीमत पर चीनी नहीं मिल रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है २५ हजार टन स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है और उसी रेट पर लेती है जिस पर भारत सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है। इसलिये प्रश्न नहीं उठता है कि वह ज्यादा क़ीमत पर बेच रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि शादी विवाह के अवसर पर लोगों को परमिट लेना पड़ता है जिसका कारण यह है कि नियंत्रित भाव पर चीनी नहीं मिल पाती ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे खयाल से इसमें भ्रम है। हमारा जितना कोटा है उसमें से तीन सेर फी यूनिट देने के बाद भी १७ हजार टन से ज्यादा चीनी नहीं उठाई जाती है। चीनी लोग उठाते नहीं हैं और चीनी निर्धारित मूल्य पर मिल रही है।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब लोग चीनी उठाते नहीं हैं और फालतू है तो फिर बाजार में २० आने सेर क्यों बिकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे अफसोस मालूम होता है। जो खरीदते हैं, हमारे यहां उनको ठीक भाव पर मिलती है। आप सब से कहें कि लोग हमारे यहां से खरीदें। श्रीमन्, इस समय तो क्यू भी नहीं लगता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मंत्री जी ने बताया कि चीनी बहुत है और इस साल ३ लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है, तो क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखेगी कि चीनी का डिकंट्रोल कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, ऐसे समय पर जब डिकंट्रोल हो जाता है तो लोग होर्ड कर के स्केअरसिटी पैदा कर देते हैं और सचमुच में उस समय बीस आने सेर बिकने लगेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार एक्स फैक्टरी प्राइस तय कर देती है, उस पर चीनी बिक रही है या ज्यादा पर बिक रही है, इस पर ध्यान देना और नियन्त्रण करना यह राज्य सरकार का काम है या नहीं, और अगर है तो राज्य सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, और राज्य सरकार पूरी तरह से उसका पालन कर रही है। एक्स फैक्ट्री प्राइस पर सिर्फ ऐक्चुअल ट्रांसपोर्ट चार्जेज रेल या रोड का और आक्ट्राय ड्यूटी उनको देने के बाद १ रुपया २ नये पैसे पर ही हम चीनी बिकवा रहे हैं और यह क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ए, बी, सी, इस तरह से दो दो पैसा और बढ़ जाता है, लेकिन भाव १ रुपया २ नये पैसे का होई और मैं आप से कहूंगा कि आप सलाह दें लोगों को कि वह ख्वाम-ख्वाह मुंड़ने के लिए वहां क्यों जाते हैं ?

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लखनऊ में राशन शाप पर साढ़े सोलह आने सेर का भाव है और खुले बाजार में चीनी १ रुपये २ आने के भाव पर बिक रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, नियंत्रित मूल्य ३७·८५ न० पै० है और कानपुर का बाजार-भाव जो अखबारों में निकलता है वह है ४१ रुपये। तो माननीय मंत्री जी का यह कथन कहां तक संगत है कि जितनी चीनी लोगों को चाहिये, वह उचित मूल्य पर मिल रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---दो दो, तीन तीन सौ दूकानें एक एक बाजार में खुली हैं और वहां १ रुपये २ से पर डी-२९, जिसका जिक्र आपने किया, उपलब्ध है। फिर अब ख्वाम-ख्वाह कोई बाजार में जावे तो मैं क्या करूं ?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि प्रश्न तो यह चल रहा है, एक सूचना मांगी जा रही है कि जो बाजार दर अखबार में निकलता है, वह ४१ रुपये है तो उस पर तो माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं कि वह बयान सही है या गलत है, वह कहते हैं कि हमारी दूकानों पर आ जाओ, तो यह कोई मजाक की बात तो है नहीं .....

श्री अध्यक्ष---मेरी समझ में यह तो आपको सिद्धान्त मालूम होना चाहिये कि 'मौनम् सम्मति लक्षणम्'। एक बात तो यह है और दूसरी बात यह कि वह कहते हैं कि अगर बाजार में मंहगी बिकती है तो वहां लोग क्यों लेने जाते हैं, हमारी दूकान पर जांय, वहां से लें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो एक्स-फैक्टरी प्राइस केन्द्रीय सरकार ने तय कर दी है उससे ज्यादा बेचना जुर्म है, जो लोग ४० या ४१ के भाव अखबारों में कोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे पता चला है निजी तौर पर बाजार में १ रुपये १ आने सेर बिक रही है। दो पैसे ज्यादा ले रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम इतनी मात्रा में लोगों को दे रहे हैं कि उनके यहां शायद फालतू बच जाती है और वह उसको दे देते हैं। उधार खरीदकर खाने वाले उसको उन दूकानों से खरीद लेते हैं दो पैसे और ज्यादा देकर के। जहां तक पालीवाल जी का प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं कि हमारे यहां यू० पी० के अन्दर २५ हजार टन का हमारा कोटा है। कोई भी फैक्ट्रीवाला उसके खिलाफ बेच नहीं सकता है और कहीं पर उसकी रसीद नहीं मिलती। पिछली दफा भी यह बात आयी थी तो मैंने कहा था कि रसीद लाकर दिखायें, तो रसीद नहीं मिलती। वह कहते हैं कि कीमत तो वह ले लेते हैं लेकिन रसीदें नहीं देते। मैंने पिछली दफा भी कहा था और रसीदें मांगी थीं, लेकिन कोई उसका प्रमाण नहीं मिलता है। ४० का कहीं भाव नहीं है। अखबारों में तो हमारा कोई भाव रहता है कोई छप जाता है, इसलिये अखबारों पर विश्वास करना ठीक नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब माननीय मंत्री जी को निजी तौर से जानकारी है कि चीनी दो पैसे सेर ज्यादा के भाव से बिक रही है तो उसको रोकने का क्या उपाय उन्होंने किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसके लिये उपाय यह किया है कि १।। सेर से ३ सेर तक फी यूनिट हमने जिलों में कर दिया है। दूसरे देहाती क्षेत्रों में दो अदालती पंचायतों पर एक दूकान खोल दी है। तीसरे यह है कि जहां हम दूकानदारों से २०० रुपया सिक्योरिटी लेते थे अब ५० रुपया देहाती क्षेत्र के लिये कर दिया है जिससे अधिक से अधिक दूकानें खुल जांय और वे ज्यादा से ज्यादा ले लें।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने दारुलशफा में रहने वाले छोटे कर्मचारियों के लिये एक दूकान खोलने के लिये कहा था, वह आज तक नहीं खुली तो वह कहां पर चीनी लेने जांय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

वनस्पती घी में रंग न दे सकना

****५—**श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति घी को रंगने की जो योजना सन् १९५७ में सरकार के विचाराधीन थी उसमें अब तक सरकार को कहां तक सफलता प्राप्त हो चुकी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अभी तक कोई उपयुक्त रंग प्राप्त नहीं हुआ है।

****६—**श्री शिवप्रसाद नागर—न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनस्पति घी को रंगने के सम्बन्ध में कोई सलाह अन्य देशों के वैज्ञानिकों से ली गई है या ली जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कोई रंग वनस्पति घी में मिलाने के लिये किसी ने प्रस्तुत ही नहीं किया या कोई नमूना पेश किया गया और उनमें कोई रंग उपयुक्त नहीं निकला ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—नमूने जांच करने पर उपयुक्त साबित नहीं हुए ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दालदा में मिलाने के लिये रंग प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई पुरस्कार घोषित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—सन् १९५० में १० हजार रुपये का इनाम था । उसको बढ़ाकर २५ हजार रुपया इनाम कर दिया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दालदा में रंग मिलाने के लिये अभी तक उपयुक्त रंग प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये गये ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—लोगों को हमने बतला दिया कि जो इनाम लेना चाहे ले ले ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान रखते हुए कि अपने देश में सरकार को अभी तक ऐसा रंग कोई नहीं मिला है जिसको दालदा में मिला कर शुद्ध घी से उसका भेद किया जा सके स्थायी रूप से, सरकार विदेशी विशेषज्ञों से राय क्यों नहीं ले रही है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—यह २५ हजार रुपये का इनाम सब के लिये है और दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार का ही विदेशों से सम्बन्ध रहता है । अगर वह इसको करे तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि दालदा का पैदा करने वाला जो देश का पूंजीपति है उसने इस मामले में बड़ा जोर लगाया है जिससे कोई रंग नहीं मिलता केन्द्रीय सरकार स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर भी ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—जहां तक प्रदेशीय स्तर का ताल्लुक है, वह मैं कहता हूं कि बिलकुल गलत है । वहां के लिये भी मुझे गलत मालूम होता है । अगर हमारे मित्र को कोई इत्तला हो तो वह बतलायें ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया इसकी सम्भावनाओं पर जांच करने की कृपा करेंगे कि हल्दी एक निर्दोष रंग है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । और उस रंग को मिलाने की योजना पर वह विचार करेंगे ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—हल्दी की आजमायश हुई है लेकिन मामला चला नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जब तक यह दालदा में रंग न मिलाया जाय तब तक शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध घी मिलने के लिये सरकार कोई उपाय बतलायेगी ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—आप भैंस पालिये और घर का घी बनाकर खाइये ।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं, श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह जानते हुए कि घी के एडल्ट्रेशन में इस तरह दालडा का इस्तेमाल होता है, रंग खोजने के लिये एक लम्बी रकम इनाम के तौर पर देने के बजाय अपनी अनुसंधानशालाओं में उसके लिये प्रयोग क्यों नहीं करती ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—हम ने तो स्कोप बढ़ा दिया है कि जो भी रंग बतलाये हम उसे मानने के लिये तैयार हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस प्रकार की रिपोर्टें आयी हैं कि इस दालडा से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट तो नहीं आयीं, लेकिन हमाशुमा से सुनता रहता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—उन्होंने यह फरमाया कि हमने स्कोप बढ़ा दिया, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था कि अपनी अनुसंधानशालाओं में प्रयोग क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब उत्तर से स्पष्ट हो गया कि उनकी अनुसंधानशालायें भी नाकामयाब रही हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फूलों के रंग ऐसे होते हैं कि जो फायदेमंद होते हैं और अच्छे होते हैं, इससे वेजीटेबिल की कदर भी बढ़ेगी और खुसबू भी उसमें आयेगी, इसलिये क्या सरकार उनके लिये विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप समझ गये हों तो उत्तर दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—खाली मैं 'फूल' समझा और कुछ नहीं ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को यह मालूम है कि १९३९ में नार्थ वेस्ट फ्रांटियर प्राविंसेज में घी कलराइजेशन ऐक्ट पास हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुमकिन है कि पास हो गया हो, मुझे याद नहीं ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार को यह रहस्य मालूम है कि जिन रासायनिक विधियों से घी का रंग दूर किया जा सकता है, रंग दूर करने के बाद उनमें घी का स्वाद नहीं रह जाता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो न वैद्य हूं और न डाक्टर, ले–मैन हूं, कैसे बतलाऊं ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो नमूने उनके पास आये, वे किसके द्वारा भेजे गये थे और उनका परीक्षण किस के द्वारा कराया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह लिस्ट २५६ की है, लेकिन हमारे पब्लिक एनालिस्ट जो हैं उनके जरिये परीक्षण हुआ है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो रंग के नमूने भेजे गये हैं वह सीधे-सीधे मंत्री जी के पास भेजे गये हैं या किसी और विशेषज्ञ के सामने पेश किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक, दो ने मेरे पास भेज दिये थे और उनको हमने पब्लिक एनालिस्ट के पास भेज दिया, बाकी ने उन्हीं को पेश किये ।

सूचना विभाग द्वारा कैलेंडरों का प्रकाशन

****७—श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से एक कलेण्डर शक १८७९ चैत्र, अप्रैल, १९५७ और दूसरा कलेण्डर शकाब्द १८८० मार्च, अप्रैल, १९५८ प्रकाशित हुए ? यदि हां, तो प्रत्येक कलेण्डर कितनी–कितनी संख्या में छापे गये ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां ।

शक संवत् १८७९ तथा १८८० कलेण्डर क्रमशः २०,००० तथा ११,००० की संख्या में छपवाये गये ।

**८—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त दोनों प्रकार के कलेण्डरों की छपाई में अलग-अलग कितना-कितना धन खर्च हुआ और उनसे सरकार को कितनी-कितनी आय हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—शक संवत् १८७९ तथा १८८० कलेण्डरों पर क्रमशः रु० ३३,४५०-८७ न० पै० तथा रु० ८,४८९-१२ न० पै० का व्यय हुआ और उनकी बिक्री से क्रमशः रु० ८,३५२-०५ न० पै० तथा रु० १,७१७-६४ न० पै० की आय हुई ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े दिये हैं जवाब में उनसे ४१,९३९ रुपये ९९ नये पैसे कुल लागत बैठी, जिसमें १०,०६९ रु० ६९ नये पैसे की बिक्री हुई और ३१,८७० रुपये ३० नये पैसे का घाटा हुआ है । इस घाटे के मुताल्लिक सरकार के पास क्या सूचना है कि यह कैसे पूरा किया जायगा ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यह घाटा और मुनाफा के विचार से छापा ही नहीं गया था । यह विचार नहीं था कि इससे कुछ मुनाफा कमाया जाय । भारत सरकार ने शक संवत् मंजूर किया और उसका प्रचार करना था और प्रचार करते हुए हमने इतना वसूल कर लिया । इसके लिये हमें धन्यवाद मिलना चाहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या यह सही है कि इन कलेण्डरों को छपाने से पहले जो छपाने की आज्ञा मांगी गयी थी उसमें विभाग की ओर से कलेण्डरों को बेच कर पूरा पैसा अदा करने का कोई आश्वासन दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब हम बेच रहे हैं तो चेष्टा इस बात की की जाती है कि हमारी बिक्री हो जाय । लेकिन एक एक पैसा इससे वसूल किया जायेगा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

न्यायालयों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट

**९—श्री प्रतापसिंह—न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अदालतों में में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिये जो श्री मुकर्जी कमीशन की नियुक्ति की गयी थी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है ? यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, मुकर्जी कमेटी की फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

**१०—श्री प्रतापसिंह—क्या उपरोक्त कमीशन ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी सरकार को दी है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कमेटी ने एक अन्तरिम रिपोर्ट सी० पी० सी० में संशोधन के सुझाव देते हुए सरकार को भेज दी है । माल और फौजदारी अदालतों से सम्बन्धित अन्तरिम रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुकर्जी कमीशन ने जो अंतिम रिपोर्ट सी० पी० सी० की दी है वह कितनी धाराओं में दी है और उनमें प्रमुख धारायें कौन-कौन सी हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मुख्य-मुख्य धारायें बता दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनमें हैं—सेक्शन ४२, सेक्शन ८०, आर्डर ६ रूल ५, आर्डर १०, रूल २, आर्डर १४-ए, आर्डर १६ रूल १, आर्डर १७ रूल १, आर्डर १८ कुल ५, आर्डर १८ रूल ८, आर्डर २० रूल १, आर्डर २० रूल ७, आर्डर २१ रूल २....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप इसे खत्म कर दें, इससे कोई बात किसी की समझ में नहीं आ रही होगी, मैं सदस्यों के दिमाग को टैक्स नहीं करना चाहता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगी (फिर कहा) बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन की पूरी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा कि प्रश्नकर्त्ता महोदया ने कहा है, रिपोर्ट जल्दी ही आ जायेगी। (हंसी)

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, इसमें कोई एमेण्डमेण्ट किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम फौजदारी और माल के प्रोसीजर के सम्बन्ध में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जब वह आ जायेगी तब देखा जायेगा।

सचिवालय के लिये स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा

११—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह निकट भविष्य में सरकारी सचिवालय के लिये जो स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा करा रही है उसमें क्या हिन्दी तथा अंग्रेजी शार्टहैण्ड की परीक्षा क्रमशः १०० तथा १२० शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो इस अंतर का क्या कारण है ?

**१२—क्या सरकार हिन्दी की अधिक महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए लोक सेवा अयोग से यह निवेदन करेगी कि उक्त परीक्षा में दोनों की स्पीड बराबर रखी जाय ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, अंग्रेजी आशुलिपि की अपेक्षा हिन्दी आशुलिपि का सीखना अधिक कठिन है। अतः दोनों अशुलिपियों में समान गति से कार्य करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का मिलना सम्भव नहीं है। इसलिये दोनों की गति में अन्तर रखना आवश्यक है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले कितनी स्पीड से परीक्षा होती थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय यह है, पहले क्या थी मुझे पता नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी की स्पीड ज्यादा रखी जाने से अंग्रेजी को कम प्रोत्साहन मिले, यह उनका खयाल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य के सवाल का मतलब क्या था वह खुद समझते होंगे, लेकिन हमारी नीति यह है कि हमें हिन्दी के मिलने चाहिये। अगर हम यह शर्त कर देंगे कि अंग्रेजी की तरह हिन्दी के भी १२० स्पीड के हिसाब से लिखें तो बहुत कम हिन्दी वाले मिलेंगे। हिन्दी वाले काफी मिल सकें इसलिये हमने हिन्दी वालों के लिये रियायत कर दी है और हम १०० शब्द प्रति मिनट हिन्दी लिखने वालों को लेने के लिये तैयार हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि जो अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षण हुए हैं जिनमें अबतक की जानकारी के अनुसार हिन्दी के अशुलिपिकों ने अच्छी स्पीड नहीं दी है। उसका कारण यह रहा है कि जो डिक्टेशन बोला गया है वह संस्कृताइज्ड हिन्दी में बोला गया है, सामान्य हिन्दी में नहीं, इसलिये स्पीड अच्छी नहीं आ पायी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं जानना तो नहीं, लेकिन आशा करता हूं कि जो हमारे यहां हिन्दी का काम करेंगे वह अच्छी हिन्दी जानेंगे और उसमें संस्कृत शब्द जरूर होंगे ।

नौतनवां में तिब्बती शरणार्थियों के कारण आतंक

****१३—श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि इधर डेढ़ महीने से तिब्बती जवान हजारों की संख्या में गोरखपुर जिले के नौतनवां कस्बे, स्टेशन व देहातों में पड़े हुये हैं तथा वहां की जनता में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं और लोग आतंकित हैं ?

***१४**—यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह लोग वहां देहातों में व स्टेशनों पर क्यों पड़े हुये हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ समय से तिब्बती शरणार्थी कभी-कभी गोरखपुर जिले के नौतनवा कस्बे से होकर नैपाल आते जाते रहे हैं किन्तु गत माह में लगभग ४०० ऐसे शरणार्थी जो भारत में आये हुए थे, भिन्न भिन्न स्थानों से नौतनवा आये पर किसी कारणवश नैपाल नहीं गये और उन्हें कुछ समय के लिये नौतनवा तथा सोनौली कस्बों में रुक जाना पड़ा । अब इनमें से अधिकांश शरणार्थी वहां से चले गये हैं और जो शेष हैं उनको भी दूसरी जगहों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

शरणार्थियों के यकायक इतनी अधिक संख्या में आ जाने से स्थानीय जनता कुछ चिन्तित अवश्य हो गई थी किन्तु किसी अवांछनीय घटना की सूचना सरकार को नहीं मिली है फिर भी समुचित पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया था और स्थिति सब प्रकार से ठीक है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शरणार्थी जिनको वह कह रहे हैं वह बिला बाल-बच्चों के हैं और सभी फौजी सिपाहियों की हैसियत से आकर पड़े हुए हैं, देहातों में इधर-उधर बिखरे हुए हैं । उनकी भाव-भंगी से पता चलता है कि वह किसी भेदिये के काम के लिये डेप्यूट किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा खयाल नहीं है कि किसी काम के लिये भेजे गये हैं । परिवार तो उनके नहीं हैं, लेकिन २४ अगस्त, १९६० तक २५७ शरणार्थी चले गये थे और १४६ रह गये हैं, वह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि भेज दिये जायं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मंत्री जी की जो सूचना है वह केवल स्टेशन के प्लेटफार्म की है । बोर्डर के देहातों में छप्परों के नीचे वह पड़े हुए हैं । हमारी बात तो वह सब समझते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बात पूछी जाती है तो कहते हैं कि बोल नहीं सकते । उनकी भाव-भंगी से पता चलता है कि वह नैपाली और हिन्दी जानते हैं, लेकिन वह किसी बहाने से छिपाते हैं । मैं तारीख २० को खुद होकर आया हूं । तो माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सब बातें मालूम हैं, उन पर पूरी निगाह रखी जा रही है और उसकी व्यवस्था भी की जा रही है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भी तिब्बती शरणार्थी आये हुये हैं, क्या कठिनाई है सरकार के सामने कि उन्हें जल्दी तिब्बती शरणार्थियों के कैम्प में नहीं भेजा जाता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—भेजे जा रहे हैं । जो अगस्त में आये उनमें से तीन चौथाई भेजे गये । थोड़े रह गये हैं, वह भी तुरन्त या तो शरणार्थी कैम्प में भेज दिये जायेंगे या जिस स्थान से आये हैं वहां भेज दिये जायेंगे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि २४ अगस्त तक जो शरणार्थी वहां आये वह कहां से पहले-पहले वहां आये ?

श्री रामस्वरूप यादव—असल में नैपाल की ओर से भी आये और दूसरे कैम्पों से भी चले आये और हमारे यहां और जगह जो बार्डर हैं उनसे भी चले आये ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि जो शरणार्थी कहे जाते हैं उनमें ९० प्रतिशत से अधिक सिपाही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि सरकार इस मामले में सतर्क है, इससे ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामायणराय—क्या सरकार को मालूम है कि इन शरणार्थियों के पास आग्नेय अस्त्र प्रचुर मात्रा म विद्यमान हैं और जनता के भयभीत होने का एक यह भी कारण ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर थोड़े से शरणार्थी आ जायं और जनता उनसे भयभीत हो जाय तो हमारे लिये गौरव की बात नहीं है ।

उत्तराखंड की अर्थ–व्यवस्था सुधार योजना

****१५—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री उत्तराखंड के विकास की उस योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिसका जिक्र उन्होंने दिनांक २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के लिखित उत्तर में किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि दिनांक २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर में स्पष्ट किया गया था इस योजना में कई विभागों की योजना सम्मिलित है । इन योजनाओं पर जो ४९८.९० लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव था उसका संक्षिप्त विभागवार ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०३ पर ।)

****१६—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कमिश्नर उत्तराखंड (चीफ सेक्रेटरी यू० पी०) तथा अतिरिक्त कमिश्नर उत्तराखंड को इस सदन के करीब ४० सदस्यों का एक पत्र व नक्शा उत्तराखंड की सड़कों, जैसे बड़छीना-बेरीनाग आदि बनाने के बारे में मिला ह । अगर हां, तो क्या मुख्य मंत्री उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, । पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०४–४०६ पर ।)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ४९८.९० लाख रुपये खर्च करने की योजना सरकार ने बनायी है उसमें आर्थिक महत्व की बिचौलिया सड़कों के लिये ६० लाख रुपया ही रखा गया है और मकान और बंगले वगैरह बनाने के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके महत्व को देखते हुए ६० लाख रुपये की रकम को भी बढ़ाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सड़कें महत्व की हैं उनका चयन भारत सरकार का सैनिक विभाग, दूसरे विभागों तथा प्रदेशीय सरकार की राय से होता है, उनके लिये रुपये की कमी नहीं है लेकिन जहां तक मकानों वगैरह की बात है, जाहिर बात है कि जबे वहां पर नये जिले कायम किये गये तो वहां पर मकानों की जरूरत पड़ेगी ही जिसमें कि दफ्तर और कर्मचारी वगैरह रह सकें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४० विधायकों ने उस क्षेत्र के नक्शे वगैरह बनाकर, कि वहां पर किस प्रकार से निर्माण-कार्य हो, माननीय मुख्य मंत्री जी को जो पत्र भेजा है उस पर कुछ विचार किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, खूब विचार किया है और अब भी विचार कर रहा हूं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उनको भी विदित है कि वहां पर उद्योगों को बढ़ाने के लिये १६.६५ लाख रुपया रखा गया है परन्तु दूसरी चीज जिसको कि वह खुद तसलीम करते हैं कि वहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सूचना विभाग के लिये ३.०३ लाख रुपया ही रखा गया है इतनी कम रकम रखने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खाली सूचना विभाग ही जरूरी नहीं है, अगर हम वहां पर उद्योग की कोशिश न करें, पशुपालन की कोशिश न करें तो सूचना विभाग क्या हवा में काम करेगा ? इसी कारण से और विभागों के लिये ज्यादा रखा गया और सूचना विभाग के लिये कम रखा गया ।

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।)

बोर्ड की परीक्षा में मेरठ जिले के विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोकना

*१---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)---क्या यह सही है कि श्री गांधी जनता स्मारक इंटर कालेज, पतला, मेरठ की १०वीं कक्षा, (विज्ञान) के ५४ छात्रों में से केवल ५ का परीक्षाफल घोषित किया गया, ४९ का रोक लिया गया और बाद में उन पांच का भी रोक लिया गया, जिससे सभी ५४ विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी हां ।

*२---**आचार्य दीपंकर**---क्या यह भी सही है कि अकेले मेरठ जिले में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के करीब ४०० विद्यार्थियों के लिये परिणाम रोक लिये गये हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---१९६० की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा में मेरठ जिले के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोक गये हैं ।

*३---**आचार्य दीपंकर**---यदि हां, तो क्या सरकार उनके परीक्षा परिणामों की अविलम्ब घोषणा करवाने की कृपा करेगी ताकि छात्रों के अध्ययन-कार्य की हानि न हो ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---परीक्षाफल शीघ्रातिशीघ्र घोषित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

आचार्य दीपंकर---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह ३४६ विद्यार्थी किन-किन संस्थाओं के हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

आचार्य दीपंकर---जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि यह परीक्षाफल जल्दी से जल्दी घोषित कर दिये जायेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों में उसकी उम्मीद की जाय क्योंकि शिक्षा के वर्ष के दो माह वैसे ही गुजर चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जैसा कि कहा गया, शीघ्रातिशीघ्र घोषित करने की चेष्टा की जायगी । चूंकि इसमें प्रोसीजर लम्बा होता है इसलिये कुछ विलम्ब भी हो जाता है । एक प्रश्न परसों किया गया था और उसके लिये बुधवार को समय भी रखा गया है उस समय वक्तव्य भी दिया जायगा । असल में जब इसकी इंक्वायरी हो लेती है तब फिर परीक्षा समिति के सामने यह जाता है । परीक्षा समिति की जब रिकमेण्डेशन हो जायगी तो उस पर बोर्ड और अगर बोर्ड न रहा तो अध्यक्ष, शिक्षा परिषद् की स्वीकृति लेकर चार्जशीट भेजी जाती है, जिसके खिलाफ कार्यवाही करनी होती है । हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक चार्जशीट लगायी जाती है । जब उसका उत्तर आ जाता है तो वह परीक्षा समिति के सामने जाता है, तब अंतिम रूप से उस पर निर्णय होता है । जहां तक मेरी इत्तला है इण्टरमीडियेट की जांच हो चुकी है, हाई स्कूल की शिकायतों की जांच थोड़ी बाकी है । आशा की जाती है कि एक-आध महीने में सब परीक्षाफल निकल जायेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस बात को देखते हुए कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक लिया जाता है, उनका परीक्षाफल आते आते वर्ष करीब करीब खत्म हो जाता है, क्या माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन करेंगे जिससे जांच शीघ्र हो जाय और विद्यार्थियों का परीक्षाफल निष्फल न हो जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला इण्टरमीडियेट बोर्ड का है । माननीय सदस्य जीवनपर्यन्त अध्यापक रहे हैं, वे कोई सुझाव दे सकें तो दें, हम उनके पास भेज देंगे । जहां कहीं सामूहिक नकल हो जाती है और प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि नकल हुई है तो उसमें यह देखना होता है कि नकल कराने में कौन-कौन शरीक थे, यानी अध्यापकों ने नकल करायी, मैनेजमेंट ने नकल करायी ? इसकी जांच-पड़ताल होने के बाद जवाब तलब होता है । उनका जवाब आने पर फैसला होता है । यह सब हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार होता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेरठ में जिस प्रकार से ३५० छात्रों का परीक्षाफल रोका हुआ था उसी प्रकार से प्रदेश के अन्य जिलों में भी रुका हुआ है और कुछ स्थानों का घोषित भी कर दिया गया है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल देर से निकलेगा उनके ऐडमीशन आदि की व्यवस्था के बारे में उचित आदेश सरकार देगी, तो क्या इस प्रकार के कोई आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था, लेकिन दिया गया हो या न दिया हो, जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल विलम्ब से प्रकाशित होता है और वे पास हुए होते हैं तो सरकार उनकी सहायता करती है ताकि उनको ऐडमीशन वगैरह में दिक्कत न हो ।

मऊनाथ भंजन का गोलीकांड

*४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ अगस्त, १९६० को नगरपालिका मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़, के थाने के दीवान और सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक कांस्टेबुल की गलती से अकस्मात गोली चल गयी जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति जख्मी हुआ ।

*५--श्री अब्दुलरऊफ लारी, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री अब्दुल लतीफ नोमानी--यदि हां, तो क्यों और किसकी आज्ञा से गोली चलायी गयी थी ? क्या गृह मंत्री उसका संक्षिप्त विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--किसी की आज्ञा लेकर गोली नहीं चलाई गई । घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सिविल पुलिस थाने से आमतौर से बिना बंदूक के जाती है तो क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि बिना किसी आज्ञा के कान्स्टेबुल बंदूक लेकर गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगरपालिका के अध्यक्ष ने यह लिखित रिपोर्ट की थी कि वहां नाली बनायी जा रही है इसलिये उनको शंका है कि उसमें कुछ बाधा उपस्थित की जाय । यह ठीक है कि आमतौर से सिविल पुलिस बिना बंदूक के जाती है, लेकिन वह शस्त्र लेकर भी जा सकती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी को इत्तला है कि जो बंदूक चलायी गयी वह रायफल थी या १२ बोर की प्राइवेट बंदूक थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--१२ बोर की पुलिस के पास होती ही नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह रायफल की गोली लगी वह एक ही गोली लगी थी या २, ३, ४ गोलियां लगी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक ही बार गोली चलायी गयी । वह तो अकस्मात् लग गयी ।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सिविल पुलिस के साथ आर्म्स भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--म्युनिसिपल अध्यक्ष ने वहां अशांति होने, झगड़ा होने की आशंका बतायी थी क्योंकि वहां नाली बनायी जा रही थी और जिन सज्जन का वहां मकान था वे नाली बनने के विरुद्ध थे। थाने में इस प्रकार की रिपोर्ट आने पर थाने से दो कांस्टेबिल बिना हथियार वाले और दो आर्म्ड पुलिस के वहां भेजे गये ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस नाली का किस्सा दो महीने से चल रहा था और ४ तारीख को इस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट में दावा भी हो गया था और ५ तारीख को हुक्म इम्तनाई भी हो गया था और उसी की खबर पाकर इतनी जल्दी की गयी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ने या किसी और ने पहले से कोई इरादा कर लिया हो और उस इरादे से यह कार्यवाही करायी हो । बहरहाल, वह कांस्टेबिल भेजा गया और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यही सोच कर कि खाली इस रिपोर्ट पर आर्म्ड पुलिस को भेजने की आवश्यकता नहीं थी, एस० ओ० को लाइन हाजिर किया गया है ।

*६--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

[२ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मैनपुरी जिले की श्रीमती जयदेवी का पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले से ऐसी कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं की इस वक्त विचाराधीन हैं, जिनके पतियों का स्वर्गवास हो गया है और जिन्हें पहिले से पेंशन मिल रही थी तथा अब उनकी विधवायें भी पेंशन चाहती हैं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—एक ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस राजनीतिक पीड़ित की एक विधवा की दरख्वास्त विचाराधीन है, उनका नाम क्या है और किस तारीख को वह दरख्वास्त दी गयी थी ?

श्री इस्तफा हुसैन—उनका नाम है—श्रीमती जयदेवी । किस तारीख को दरख्वास्त दी गयी, इसकी सूचना नहीं है । जिलाधीश से उनकी दरख्वास्त के बारे में जांच करा ली जायगी और वहां से जानकारी आने के बाद कुछ फैसला किया जायगा ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—मेरे पास ऐसी सूचना है कि इस दरख्वास्त को दिये हुये बहुत दिन हो चुके, इस बात को ध्यान में रखते हुए शीघ्र से शीघ्र इसका फैसला कर देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह तो इसका जवाब दे चुके ।

*२–४—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१३ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

जौनपुर जेल में श्री भग्गल की मृत्यु

*५— श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भग्गल, पुत्र रामरूप, गांव देवापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को ३ मई, १९६० को थाना जलालपुर, जिला जौनपुर की पुलिस ने एक डकैती के सिलसिले में बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर जिला जेल, जौनपुर को चालान कर दिया जहां उसकी तारीख ६ मई, १९६० की रात को मृत्यु हो गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*६— श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भग्गल की स्त्री श्रीमती सुमित्रा देवी ने ९ मई, १९६० को रजिस्ट्री द्वारा वाराणसी के एस० एस० पी० को रिपोर्ट भेजी है कि उसके पति को थाना जलालपुर, जिला जौनपुर की पुलिस तथा ऊधोपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के एक व्यक्ति ने मिलकर मारते-मारते हत्या कर दी ? क्या उसमें यह भी लिखा है कि इस रिपोर्ट को थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में दर्ज कर मुकदमा कायम किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हाँ । इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । उसकी जांच सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जौनपुर ने की । जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त श्री भग्गल की मृत्यु न्यूमोनिया के कारण हुई ।

श्री ऊदल—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु ६ तारीख को जेल में हुई, जिसका कि उन्होंने उत्तर दिया है–हां । तो क्या उसका पोस्ट-मार्टम भी कराया गया या नहीं ? यदि कराया गया तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसका पोस्टमार्टम हुआ । उसको हल्की चोटें थीं लेकिन मृत्यु का कारण चोट नहीं बतलायी गयी है और न किसी मार्मिक स्थान पर चोटें थीं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ७ चोटें हैं या इससे भी ज्यादा चोटें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ७ चोटें हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि सवाल में है कि बिना वारण्ट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने में पीटा गया, तो बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों उसे गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—दफा ५४ जाब्ता फौजदारी में अधिकार है कि किसी ऐसे जुर्म में जैसे दफा ३९५ की शिकायत की जाती है तो बिना वारण्ट के भी उसको बन्दी बनाया जा सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम में जिन ७ चोटों का जिक्र है, वे कहां पर आयीं और क्यों आयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्भवतः गिरफ्तारी के समय या थाने में उनको मारा गया हो, लेकिन प्रश्न तो यह है कि उन चोटों से उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई । सिविल सर्जन की स्पष्ट रिपोर्ट है कि उसको न्यूमोनिया हो गया था जिसका उपचार हुआ, फिर भी उसकी मृत्यु हो गयी । चोटों से वह मृत्यु नहीं हुई क्योंकि जो चोटें थीं वे साधारण थीं और किसी मर्मस्थल पर नहीं थीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि सम्भवतः उसको थाने में मारा गया हो, इस बात को मानते हुये कि थाने में चोटें आयीं लेकिन उससे उसकी मृत्यु नहीं हुई और इस बात को मानते हुये कि वे चोटें ज्यादा मामूली थीं, क्या सरकार इस बात की जांच करके जिन अधिकारियों ने उसको थाने में मारा हो उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी, क्योंकि थाने में पीटना भी एक जुर्म है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने पीटा ही नहीं । मैंने तो कहा कि गिरफ्तारी में कोशिश की भागने की उसमें चोट लग सकती है । सम्भव है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि थाने में ही कुछ थोड़ा-बहुत पीटा गया हो । इसकी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ने कर ली है । मरा किस तरह, यह प्रश्न है विशेष रूप से, क्योंकि ५ तारीख को जेल में भेजा गया और ६ तारीख को मृत्यु हुई । उसके संबंध में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है ।

श्री सुरथबहादुर शाह—यह मानते हुये कि वह न्यूमोनिया से मरा, क्या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें न्यूमोनिक पल्मोनरी कंडीशन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बड़ा टेढ़ा-सा नाम लिया श्रीमन्, मेरे पास जो रिपोर्ट है वह मैंने बतला दी ।

श्री सुरथबहादुर शाह—पल्मोनरी कहते हैं जो कि लंग्ज से ताल्लुक रखती है और न्यूमोनिक जो कि न्यूमोनिया से ताल्लुक रखती है, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिविल सर्जन की रिपोर्ट मैंने बता दी । मुझे पता नहीं कि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं । आप चाहें तो उसे देख लें । सिविल सर्जन की रिपोर्ट है कि प्रातःकाल ज्वर था, अस्पताल लाया गया तो खांसी थी, दोपहर को मालूम हुआ कि कुछ न्यूमोनिया है, शाम तक दवा की और रात को ११ बजे मृत्यु हुई । इसके बाद पोस्टमार्टम किया । उसकी रिपोर्ट जो भेजी है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी मृत्यु न्यूमोनिया से हुई ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि न्यूमोनिया की भी रिपोर्ट है और चोटें भी थीं, तो इससे यह साबित होता है कि उसको न्युमोनिया हो रहा था इस हालत में पकड़ा गया और पीटा गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं नहीं समझता कि कोई अदालत है जिसमें कोई चीज साबित की जा रही हो, जो सूचना थी वह मैंने दी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—ये ७ चोटें जो लगी थीं वह कहां-कहां लगी थीं, इसकी कुछ रिपोर्ट है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ये साधारण चोटें थीं और हाथ-पैरों पर थीं, किसी मार्मिक स्थान पर नहीं थीं, पहले ही मैंने निवेदन किया ।

*७-९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

खाल गांव में कलेक्शन अमीन तथा चपरासी की हत्या

*१०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—अमीन की हत्या के विषय में ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२-१३ के उत्तरों के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हत्यायें जिस स्थान पर हुयीं वह स्थान महमूदाबाद थाने से कितने फासले पर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस स्थान पर हत्या हुई वह महमूदाबाद थाने से लगभग १० मील उत्तर-पश्चिम में है ।

*११—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हत्या जिन व्यक्तियों की हुई उनके शव का पता चल गया है ? यदि हां, तो वे शव किस हालत में और किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । विशेष खोज करने पर मृतकों के शव का कमर के नीचे का हिस्सा तथा कुछ हड्डियां खंतीताल में जो घटनास्थल से लगभग ५ मील की दूरी पर है, प्राप्त हुईं ।

*१२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या यह सत्य है कि जिस अमीन की हत्या हुई उसका लगान वसूलयाबी का कार्य अच्छा रहा है और १४ जुलाई, १९५९ को, तहसील में जो रुपया जमा करने का अमीनों के लिये निश्चित दिन था, उपस्थित न होने के कारण स्वयं तहसीलदार ने पूछ-ताछ की तभी उक्त हत्या की जानकारी हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने से केवल १० मील के फासले पर इस हत्याकांड के सबसे अधिक विवादग्रस्त प्रश्न के उस अंश की जांच अपने मंत्रालय के अधीन किसी भी उच्च अधिकारी के द्वारा करायेंगे कि सर्वप्रथम महमूदाबाद थाने के इंचार्ज ने अपने कर्त्तव्य पालन में अत्यन्त उदासीनता क्यों दिखलाई ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं प्रश्न नहीं समझ सका, पुलिस ने बहुत मेहनत से यह काम किया और मुकदमा चलाया, चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गया, किस तरह की शिकायत रही यह मैं नहीं समझ सका ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मैंने प्रश्न किया था कि उस विवादग्रस्त अंश की जांच....

श्री अध्यक्ष—कौन-सा विवादग्रस्त प्रश्न ?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—थाने से कुल १० मील के फासले पर इस हत्याकांड के सबसे अधिक विवादग्रस्त प्रश्न के उस अंश की जांच ....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप लिखकर लाये हैं, प्रश्न से कुछ मतलब स्पष्ट नहीं होता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—सर्वप्रथम थाना महमूदाबाद के इंचार्ज ने जो कर्त्तव्य-पालन में उदासीनता दिखलाई उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, क्या उदासीनता दिखलाई १४ तारीख को तहसीलदार ने थाने में रिपोर्ट की कि जो अमीन आने वाला था, उसके साथ चपरासी था, रुपया लेकर आ रहा था, वह पहुंचा नहीं, उसका पता लगाया जाय, और इस पर पुलिस ने पता लगाया तो मालूम हुआ दोनों आदमी मारे गये और फिर एक तालाब में उनकी लाश मिली। सड़ी-गली लाश थी। उसके बाद उन्होंने चालान किया। ८ आदमियों का चालान हुआ और ४ आदमियों को आजन्म कारावास हुआ।

***१३-१४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा

***१५—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू है तथा चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन में लागू होने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—९५ नगरपालिकाओं में बालकों हेतु तथा उनमें से १० में बालिकाओं हेतु (सूची संलग्न है)। चालू वित्तीय वर्ष में किसी नगरपालिका में लागू करने का प्राविधान नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०८-४०९ पर)

***१६—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय होता है तथा उसमें कितना रुपया प्रादेशिक सरकार देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लगभग ८५,६८,७५२ रु० (६७,६०,३४६ रु० बालकों की शिक्षा के प्रति तथा १८,०८,४०६ रु० बालिकाओं के प्रति)। इसमें ६४,२६,५६४ रु० (५०, ७०,२६० रु० बालकों तथा १३,५६,३०४ रु० बालिकाओं के प्रति) सरकार वहन करती है। यह व्यय प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार घटता-बढ़ता रहता है।

***१७—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

उधरनपुर ग्राम की कथित डकैती

***१८—श्री बुलाकीराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि हरदोई जिले के थाना शाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम उधरनपुर में वर्तमान वर्ष में बड़ी डकैती के मुल्जिमान का जलूस रिक्शों पर शाहाबाद बाजार में निकाला गया और मुल्जिमान के जलूस में "S.O., शाहाबाद जिन्दाबाद" के नारे लगाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। इस ग्राम में न कोई डकैती पड़ी और न कोई जलूस निकाला गया।

श्री बुलाकीराम—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उक्त गांव में डकैती पड़ी, कत्ल हुआ, तो सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा की जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—२० मार्च को बांके लाल की दूकान में एक घटना हुई थी और वह ४५८/३०२ के अन्तर्गत दर्ज हुई थी और उसमें पुलिस ने बहुत मेहनत की और सफल हुई थी उन लोगों को गिरफ्तार करने में ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह शिकायत वहां के थानेदार के बारे में थी तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच किसने की ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायत किसी ने नहीं की लेकिन जिनके यहां यह घटना हुई थी उन्होंने १०१ रुपया एस० पी० को थानेदार के इनाम के लिये भेजा। बहुत खुशी थी जब वह अभियुक्त गिरफ्तार हो गया ।

पाली थाने में एक व्यक्ति की पीटने से मृत्यु

*१९—**श्री बुलाकीराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, १९६० में हरदोई के किसी थाने में किसी थानेदार द्वारा पीटने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक ३१-५-६० को एक व्यक्ति की मृत्यु थाना पाली में हुई। इस मामले में अभी सी० आई० डी० जांच कर रही है। जांच समाप्त होने पर मृत्यु के सही कारण का पता लग सकेगा ।

श्री बुलाकीराम—क्या उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में थानेदार मुअत्तल कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—थानेदार मुअत्तल कर दिया गया है, जहां तक मुझे ज्ञात है ठीक नहीं बतला सकता। लेकिन थोड़ी देर में देख कर बतला दूंगा ।

श्री बुलाकीराम—क्या इस मारपीट में सर्किल इन्स्पेक्टर भी सम्मिलित थे ? यदि हां, तो उनको क्यों नहीं मुअत्तल किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सब-इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबिल को मुअत्तल कर दिया गया है जो उसको ले कर आ रहे थे। बाकी सी० आई० डी० की जांच हो रही है। जो इस जांच में दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो व्यक्ति मारा गया है वह किस गांव का रहने वाला है, क्या नाम है और किस जुर्म में कौन गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक श्री शंकर थे जो नगलाहसन पाली के निवासी थे और एक डकैती में गिरफ्तार कर लिये गये थे और वे हिस्ट्रीशीटर थे।

श्री नन्दराम—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे उनको मारने की क्या आवश्यकता थी और कौन-सी धारा है जिसके अनुसार मारे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मारे गये तो गलत मारे गये, इसलिये मुअत्तल हुये हैं सब-इंस्पेक्टर और वह कांस्टेबिल। ३०४ में मुकदमा दर्ज हुआ है। सी० आई० डी० इस मामले की इंक्वायरी कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का वेतन न बढ़ना

*२०—श्री प्रतापसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

फतेहपुर तहसील में चोरियों की रिपोर्ट थाने में न लिखने की शिकायत

*२१—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि सरकार को इस प्रकार की शिकायत जून, १९६० में मिली थी कि तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में होने वाली अधिकांश चोरियों की रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गई? यदि हां, तो इस संबंध में क्या जांच हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जिलाधीश के द्वारा आरोपों की जांच कराई गई परन्तु वह सही नहीं पाये गये।

फर्रुखाबाद जिले में बन्दूक के लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में आदेश

*२२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में जिलाधीश की तरफ से बन्दूक के लाइसेंसों के संबंध में तहसीलदारों को कुछ ऐसे आदेश दिये गये हैं कि यह उन्हीं आदेशों के मुताबिक बन्दूकों को लाइसेंस के लिये सिफारिश करें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। लाइसेंसों के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र निस्तारण(disposal) हेतु अवश्य जिलाधीश ने आदेश जारी किये थे।

*२३-२४—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन कल्याण विभाग के अस्थायी सुपरवाइजर

*२५—श्रीमती शकुंतलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के हरिजन कल्याण विभाग के अस्थायी सुपरवाइजरों को स्थायी करने की कोई स्कीम है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

टेकमलपुर ग्राम में सिधारी द्वारा अपने पुत्रों की हत्या

*२६—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने के अन्तर्गत टेकमलपुर ग्राम में एक व्यक्ति चकबन्दी के कारण विक्षिप्त होकर दिन-दहाड़े अपने दो बच्चों की हत्या करके स्वयं थाने में जुलाई, १९६० में हाजिर हो गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। सिधारी नामक एक व्यक्ति ने २६-७-६० को अपने दो पुत्रों की हत्या अवश्य की थी किन्तु चकबन्दी के कारण नहीं। उसे पुलिस ने घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया था।

*२७—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१० पर ।)

*२८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[हटा दिया गया ।]

*२९-३०—**श्री भूपकिशोर** (जिला मैनपुरी)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं को पेन्शन

*३१—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं के लिये कुछ सालों के लिये पेंशनें स्वीकार की गई हैं, क्या वह उनकी पेंशनें जिन्दगी भर के लिये कर देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यदि वे विधवायें आजीवन पेंशन के लिये आवेदन-पत्र दें तो शासन उन पर अवश्य विचार करेगा ।

*३२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज, हल्द्वानी को भवन की आवश्यकता

*३३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्द्वानी में राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज की कोई बिल्डिंग न होने के कारण छात्राओं को पठन-पाठन संबंधी अत्यन्त असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो आवास की इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

वर्तमान विद्यालय के भवन की कमी को पूरा करने के लिये सम्प्रति किराये पर अतिरिक्त भवन लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*३४-३५—**श्री प्रतापसिंह** तथा **श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

भीरा थाने में नत्थू के घर कथित डकैती

*३६—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला खीरी के भीरा थाने के अन्तर्गत हाल ही में नत्थू महतिया के यहां डकैती हुई थी जहां मौके पर तमंचा और कारतूस बरामद हुये थे ? यदि हां, तो अब तक पुलिस ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। सन् १९६० में कथित डकैती की किसी घटना की रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली ।

कटेहर क्षेत्र में अपराधों के बढ़ने की शिकायत

*३७—**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि कटेहर विधायक क्षेत्र, वाराणसी में कत्ल व डाकेजनी की घटनायें प्रायः अधिक हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ऐसे पुलिस अधिकारी भेजने का इंतजाम करेगी कि जो हल्के में शांति बनाये रख सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सही नहीं है। अतः उस क्षेत्र में अन्य पुलिस अधिकारी को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

खीरी जिले में श्री प्यारेलाल फलाहारी के पीटे जाने की शिकायत

*३८—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या पलिया, जिला खीरी के भूतपूर्व चेयरमैन, देश भक्त महात्मा श्री प्यारेलाल फलाहारी जिन्हें जून, १९६० में जेल के दरवाजे से कोतवाल, लखीमपुर ने गिरफ्तार करके थाने में घृणित ढंग से पीटा था, उसकी रिपोर्ट कप्तान को और आई० जी० को दी गई और मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री को दी गई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। उनमें लगाये गये आरोप जांच करने पर प्रमाणित नहीं हुये।

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों का मंहगाई-भत्ता

*३९—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय निकाय द्वारा चलाये गये हायर सेकेंड्री स्कूल में शिक्षा संहिता के नियम लागू होते हैं? यदि नहीं, तो उन पर कौन से नियम लागू होते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहां तक अनुदान तथा शैक्षिक मामलों का संबंध है, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर शिक्षा संहिता के नियम लागू होते हैं। परन्तु जहां तक इन शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के सेवा संबंधी नियमों का प्रश्न है, उन पर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत समय-समय पर जारी होने वाले नियम लागू होते हैं। जो साधारणतया म्युनिसिपिल मैनुवल में दिये हुये हैं।

*४०—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्थानीय निकाय द्वारा चलाये गये हायर सेकेंड्री स्कूलों के अध्यापकों को राजाज्ञा नं० A-5882/XV—3152-1958, दिनांक १२-५-५९ के अनुसार महंगाई-भत्ता मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक वर्ग को प्रश्न में उल्लिखित राजाज्ञा के अनुसार महंगाई-भत्ता दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अभी तक शासन के पास इस बात की कोई शिकायत नहीं आई है कि इन अध्यापकों को यह महंगाई-भत्ता नहीं मिल रहा है।

*४१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४३—**श्री चन्द्रजीत यादव**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

छिबरामऊ थाना क्षेत्र में कत्ल

*४४—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ थाने के अन्तर्गत जनवरी १९५९ से अब तक किन-किन व्यक्तियों के कत्ल हुये हैं और उनमें पुलिस ने किन व्यक्तियों के कत्ल के संबंध में अदालत में मुकदमें चलाये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ थाने के अन्तर्गत जनवरी, १९५९ से अब तक सर्वश्री गंगा राम जाटव, रामचन्द्र सुनार, तेज सिंह तथा राम बाबू धोबी के कत्ल हुये। पुलिस ने सर्वश्री गंगा राम जाटव तथा तेज सिंह के कत्ल के संबंध में अदालत में मुकदमें भेजे।

खटीमा थाने में कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता के साथ जघन्य दुर्व्यवहार

*४५—**श्री झारखंडेराय तथा श्री पब्बरराम** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ऐसी शिकायती सूचना पुलिस कप्तान, नैनीताल तथा डी० आई० जी०, बरेली रेंज को प्राप्त हुई है कि नैनीताल जिले की खटीमा तहसील के एक प्रमुख कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता को गत १८ मई को खटीमा थाने में ले जाकर बुरी तरह मारा-पीटा गया और उनके मुंह में पेशाब करने के लिये भंगी बुलाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की एक शिकायत पुलिस अधीक्षक, नैनीताल तथा डी०आई० जी०, बरेली रेंज को प्राप्त हुई थी।

*४६—**श्री झारखंडेराय तथा श्री पब्बरराम**—यदि हां, तो इस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उप-पुलिस अधीक्षक (कम्पलेंट्स), नैनीताल ने इसकी जांच की।

*४७-४९—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५०—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में डकैतियां और कत्ल

*५१—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९५९ और १९६० के जुलाई मास तक कत्ल और डकैतियों की संख्या थानेवार क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये तारा 'छ' आगे पृष्ठ ४११ पर।)

*५२—**श्रीमती शकुंतलादेवी**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—श्री राज्यपाल ने, जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन ने उनके अभिभाषण के संबंध में पारित किया था और उनके सामने उपस्थित किया गया था, उसके उत्तर में यह पत्र भेजा है कि :

"श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक १२ अगस्त, १९६० के लिये जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने अपनी २९ जुलाई, १९६० की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों की स्वकृति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम ५२ के उपनियम (१) में यह व्यवस्था की गई है कि "उपवेशन के आरम्भ से आध घंटे पूर्व कोई प्रश्न सचिव के यहां दिया जा सकता है। तमाम प्रश्न आ जायेंगे तब विचार करके माननीय अध्यक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न की अनुमति देंगे।" आज सवा दस बजे मैं सचिव के यहां गया। सचिव नहीं थे, सचिव विधान मंडल मौजूद थे। १०–२० पर कुंवर श्रीपाल सिंह जी गये। उस पर सचिव, विधान मंडल ने यह कहा कि माननीय अध्यक्ष ने पहले से ही एक प्रश्न स्वीकार कर लिया है और संबंधित मंत्री महोदय के पास भेज दिया है। तो मैं, श्रीमन्, आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न आध घंटे पूर्व आयेंगे वे सब पेश किये जायेंगे और माननीय अध्यक्ष उसको स्वीकार करेंगे जो नियमानुकूल हो, तो क्या माननीय अध्यक्ष बिना सब प्रश्नों के इंतजार किये हुये अपनी स्वीकृति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष——स्वीकृति तो इन सभी की मैं दे सकता हूं। मैंने पूछने पर स्वीकृति दे दी थी तो इस तरह से स्वीकृति दी थी क्योंकि उस समय एक ही प्रश्न मेरे सामने आया था पश्चात् अगर कोई ज्यादा महत्व का मेरे पास आये तो मैं उस पर भी गौर करूंगा इस प्रकार साढ़े दस बजे जब और प्रश्न आ गये तो वे भी मेरे सामने रखे गये। मैंने उचित नहीं समझा और मुझे वे इतने महत्व के नहीं मालूम हुये जितना कि श्री गौरीशंकर राय का प्रश्न था। इसलिये मैंने पहले का ही अपना निर्णय कायम रखा। अगर मुझे यह मालूम होता कि उनके विषय से ज्यादा महत्व के प्रश्न और आ गये हैं तो मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लेता। मैंने सबको कंसीडर कर लिया था।

उत्तर प्रदेश में खाद (अमूनियम सल्फेट) के तस्कर व्यापार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष——"उत्तर प्रदेश में खाद (अमूनियम सल्फेट) का भाव ४० रुपया बोरा तथा देश के दूसरे प्रदेशों में अधिक है। यहां तक कि मदरास में खाद का भाव १२५ रुपया बोरा है। भाव में इस अन्तर के कारण राज्य स्तर पर बड़ा ही संगठित तस्कर व्यापार चल रहा है जिसमें जाली नामों से खाद का परमिट लिया जाता है और उसे इकट्ठा करके दूसरे प्रदेशों में चोरी से बेचा जाता है। अभी ३१ अगस्त को बरेली शहर से १९ मील दूर रीछा रोड स्टेशन पर करीब दो लाख रुपये की खाद बरेली पुलिस ने पकड़ी है जो इन तस्कर व्यापारियों के द्वारा बाहर भेजी जा रही थी। इस तस्कर व्यापार के कारण जो कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और तस्कर व्यापारियों से मिला-जुला होने के कारण चल रहा है, यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि प्रदेश में खाद की कमी पड़ जायगी जिसका सीधा प्रभाव प्रदेश के उत्पादन पर पड़ने वाला है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय कृषि मंत्री, आप अपना वक्तव्य इस पर आज देंगे या किसी दूसरे दिन देंगे?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)——श्रीमन्, मुझे इसके पूर्व सूचना नहीं थी। मैंने पत्रों में देखा था। इसके लिये थोड़ा समय चाहिये। चार पांच दिन का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——८ तारीख को रख दें।

श्री कालीचरण अग्रवाल——जी हां।

श्री अध्यक्ष——८ तारीख को अपना वक्तव्य दे दें।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रश्नोत्तर काल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक सदस्य को सदस्या कहा। तो प्रोसीडिंग में वह कैसे लिखा जायगा, जैसा कहा गया वैसा ही या उसका करेक्शन होगा? और अगर करेक्शन होगा तो किसकी आज्ञा से होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं करेक्शन की क्या जरूरत है। सच बात तो यह है कि थोड़ी सी मजाक की बातें इस ओर से होती हैं, और उधर से भी होती हैं। तो उन को हम काटते नहीं वह कार्यवाही में कायम रहती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, काटने की इसलिये भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रश्न कर्ता कहा था, प्रश्न कर्त्री नहीं कहा था। इसलिये उनका विरोधाभास है और वह स्वयं अपने लिए कह रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें अभी।

पीलीभीत जिले में बसाये गये बंगाली विस्थापितों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय प्रताप सिंह जी ने २९ अगस्त, १९६० को नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया था जो इस प्रकार है:

"जिला पीलीभीत में न्यरिया, भाला, कलकत्ता फार्म व नगरिया में बसाये गये बंगाली विस्थापितों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। उनको बालू वाली जमीन पर बसाया गया और कलकत्ता फार्म में २०५ एकड़ जमीन पर प्रदेशीय सरकार के अधिकारियों द्वारा १४७ मन धान बोया गया जिसमें १/२ मन भी पैदा नहीं हुआ। उनको डौल(cash payment) कई महीनों से नहीं दिया गया। इन समस्याओं की ओर जब विस्थापितों ने आवाज उठायी तो उन्हें कर्मचारियों द्वारा पीटा गया, उनकी महिलाओं को बालों के बल घसीटा गया। इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

न्याय मंत्री (श्री हुक्मसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री प्रताप सिंह ने अपने नोटिस में ४ बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। पहली यह कि विस्थापितों की दशा वहां शोचनीय है। इस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनको बसाया गया, मकानात भी बनवाये, जमीन भी दी गई और जितनी सेवा हो सकती है, हम करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इतनी दूर से वह उठा करके यहां लाये गये हैं, तो अपना घर द्वार उन्होंने छोड़ा है इस दृष्टिकोण से अगर कोई उनको कष्ट हुआ तो वह स्वाभाविक है। बदइंतजामी की कोई वजह उसमें नहीं मालूम होती है।

दूसरी बात यह कही गई कि उनको जमीन जो दी गई वह बलुई दी गई। मैंने जो सूचना मंगायी है वह यह है। न्योरिया फार्म से १० आदमियों ने शिकायत की थी कि हमारी जमीन अंशतः बलुई है। तो फौरन उसका इंतजाम किया गया, उसके बदले में दूसरा नम्बर उनको दे दिया गया। मेरी इत्तला है कि वह संतुष्ट हैं उससे। यह कहना कि सब जमीन बलुई है कुछ ठीक बात नहीं मालूम होती है।

तीसरी बात यह कही गई, हालांकि नोटिस में बिलकुल गोल मोल है, २०५ एकड़ जमीन में सरकारी अधिकारियों ने १४३ मन धान बोया, कब बोया यह नहीं बताया, लेकिन अगर इस समय बता देते तो अच्छा हो जाता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)——बोया हुआ है अभी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत अच्छा। यानी मौजूदा खरीफ में बोया और यह कहा गया कि २० सेर फी बीघा भी पैदावार नहीं हुई। मैं दुख के साथ कहता हूं, अक्तूबर में धान की फसल तैयार होती है। अभी बोयी गयी फसल उग रही है, बढ़ रही है और वह तैयार होगी अक्तूबर में या नवम्बर में। अतः अभी यह कह देना कि २० सेर फी बीघा भी पैदावार नहीं हुई, तो यह तो ऐसी बात जाहिर करता है कि खेत का कोई अनुभव नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मंत्री महोदय ने कहा रबी में बोया गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—"अभी" कहा।

श्री अध्यक्ष—"अभी" कहा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो मेरी इत्तला यह है कि कलकत्ता फार्म में ४१ फेमिली को इस खरीफ की फसल में जमीन दी गई, उसमें से १६ आदमियों ने, जिन्होंने खुद बैल खरीद लिये थे, खुद बोया है और २५ आदमियों ने जो बैल नहीं खरीद पाये थे, ट्रैक्टर की मदद से बो दिया। फसल चल रही है और अक्तूबर और नवम्बर में जैसी वहां बारिश होती है अगर हुई, तो फसल ठीक होगी और अगर खराब हुई तो देखा जायगा। लेकिन अभी से यह कह देना कि आधा मन भी नहीं हुई फसल एक एकड़ पर, यह तो मैं समझता हू कि कब्ल अजवक्त बावे ा मचाना है। ऐसी बात नहीं है। यह बात देखकर ही मैं समझ गया था कि कितना तत्व इस नोटिस में है।

एक बात और कही गयी कि कैश डौल नहीं मिला है। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं। मई या जून में कुछ रोका गया और उसका मुख्य कारण यह था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का सैंक्शन नहीं आया था। हमने लिखा पढ़ी की थी कि वहां से सैंक्शन मिल जाय क्योंकि लोगों को तकलीफ है। जब देर होने लगी, तब मैंने इन एंटीसिपेशन आफ सैंक्शन पेमेंट करा दिया। फिर सैंक्शन भी आ गया और अब डौल दिया जाता है। डौल नहीं दिया जाता है, यह भी ठीक बात नहीं मालूम होती है।

तीसरी बात और कही गयी कि विस्थापितों ने जब अपनी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठायी, तो सरकारी कर्मचारियों ने उनको मारा पीटा और उनकी महिलाओं को झोंटा पकड़-कर खींचा। मैंने अपने मित्र प्रतापसिंह से भी कहा था कि आज के प्रजातंत्र के जमाने में यह बात संभव नहीं है। कौन ऐसा बेवकूफ आफिसर होगा? आपने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उनको किसी ने बतला दिया होगा और उन्होंने हियरसे पर कहा होगा वे चश्मदीद गवाह नहीं होंगे। तो इस तरह से एक्जैजिरेटेड बातें कही जाती हैं। हमारे पास ऐसी कलेक्टर की रिपोर्ट आयी है कि कोई मारा नहीं गया और न किसी का झोंटा ही पकड़कर खींचा गया। यह इलजाम गलत है।

एक बात कहते में डरता हूं, लेकिन आपकी छत्रछाया में कह देने में हिचक भी नहीं है कि वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा बना हुआ है। हर तरफ से कोशिश हो रही है कि देखें कौन हावी हो जाता है। यही एक मुख्य कारण मालूम पड़ता है और कोई वजह नहीं मालूम होती।

एक सदस्य—वहां जिला कांग्रेस नहीं है क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे क्या मालूम।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं यह चाहता हूं कि जिससे यह हाउस मिसलीड हो रहा है उसको क्लियर कर दूं। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, लेकिन १७ अगस्त को मैं दो अन्य माननीय सदस्य, नारायणदत्त जी तिवारी और मुनीन्द्र-पाल सिंह जी के साथ वहां पर गया था और वहां लोगों ने हमें सारी बातें बतायीं।

वहां पर २०९ एकड़ में से १४७ एकड़ पर धान नहीं है । तो मेरे आधे का इंटरप्रिटेशन यह लगाया है जो मेरा मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उसमें शब्द आपके ये हैं कि 'जिसमें आधा मन भी पैदा नहीं हुआ '।

श्री प्रतापसिंह—मेरा मंशा तो वह था जो मैंने कहा है । हो सकता है कि टाइप की अशुद्धि हो ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह हाथ का लिखा है, टाइप्ड नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें आधे से ज्यादा पर उगा ही नहीं है तो धान क्या होगा । फिर भी क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानकारी रखते हुये कि जहां पर नेउलिया में १ सौ से ज्यादा परिवार बसे हुये हैं, सारा का सारा फार्म वहां के किसी अधिकारी ने बालू वाली जमीन पर खरीद लिया और उसमें इतनी कम पैदावार हो रही है कि उस पर बावजूद इसके कि केन्द्रीय सरकार का रुपया बहुत खर्च हो रहा है फिर भी उस पर पैदावार नहीं हो रही है ? क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी इत्तला है कि बलुही जमीन जैसा माननीय मित्र कह रहे हैं वहां नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इत्तला को सूचना मात्र कर और राजनीतिक अखाड़े के संदेह को दिमाग से दूर करके, नेवलिया, नगला और कलकत्ता फार्म आदि तमाम स्थानों में पुराने फार्मों के नाम बेची गयी बलुही जमीन को कैंसिल कराकर दूसरी जमीन दिलाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सेवा कार्य हमारे ऊपर छोड़ दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो हम करते ही हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि जाँच करके बदल दें । उनके पास इत्तला है कि जमीन है । उसको बदलेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दस शिकायतें आयी थीं । मैंने बदल दिया और कोई आयेगी तो देखेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री को इस बात की इत्तला है कि कलकत्ता फार्म जो माला में हैं, वहां पर २५ आदमियों की जमीन ट्रैक्टर की मदद से जोती गयी, ट्रैक्टर की मदद से उन्होंने बोयी नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों ने बोई ? ट्रैक्टर का पूरा पेमेंट हो गया, लेकिन मैंने देखा कि एक भी धान का अंकुर उगा नहीं है क्या इसकी जांच करवा करके कुछ व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी इत्तला है कि ट्रैक्टर की मदद भी दी गयी, बीज वगैरह सब डाला और बोया ।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि बोया, लेकिन बोने के बाद वहां पर कुछ उगा नहीं, इसकी जांच मंत्री जी करेंगे ?

श्री हूकुमसिंह विसेन—हमारी इत्तला है कि उगा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी इस बात को जान कर कि मैंने वहां मौके पर खुद जा कर देखा, और माननीय सदस्यों ने खुद देखा कि उगा नहीं है, इसको इत्तला मान कर कम से कम फिर जांच कराएंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—करा लेंगे । जो बात ठीक हो उसे करने में जरा भी गुरेज नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मानते हुए कि नगरिया में १०० परिवार है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नेवरिया में . . . .

श्री प्रतापसिंह—नेवरिया नहीं नगरिया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२६ आदमियों को जमीन पर बसाया गया है और बल्या लोगों को डोल मिलेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने बयान दिया कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की अखाड़ाबाजी हो रही है, यह उन्होंने किस सूचना के आधार पर बयान दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो रिपोर्ट आयी है उसमें एक अंग लिखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह बड़ा भारी आरोप है, और नियम ५२ के अन्तर्गत आज ही कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की आखाड़ाबाजी हो रही है, इसलिए आपको बताना चाहिए कि किसने रिपोर्ट दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी हमारी इत्तला है । इनफार्मेंट का नाम नहीं बतलाना चाहता हूं ।

श्री प्रतापसिंह—मैंने नगरिया के बारे में पूछा था और माननीय मंत्री जी ने नेवरिया के बारे में उत्तर दिया, तो अब बतलायेंगे कि नगरिया में कब विस्थापित आये थे और कब जमीन दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नगरिया फार्म में २६० परिवार बसाने हैं, १२६ पहुँच चुके हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि जो १२६ परिवार पहुँच चुके हैं, वे चाहे जमीन ले ही लिये हों लेकिन न जमीन ट्रैक्टराइज की गयी है और न बोयी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी इत्तला है कि अबकी से फसल बोई गयी है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात कहने के बाद, कि माननीय उपनेता, विरोधी दल स्वयं देख कर आये, तब भी वह नहीं मानते हैं, तो क्या उनकी बात को अब भी मानते हुए उसमें जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं । बात यह है कि जिस जमीन के बारे में उपनेता ने कहा उसके बारे में उन्होंने कहा कि जांच करेंगे और यह दूसरी जमीन है जिसके बारे में वह कह रहे हैं । वह कह रहे हैं कि १२६ फैमिलीज हैं । वहां पर गवर्नमेंट ने जमीन ले ली होगी, लेकिन खेती नहीं हुई । उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी इत्तला यह है कि उसके ऊपर खेती हुई । इस उत्तर के हिसाब से प्रश्न पूछें ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माननीय मंत्री जी उत्तर में जिन आदमियों का नाम नहीं बताया, उसे छिपाना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं ? यदि छिपाना चाहते हैं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—अगर वह गुप्त रखना चाहते हैं तो मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह बतायें कि उनका सोर्स आफ इनफारमेशन क्या है ?

श्री रघुरन तेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फी फैमिली कितनी जमीन दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिए नोटिस की जरूरत है । फिगर हमारे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो पूर्वी बंगाल से रिफ्यूजी आये हैं, वह हिन्दी भाषा भी नहीं जानते, यहां की बोली समझते नहीं, हैं तो उनकी सेवा करने का प्रश्न एक गैर राजनीतिक प्रश्न है, इसलिए वह ऐसी चेष्टा करेंगे कि पीलीभीत वालों के लिए या दूसरों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की कोई कमेटी बनायें जो वहां जाकर उनकी सेवा करें और सलाह वगैरह दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम काफी हैं सेवा करने के लिए । आप क्यों तकलीफ करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न समाप्त होता है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

खंड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर विचार जारी होगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है, मैं गुजारिश करता हूं । ५ दिन हो गए श्रीमन्, जिला परिषद् बिल पर बहस होते हुए । तीन दिन तो सामूहिक बहस हुई और दो दिन से खंडों पर हो रही है । मुझे बोलने का मौका नहीं मिला । हम पीछे वालों के लिए एक दीवार-सी लग जाती है आगे वालों की, हमको मौका नहीं मिलता ।

श्री अध्यक्ष—आपको मौका मिलेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, पश्चिमी जिले वाले तो बाढ़ में मर गए और हम पीछे बैठने वाले आगे बैठने वालों से परेशान हैं । हमारी रक्षा आप ही करेंगे तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है । मैं कह रहा हूं कि :—

राज की आंख जहाज सों भारी ।
और नेता की आंख जगत से न्यारी ॥

ये जिन्दा छोड़ेंगे नहीं हमको । आप कृपा करके पीछे बैठने वालों की खबर लेते रहें और नहीं तो श्रीमन्, यह राहु और केतु हम पर छा रहे हैं ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (१) को निकाल दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**१ सितम्बर १९६० की कार्यवाही से ।

[श्री गेंदासिंह]

खंड ६ के उपखंड (२) का भाग (१) इस प्रकार है :—

"पांच से अनधिक व्यक्ति, जो अनुमंलित करने वाले सदस्यों को नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों,"

इसको निकाल देने का प्रस्ताव हमारा है । अव्वलन तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह पहला प्रयास है, अपने देश में, स्वतंत्रता आने के बाद, कि जब ग्रामीण लोग अपनी तरफ से एक संगठन बनाने जा रहे हैं, जो कि उनके नित्यप्रति के कामों में उनका सहायक हो सके; अधिक से अधिक उनका विश्वास प्राप्त किया जा सके, इसकी चेष्टा होनी चाहिए, इसमें, और इसी दृष्टि से मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग भी उसमें चुनकर के, निर्वाचित होकर के आवेंगे, उनके निर्वाचित होकर आ जाने के बाद, शायद ही हमको इस बात की आवश्यकता पड़े कि फिर से हम दूसरे लोगों को कोआप्ट करने की कोशिश करें ।

श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन कर दूं, मेरा तजुर्बा इधर दो तीन वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जहां भी कहीं कोआप्शन—आप जा ही रहे हैं लेकिन मैं चाहता था कि आप रहते ....

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए ।)

तो कोआप्शन का अधिकार जहां कहीं भी मिला है उसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है और खास तौर से अगर मैं समझता हूं कि जहां पर हम लोग भी बैठे हों जो विधान सभा के बीच में भी कुछ बातचीत करने की ताकत रखते हों, या उनकी बात सुन भी ली जाती हो अगर वहां के कोआप्शन का दुरुपयोग होता हो तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से उसका दुरुपयोग हो सकता है । मैं माननीय शर्मा जी और वर्मा जी दोनों साहबान से यह कहना चाहता हूं कि अभी तो शुरुआत है । अगर फिर बाद को भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझता हूं अमेंडमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी । लेकिन इस वक्त कोआप्शन न रखा जाय तो उससे दुरुपयोग का खतरा जो हमको दीख रहा है वह दुरुपयोग का खतरा बच जायगा । मैं उनकी सेवा में यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोआप्शन का जो हमारा तजुर्बा है उसको वह सुन लें ।

अब कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है । बदकिस्मती से उससे हमारी भी थोड़ी दिलचस्पी है और दूसरे लोग भी, जनता भी उससे जिलों में दिलचस्पी रखती है, हम इस बात को सोचते हैं कि उससे हमारा सम्बन्ध रहना चाहिये । जब हम सम्बन्ध रखते हैं तो हमारी बदकिस्मती यह है कि हम दुहाई देते देते मर गये । मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें कि हम तो दुहाई देते देते मर गये कि किसी तरह से देवरिया में कोआपरेटिव के संगठन का कोआप्शन के दोष से और नामजदगी के दोष से बरी करे, लेकिन हम सफल नहीं हो सके । कोआपरेटिव विभाग का यह तरीका है कि जिस व्यक्ति के लिये पहले यह तय किया कि ऐसा आदमी आफिस में नहीं रहना चाहिये और आफिस में रहने से दुरुपयोग करता है और उसके विरुद्ध शिकायत थी तो वह आदमी आज वहीं पर मौजूद है । कोआप्शन की ताकत मिली तो कुछ हमारे दोस्तों ने बैठकर एक आदमी को कोआप्ट कर लिया । एक को कोआप्ट करने के बाद फिर यह गति हो गई और चाहा कि हम मजारिटी में हो जाय, और मजारिटी में होकर उस दोष वाले आदमी को कोई ऊंचे स्थान पर बैठाया जाय । वही आदमी आज हमारा सर्वेसर्वा बना हुआ है । इसलियें मैं चाहता हूं कि यह कोआप्ट वाली धारा यहां से निकाल दी जाय । मैं यह चाहता हूं कि अभी तो पहला ही मामला है । इसमें कोआप्शन न रहे तो कोई हर्ज नहीं है । अगर जिला परिषद् में ऐसे लोग आ गये तो उससे लाभ कुछ नहीं होगा बल्कि कठिनाई पैदा होगी ।

मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को न ले जाने के लिये जो हमने कहा, वह इस गरज से नहीं कहा कि इस हाउस में सरकार एक अमेंडमेंट

भी स्वीकार न करे । यह हमने नहीं सोचा था कि मंत्री जी कोई संशोधन नहीं स्वीकार करेंगे । हम सोचत थे कि हमारी तरफ से अगर कोई इस तरह की बात होगी, या जहां कहीं किसी संशोधन की आवश्यकता होगी, तो सरकार उसको स्वीकार करेगी । हम यह चाहते हैं कि यह जिला परिषद् या क्षेत्र समिति जितनी भी नान पोलिटिकल बेसिस पर बन सके तो बननी चाहिये लेकिन इस वक्त तक के रवइये को देखकर मैं यह समझा हूं कि शर्मा जी एकदम तुले हुये हैं कि जिस तरह से इसमें यह विधेयक है, उसको उसी तरह से पास कर दें । वह समझते हैं कि इसमें दोष नहीं है और इसके ऊपर विचार विनिमय की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं इसमें यह संशोधन रखते हुये माननीय शर्मा जी, वर्मा जी और मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि इन सब चीजों पर विचार किया जाय । यह इस प्रकार का संशोधन है जिसके विषय में दो राय नहीं हो सकतीं । सरकार को कुछ भार भी बर्दाश्त करना पड़े तो इसको मान लेना चाहिये । इससे जिला परिषद् के अन्दर खूबसूरती आयेगी । इसी दृष्टि से मैं यह बात कर रहा हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मुझे अफसोस होता है कि उस तरफ से एक ऐसा भाषण सुना । जब इस विधेयक पर विचार हो रहा था तो यह कहा जा रहा था कि जितनी गलती हो सकती है वह सारी सरकार की तरफ से हो सकती है । उन लोगों की तरफ से नहीं होगी जो चुनकर आयेंगे । फिर क्यों शिकायतें करते हैं, क्यों नहीं समझा जाता है कि वह ठीक काम करेंगे । आज दो दिन नहीं हुये कि उन्हीं बातों को इस माननीय सदन में दोहराया गया । आज से कहना शुरू कर दिया कि वह गलती करेंगे । यहां तक कि २०, ५० या ६० आदमी कोआप्ट नहीं करेंगे भले या सही आदमी को । अब मैं क्या करूं यदि क्षेत्र समिति के ४, ५ आदमी ठीक नहीं समझे तो उनके ऊपर हमसे आशा की जाती है कि हम डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट को उनके ऊपर छोड़ दें और सारी सर्विस उनके हवाले कर दें । जहां यह एटमास्फियर हो कि इतना भी ट्रस्ट हम उन पर न कर सकें कि वह सही आदमी को चुन लेंगे, तो यह आशा करना कि हम सब कुछ दे दें कहां तक सही है । और दो मिनट के बाद जब दूसरी जगह पर हम आयेंगे तो यह कहा जायगा कि यह फरिश्ते हैं और देवता हैं और यह तो कोई गलती कर ही नहीं सकते । तो यह दोनों विरोधात्मक धारणायें हैं और इसलिये यह कहना कि हम नहीं मानते, ठीक नहीं है, कोई वास्तविक बात हो, किसी विचारधारा को सामने रख कर लायी जाय तो हमें उसे न मानने का कोई विशेष आग्रह न होगा । वैसे मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन में मैं खुद चाहूंगा कि सुधार हो जाय । हम सुधार के खिलाफ नहीं हैं । हमारा कोई आग्रह नहीं और इसको हमने इसलिये खास तौर पर रखा कि एक क्षेत्र में बहुत से ऐसे आदमी होते हैं, हो सकते हैं कि जो सचमुच में योग्य हों लेकिन गांव के प्रधान न बनना चाहें ।

हर मीटिंग में एक अध्यक्ष चुना जाता था । अब खयाल यह है कि कम से कम एक अध्यक्ष ऐसा हो कि जो उन चीजों को समझ कर उन पर एक नियंत्रण रख सके कि किस तरह से काम चलेगा । मुझे मालूम है कि बहुत से आदमी इन चीजों से अलग रहते हैं, लेकिन क्षेत्र समिति के क्षेत्र बनने के बाद उनसे कहा गया, प्रार्थना की गयी कि आप हमारे यहां आ जायं, इससे हमारे क्षेत्र में काम अच्छी तरह से चलेगा तो वह कोआप्ट हो कर यहां आ सकते हैं और इससे वहां का काम ठीक तरह से चलेगा भी । और इस तरह के चार, पांच आदमी अगर हों तो उनको रख लिया जाय । अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वह चाहें तो कोआप्ट कर लें और न चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें । लेकिन वह कोआप्ट करना चाहते हैं और उसको हम रोक दें, ऐसा करना शायद उचित न होगा । क्षेत्र समिति में ८० या करीब १०० के आदमी होंगे, उसमें यह चार, पांच आदमी होते हैं और उनके लिये यह सोचना कि वे बर्बाद कर देंगे, जिनको वह खुद कोआप्ट करेंगे, न्यायसंगत न होगा । मैंने नामिनेशन की बात भी नहीं रखी है । इसलिये वह खुद कोआप्ट करेंगे और इसलिये अगर हम उन पर इतना भी विश्वास न करें तो ठीक नहीं है । अगर वह गलती करेंगे तो गलती करने दीजिये, करने देना चाहिये । और इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि वह इसके लिये आग्रह न करें और इस संशोधन को वापस लें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, संशोधन प्रस्तुत करते हुए माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपने विचार और भावनायें व्यक्त की हैं, में उनसे पूर्णतया सहमत हूं । यदि यह मान भी लिया जाय कि अनुमेलन जरूरी है, तो यह कोआप्शन उन्हीं स्थानों पर किया जाता है, जहां किसी वर्ग की कमी हो । उसको पूरा करने के लिये कोआप्शन किया जाता है । जो क्षेत्र समितियां बन रही हैं, उनमें प्रत्येक गांव के प्रधान शामिल होंगे, और लगभग ७० से लेकर १०० के बीच में उनकी संख्या होगी । तो मैं यह नहीं समझ पाया कि जो गांव का प्रधान चुन कर आयेगा वह विकास के काम में अभिरुचि न रखता होगा अथवा खेती के संबंध में उसे जानकारी होगी, यह कैसे संभव है ।

जो प्रस्तुत विधेयक है उसके खंड ६ के उपखंड (२) (१) में लिखा हुआ है कि "पांच से अनधिक व्यक्ति, जो अनुमेलित करने वाले सदस्यों को नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों ।" निश्चित रूप से नहीं कहा गया कि जो विकास और नियोजन में, उसके काम में, कृषि के काम में अभिरुचि रखते हों । यह छोड़ दिया गया है, और लिखा गया है, कि अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों, उनको शामिल कर लिया जाय । तो मेरा विश्वास है कि गांव का प्रधान जो बनेगा वह विकास के काम में पूर्ण रुचि रखता होगा, उसे कृषि का पूर्ण ज्ञान होगा । ऐसे पांच व्यक्तियों को इसलिये शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने एक संकेत किया, उसका उत्तर तो माननीय गेंदा सिंहजी देंगे लेकिन फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अनधिक रूप से सदस्यों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये यह अच्छा होगा कि वे इस खंड को निकाल दें । इससे एक शंका भी समाप्त हो जायगी और जो विकास और कृषि के कामों में रुचि लेने वाले लोग हैं वे जितने प्रधान लोग आयेंगे उनको विकास के काम में और कृषि के काम में रुचि होगी । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री जी ने अपनी तरफ से एक हाथ सा बढ़ाया है । जो यह कोआप्ट करने की धारा पर विवाद चल रहा है इसके अनुसार ५ आदमी कोआपप्ट किये जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद ही आप देखें तो कुछ और कोआप्ट करने की संख्यायें महिलाओं और अनुसूचित जातियों के बारे में भी है । तो यह अनुमेलन करनें की संख्या करीब करीब १०–१५ तक पहुंचती है और यहां जिस धारा पर विवाद हो रहा है उसके मुताबिक केवल वही आदमी अनुमेलित किये जायेंगे जो विकास के काम में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों । सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम उन पर बाध्यता डालने का खंड संशोधित करके उनकी इच्छा के ऊपर रख सकते हैं ।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन वे सुन नहीं रहे हैं और माननीय उपमंत्री जी का ध्यान भी दूसरी तरफ है । मेरा कहना यह है कि अगर इस संशोधन को ही थोड़ा संशोधित कर दिया जाय कि "अनुमेलित कर सकेंगे" तो मैं समझता हूं कि प्रस्तावक के संशोधन और सरकार के बीच में एक समझौता सा हो जाय जिसमें कि अनुमेलित करना अनिवार्य न हो, बल्कि एक आप्शन के रूप में हो जाय । अनुमेलित करने की आवश्यकता किसी क्षेत्रीय समिति को जभी हो सकती है जब कि वह देखें कि उसके सदस्यों में से कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो विकास के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी रखता हो । यदि समिति देखती है कि उनके बीच में सभी ऐसे योग्य पुरुष आ चुके हैं जो विकास के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं तो अनुमेलित करने की आवश्यकता रह ही नहीं जायगी । तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा संशोधन कर देने से ही दोनों की बात पूरी हो जायगी और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि जो यह प्राविजन है इसका रहना जरूरी है और इसलिये जरूरी है कि यदि जैसा कि गेंदासिंह जी का मौजूदा संशोधन है वैसा नहीं तो जैसा माननीय मंत्री जी ने सजेस्ट किया उस तरह का या जैसा कि माननीय मोतीलाल जी ने बताया वैसा मान लिया जाय और मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट को मान लेना चाहिये, तो जब सब चुने हुये सदस्य आयेंगे तो ऐसा हो सकता है कि क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यक्ति रह जायं जो कि समाज और विकास में अच्छा काम करने वाले हों और चुनाव की होड़ में वे लोग न पड़ना चाहें तो उनका सहयोग भी ब्लाक को मिलता रहे ।

वह अगर चाहें तो पांच आदमियों को कोआप्ट कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि इससे खतरा पैदा हो सकता है । इसमें खतरे की कोई बात ही नहीं है । उसमें तो सारे प्रधान होंगे, माननीय गेंदासिंह जी होंगे, हम भी होंगे, तो इन सब लोगों के होते हुये इस बात का कोई खतरा हो ही नहीं सकता कि वे लोग मनमानी करेंगे । वहां तो सभी लोगों की राय से काम होगा । जो अच्छे कार्यकर्त्ता होंगे उन्हीं को कोआप्ट किया जायगा, वह किसी एक सदस्य की बिल से नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं इससे कोई खतरा नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो इस खंड के संबंध में मैंने अपना संशोधन भी दिया था पर वह किसी कारण वश रह गया । मैं अब इसी पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करते हुये मैं यह उचित समझता हूं कि धारा ६ के उपखंड (२) को कतई निकाल दिया जाय क्योंकि यह बहुत ही दोषपूर्ण है । कारण यह है कि अगर किसी क्षेत्र समिति में किसी तरह से ५ महिलायें और ५ हरिजन चुन कर आ गये तो फिर उस क्षेत्र समिति को यह अधिकार नहीं होगा कि उसमें दूसरे पांच हरिजन और दूसरी पांच महिलायें कोआप्ट की जायं । इसमें ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि हर एक क्षेत्रीय कमेटी की जो बाडी होगी उसकी गिनती में बड़ी विषमता होगी और किसी में १५ सदस्य ज्यादा होंगे तो किसी में कम ।

अब यह कहना कि जिन लोगों में विकास तथा नियोजन के कार्य में अभिरुचि होगी, वे लोग पांच कोआप्ट किये जायेंगे, वैसे वे नहीं आ पायेंगे, तो यह तो कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो ऐसे लोग हैं और जिनमें जनता को विश्वास है, वे अवश्य चुन कर भी आ सकते हैं । इससे पता चलता है कि हमारी सरकार को जनता में विश्वास नहीं है । जो ऐसे लोग हैं, क्या उनको जनता चुन कर नहीं भेजेगी ? फिर ऐसे नियम को लाने की, मैं नहीं समझता कि क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, आपने अभी सुना होगा, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कभी-कभी योग्य पुरुष रह जाते हैं, बहुत से योग्य पुरुष होते हैं वे अपने लिये ही योग्य होते हैं, उनकी योग्यता किसी दूसरे के काम में नहीं आती उनको जनता क्यों चुनेगी और जिनकी योग्यता दूसरों के काम में आती रहती है, ऐसे मनुष्यों को जनता छोड़ती नहीं, उन्हें अवश्य चुनती है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जनहित में भी नहीं है । आप इस बात को मानेंगे, सरकार तो मानेगी नहीं, इस प्रकार से जो कोआप्ट किये गये सदस्य होंगे उनको जनहित की कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि उनको जनता से सम्पर्क ही स्थापित नहीं करना पड़ा । वे जनता के हितों का खयाल ही नहीं रखेंगे । इसलिये सरकार अगर जनता का हित चाहती है, तो निर्वाचन क्षेत्र छोटे-छोटे बनाये जायं ताकि अधिक से अधिक लोग वयस्क मताधिकार द्वारा चुन कर आयें ।

तीसरी बात मुझे यह कहना है कि सरकार कहती कुछ है और भावना कुछ और ही है, अगर मान लिया जाय कि किसी क्षेत्र समिति में किसी दल का केवल एक सदस्य द्वारा ही बहुमत बनता है तो, श्रीमन्, मुझे ऐसी आशंका है कि केवल एक सदस्य से बनने वाला दल १५ और सदस्यों को शामिल कर लेगा, इस प्रकार उस एक दल का बहुत बड़ा बहुमत हो जायगा जिससे, मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, वह अपनी मन मानी करने में नहीं हिचकेंगे । जैसा कि आये दिन आप देख रहे होंगे, हमारी सरकार के कार्यकलापों और कार्यों को सभी जानते हैं कि बहुमत के आधार पर

[श्री रघुवीर सिंह]

सरकार क्या नहीं कर रही है ? हम कितने ही अच्छे संशोधन और प्रस्ताव रखे लेकिन सरकार ने मान कर नहीं दिया । हमें तो अपने नेताओं की संरक्षणता में इतना साहस प्राप्त है कि इनके न मानने पर भी हम टिके हुये हैं लेकिन क्षेत्रीय कमेटियों में जहां कि भोले-भाले किसान होंगे या कम समय मिलने वाले लोग जो सदस्य इकट्ठे होंगे जब उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में कोई रोड़ा अटकाया जायगा बहुमत वाली पार्टी द्वारा तो उनमें ऐसी भावनायें पैदा हो जायंगी कि उनकी कोई बात नही मानी जायगी जिससे वह मीटिंग में आने से ही निरुत्साहित हो जायेंगे और भारी बहुमत के आधार पर एक पार्टी मनमाना काम करती रहेगी । उनके अन्दर वह क्षमता एवं योग्यता नहीं होगी कि अपने क्षेत्रों के सभी ग्रामों में एक ही तरह का विकास एवं नियोजन के कार्यों को करा सकें और अन्य क्षेत्रों की ओर भी समान दृष्टि से ध्यान दे सकें ।

एक बात रह गई कि सरकार का यह हठ ही हो कि कोआप्शन बिना किये नहीं मानेंगे क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सरकार जो चाहेगी वह करेगी, तो मंत्री महोदय के सामने यह निवेदन करूंगा कि अगर कोआप्शन को वह लादना ही चाहते हैं तो एकल-संक्रमण मत द्वारा लादें तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि संतुलन बना रहे । नहीं तो भारी बहुमत हो जायगा और बहुत सी आशंकायें पैदा होंगी । इसलिये इस बात को अवश्य मान लें कि हर एक दल के कोआप्ट किये हुये सदस्य उसमें आ सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी प्रार्थना करूंगा कि खंड ६ के केवल उपखंड (१) और (५) के सदस्यों को ही अनुमेलन में मत देने का अधिकार हो, सब को नहीं, इसको वह मान लें. . . .

श्री अधिष्ठाता—आपने अपने प्वाइंट रख ही दिये हैं, समय आपका समाप्त हो चुका । आप बैठिये ।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके द्वारा भवन के सामने एक काफी महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन है । मैं समझता हूं कि इस मामले में कठिनाइयां हो सकती हैं । पहली बात तो यह समझ में नहीं आती कि जो सज्जन अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य में कोई भी दिलचस्पी लेते हों वह किस प्रकार से चुन कर वहां से नहीं आयेंगे और उन का न आना ही इस बात को साबित करता है कि या तो वह कोई निर्माण कार्य में दिलचस्पी लेते नहीं, या वह अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि अलग रह कर, जनता के पास न जाकर, उनका वोट न लेकर वह किसी तरह से इसमें मनोनीत हो जायं या कोआप्शन में आ जायं ।

दूसरी बात यह है कि अभी तक जिन जिन बाडीज में कोआप्शन का तरीका रहा है वह सब या तो डेलीबरेटिव होती हैं या रेकमेंडेटरी होती थीं । अब इस समिति में निर्माण कार्य का करना ही नहीं, और बहुत से एग्जक्युटिव फंक्शन यह कमेटी करेगी और इसमें जहां तक वह सज्जन न बैठे हों जिन पर जनता का पूरा पूरा विश्वास हो या जो जनता के द्वारा चुन न कर आये हों, मैं समझता हूं कोई यह उचित बात नहीं मालूम पड़ती कि उनको कोआप्ट किया जाय ।

तीसरी बात यह है कि मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जिस कमेटी में कोआप्शन का प्राविजन रहा है उस में जो लोग कोआप्ट किये जाते हैं वह केवल मेजारिटी और माइनरिटी के बीच बैलेन्स करने लग जाते हैं और कहीं कहीं ऐसा हुआ है और उस ओर से माननीय सदस्यों ने जो कहा उसमें सत्यता मालूम होती है कि कोआप्शन इसलिये नहीं किया जाता कि उनको निर्माण कार्यों में दिलचस्पी हो बल्कि इसलिये किया जाता है कि किसकी मेजारिटी हो जायगी और कौन माइनरिटी में रह जायगा । मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि कोआप्शन का प्राविजन रखना ही है तो रूल के द्वारा या किसी प्रकार से यह अवश्य करदें कि किस पैमाने से कोआप्शन होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें जो यह विषैला दांत है इसको निकाल दिया जाय और हमारे सामने किसी पैमाने का प्राविजन कर दिया जाय या जो कन्ट्रोल करेंगे, डिप्टी

कमिश्नर या जो कोई भी हों, वह समिति से कह सकें कि कोआप्शन गलत किया । अगर कोई ऐसी चीज हो जाय तो मैं समझता हूं कि फिर यह धारा निर्दोष हो जायगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, मालूम होता है मंत्री जी इसको मान लेने के लिये उत्सुक हैं, अगर ऐसा हो तो फिर इस पर और बहस न की जाय ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अब मुझे यह आशा होने लगी है कि जब श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने उधर के अन्धकार को प्रकाश में बदल दिया है तो माननीय मंत्री जी का अन्धकार भी दूर हो गया होगा और प्रकाश में आकर वह इस संशोधन को मान लेंगे । इस संशोधन को न मानने से बहुत ही दुष्परिणाम होंगे । अगर कोआप्शन का यह सिलसिला रह गया तो पार्टीज भ्रष्ट होकर रह जायंगी । जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने बतलाया कि दूसरी कमेटियों में कोआप्शन से क्या होता है, उसके परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस कोआप्शन को खतम कर दें । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहा जाता है कि अच्छे आदमी गांवों से चुनकर नहीं आयेंगे जब कि हर ग्राम सभा से दो दो आदमी चुनकर आ रहे हैं, जनता की सेवा करने वाले आदमियों को जनता जबरदस्ती प्रधान, पंच और सरपन्च बनाती है । कोआप्शन में आयेंगे वह लोग जिनमें जनता की श्रद्धा नहीं होगी जो नाहक नेतागिरी करते फिरते हैं, मुकदमाबाजी कराते हैं और अधिकारियों और थानों की दलाली करते हैं । ऐसे ही व्यक्ति आखिर में कोआप्ट होकर आयेंगे ।

मंत्री जी ने कहा कि वह लोग उस क्षेत्रीय समिति के लोगों से चुने जायेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्षेत्रीय समिति के लोग जब गांवों से चुनकर आ रहे हैं, तो गांवों के उन चुनने वालों पर क्यों नहीं विश्वास किया जा रहा है । यह मंत्रिमंडल का अविश्वास होगा कि वे उनके चुनाव पर न विश्वास करें बल्कि अलग से पांच आदमियों को लाकर चुने हुये लोगों पर लाद देंगे । इस प्रकार की चीज करने का मतलब मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी यह मंशा है कि क्षेत्रीय समिति में जनता का प्रतिनिधित्व न रहे या उसकी मेजारिटी न हो पावे । वह मनमाने ढंग से मेजारिटी पैदा करना चाहते हैं और इसलिये यह पांच आदमी कोआप्ट कर रहे हैं । यह बिलकुल गलत है । माननीय सुरेश प्रकाश जी ने इस सम्बन्ध में जो कोई बन्धन रखने की बात कही है मैं उसका भी कायल नहीं हूं । क्योंकि अन्त में बंधन काम में नहीं आते हैं । क्षेत्रीय समिति की बैठक में २०-२५ मील चलकर लोगों को आना पड़ता है, बीच में दो दो, तीन तीन नदियां और जंगल पड़ते हैं जिन्हें पार करना होता है ।

मुझे तीन चार साल का तजुर्बा है कि ब्लाक की मीटिंग्ज में कोई कोई प्रधान कभी नहीं आये, इसलिये यह उम्मीद करना कि सभी लोग आ जायेंगे और सबकी राय से कोआप्शन हो जायगा बिलकुल गलत होगा । होता यह है कि नजदीक के दस पांच लोग आगये और कोआप्शन हो गया यद्यपि जनता उनको चाहती नहीं, वह जनता में बदनाम होते हैं । और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिये नजदीक के लोगों को बुलाकर अपना कोआप्शन करा लेंगे । लेकिन यह सब जानते हैं कि जिन आदमियों पर उनका ज्यादा असर होता है उनको वे दबाव के जरिये आगे रखते हैं और उन आदमियों को बुला कर अपना नाम रखवा देते हैं । उनको भी फिर वही अधिकार मिल जाते हैं जो जनता द्वारा चुने हुये लोगों को होते हैं और सारी क्षेत्र समिति पर उनका असर हो जाता है ।

देहात के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां के लोग सही बात अपने लोगों के सामने भी नहीं रख पाते हैं । लेकिन जब ऐसे गलत किस्म के लोग वहां पहुंच जायेंगे, दूसरी प्रकार से कोआप्शन से नामीनेशन के जरिये वहां पहुंच जायेंगे, उनके सामने वे बोल भी नहीं सकेंगे । यह एक प्रकार की नामजदगी ही है क्योंकि १०-२० आदमियों से नाम कहला कर उनको रखवा दिया जायगा । अगर उसके बजाय मंत्री जी उनको नामजद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

[श्री अब्दुलरऊफ लारी—]

हां अगर मंत्री जी यह कर दें कि जब तक उस क्षेत्र समिति के सारे सदस्य उसको नामीनेट न करें तब तक नहीं रखा जायगा, तब तो ठीक होगा और मैं भी उसको मान लूगा क्योंकि वह सारी क्षेत्र समिति की राय से आये होंगे । वरना हमेशा यही होगा कि जो इन्टरेस्टेड होंगे वे अपने मिलने वालों को, जिन पर उनका असर होगा, बुला कर ले आयेंगे और कोआप्ट हो जायेंगे । क्योंकि कभी भी सारे लोग जमा नहीं हो पायेंगे । इसलिये यह बहुत बड़ा अन्याय हो जायगा और इस तरह से वह क्षेत्र समिति अपने काम को ठीक प्रकार से चला नहीं सकेगी । इसलिये जो मासूम सा संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है उसको मंजूर कर लिया जाय । किन्हीं शर्तों के साथ या संख्या को कम रखने से कोई लाभ न होगा । वह सौ घड़े दूध में एक बूंद विष के समान ही होगा और क्षेत्र समिति को खत्म कर के रख देगा । क्षेत्र समिति राजनीति का अखाड़ा बन जायेगी ।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों से प्रधान लोग चुन कर आते हैं, या दूसरे जो लोग चुन कर आते हैं, उनको दबाने के लिये अलहदा से मेम्बर नामजद किये जायेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी । अधिष्ठाता महोदय, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों, हर एक को यह मालूम है कि चाहे कोई खंड बना हो उसमें जब तक कुछ ऐसे लोग जाकर नहीं बैठते, जो उसका काम कराने में बल नहीं देते हैं, तब तक कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं हो पाता है । इसलिये अगर इस तरह के लोग किसी वजह से चुन कर नहीं आ पाते तो उनको कोआप्ट कर लिया जाता है । इसलिये उनकी आवश्यकता रहती है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अपील करूंगा कि वह इस कारण से अपने संशोधन को वापस ले लें कि इस प्रकार से वहां कुछ अच्छे काम करने वाले आ जायेंगे । अगर २-१ अच्छे आदमी छूट गये हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो उनको उस खंड में कोआप्ट करके लिया जा सकता है या नामजद करके उनको ले लिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमान जी, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने भाषण दिये उनको सोचने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वह चाहते हैं कि कोआप्शन हो । सबसे बड़ी दलील जो इस संबंध में दी गयी वह यह है कि चुनाव में कुछ ऐसे लोग छट जायेंगे जिनकी दिलचस्पी विकास में बहुत ज्यादा हो तो उनको हम कैसे लेंगे ? जब ५०-५० और १००-१०० मेम्बर ग्राम पंचायतों और कोआपरेटिव संस्थाओं से लिये जायंगे तथा दूसरी संस्थाओं के लोग भी उसमें आयेंगे, तब ऐसी कोई आवश्यकता बाकी नहीं रह जाती है कि इस प्रकार से पूर्ति के लिये कोई गुंजाइश रखी जाय ।

इसके अलावा अगर जरूरत ऐसी होगी तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसा सुझाव आये मैं कहता हूं कि अगर कोई क्षेत्र समिति विशेष रूप से यह चाहती है कि ऐसा कोई आदमी रहना चाहिये, तो उसके लिये वह सर्वसम्मति से पास कर दे तो ठीक है । उसे कोआप्ट कर लें। वरना यह होगा कि जहां यह कहा गया है कि एक अच्छे आदमी के रहने से वहां बहुत फायदा हो जायगा, मेरी समझ से अगर एक आदमी ऐसा आ जाय जो सारे क्षेत्र में गड़बड़ी कर दे और गलत पार्टीबन्दी का तमाशा कर दे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो जायगा । हमारा देहात ऐसा है कि देहात के लोग इतनी भावुकता और मुरव्वत में बह जाते हैं कि वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा आदमी हमारा फायदा कर रहा है और कौन नुकसान कर रहा है ? इसलिये अगर यह कोआप्शन की बात रह गयी तो हम लोगों की बड़ी हानि हो जाने का डर है । माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि अगर ५ के बजाय वे २ कोआप्टेड मेम्बर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की बात मान लें तो इससे हम लोगों का डर कुछ कम हो सकता है। इससे उनकी मंशा भी पूरी हो जायगी और हम लोगों को भी कुछ सान्त्वना मिल जायगी। अगर वे इसको स्वीकार कर लें तो जिस तरह से वे कहेंगे उस तरह से संशोधन को ठीक कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेने की कृपा करेंगे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—१ और २ बजे के बीच में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मैं श्री गेंदा सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, यों तो कोई इच्छा नहीं थी इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करने की, लेकिन उधर से माननीय रामेश्वर प्रसाद ने इस संशोधन का विरोध किया इससे मुझे प्रेरणा मिली। मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन को यह सूचना दूं कि माननीय रामेश्वर प्रसाद उन हरिजन सदस्यों में से हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि अब किसी प्रकार का हरिजनों को कहीं भी संरक्षण दिया जाय और इसके बावजूद भी वे इस सदन के बाहर अखबारों के द्वारा या और किसी तरह से संरक्षण की मांग करते हैं। चूंकि विरोधी दल की तरफ से यह संशोधन आया है इसलिये इसका उनको कांग्रेसी सदस्य की हैसियत से विरोध करना जरूरी है। बाद में अखबारों द्वारा प्रचार होगा और प्रेस रेप्रेजेन्टेटिव्ज को चाय पर बुलाया जायगा और अखबारों में इस बात के प्रचार की कोशिश की जायगी कि जो विरोधी दल में पी० एस० पी०, सोशलिस्ट आदि प्रगतिशील पार्टियां हैं वे हरिजनों के अहित का प्रयत्न करती हैं। इसकी चर्चा कल ही से होने लगेगी और श्रीमन्, आपके कानों में भी वह बात सुनायी पड़ेगी। इसलिये मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में यहां पब्लिक भी बैठी हुई है, वह इस बात को सही तौर पर समझ ले कि कांग्रेसी बेंचों पर बैठने वाले जो हरिजन नेता या सदस्य हैं वे यहां आज इस आदरणीय सदन में तो इन हरिजनों के संरक्षण का विरोध करते हैं और बाहर इसके विरुद्ध उनके संरक्षण की मांग करते हैं। इसलिये मैं इसकी सूचना सदन को दे देना चाहता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि जो सब-सेक्शन अभी पेश ही नहीं हुआ है इस सदन के सामने उस पर क्या माननीय सदस्य स्पीच दे सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि वे उसी पर अपनी स्पीच देते चले जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं भी इस बात को नोट कर रहा था और उनसे कहने ही वाला था। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वे संशोधन के ऊपर ही बोलें।

श्री रामशरण यादव—मैंने तो केवल सूचना दे दी अपनी बात की पुष्टि में, मेरा कोई इरादा इस संशोधन के बाहर जाने का नहीं था। माननीय रामेश्वर प्रसाद जी को शायद कुछ बोलना था, अगर वह कुछ स्पष्टीकरण दें तो बड़ी कृपा होगी। तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी और उधर के सदस्य सोचते होंगे कि इस अनुमेलन के न रहने से अपोजीशन फायदा उठा जायगा। वह यह गर्व करते हैं कि उन्हीं की पार्टी होगी, इससे अपोजीशन को कोई डर नहीं है। इनके द्वारा जो भी अनुमेलन वहां पर होगा हम उसको फेस करेंगे। अगर वह बहुमत कर सकते हैं कहीं पर तो अपोजीशन को भी वह अधिकार रहेगा।

***श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, अव्वल तो मंत्री जी चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। तैयार भी हुए तो अपनी चुनाव मशीनरी बना रहे हैं। मंत्री जी को चुने हुए व्यक्तियों में तनिक भी भरोसा नहीं रहा। वह समझते हैं कि चुनकर आएंगे, प्रधान आएंगे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमीसिंह]

उनमें कुछ हिम्मत होगी। मंत्री जी ने विधेयक में इस प्रकार की अच्छे ढंग से व्यवस्था कर रखी है कि बाएं बाएं और चोर दरवाजे से, ऐसे लोग आएं कि जो सरकारी पार्टी को मजबूत बनाएं। क्षेत्रीय समिति के जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनके इशारे पर यह अनुमेलन किया जायगा क्योंकि २–४ आदमी ऐसे लालची होंगे प्रधान वगैरह जिनको अनुदान वगैरह दिला देंगे और कह देंगे कि ऐसे लोगों को लेना है जो सरकारी हुक्मों की तामील करें और जो सरकारी पार्टी है उसके पक्ष में हमेशा बोलें। तो मंत्री जी ने सारी व्यवस्था सन् ६२ के चुनाव की तैयारी की है।

मंत्री जी एक गांधीवादी हैं। चुने हुए लोगों पर, महात्मा गांधी का सिद्धान्त था, भरोसा करें और उनके कंधों पर जिम्मेदारी डालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति आएंगे वह किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की रक्षा करें और इस अनुमेलन वाली धारा को वापस ले लें।

श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत दिनों से हमारे जिला परिषद चलते आये हैं, उनमें भी कोआप्शन होता रहा। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो चुनाव में नहीं आ सकते, इसलिये उनके लिये कोआप्शन रखना बहुत जरूरी है। इस आधार पर मैं इसका बिरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)––श्रीमान् जी, यह जो कोआप्ट करने की बात कही गई है इसके साफ माने यह हैं कि सरकार अपने नौकरों को बढ़ावा देना चाहती है। इसका विश्वास जनता पर है नहीं और न जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर है। यह चाहती है कि कोआप्ट करें, किसी प्रकार से अपनी ताकत को मजबूत करें।

श्रीमान् जी, आज नौकरों की जारशाही सी मची हुई है। नौकर नौकरों को दंड नहीं दिलाता है। नौकर रईस है, धनी है, गुणी शासक है।

श्री अधिष्ठाता––आर्डर, आर्डर। आप कृपया संशोधन पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल––संशोधन की ही बात है।

श्री अधिष्ठाता––इससे इसका संबंध नहीं है। आप कविता में ही कहें, लेकिन उसी बात को कहें जो सदन के सामने है। मेरी जिम्मेदारी है, जो संबंधित बात नहीं है उसको रोकूं और आप चाहते हैं वही बात कहें जिसका कोई संबंध नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल––आप जरा मेरी बात समझें तो। जो सरकार आज नौकरशाही की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार करने जा रही है। उसका एक नौकर जो कह देता है सरकार वही करती है और उन्हीं नौकरों को मजबूत करने के लिये जिला परिषद में कोआप्ट करने का सवाल रखते हैं। 'अंतरिम' शब्द निकाल दिया है, तो उसक निकाल कर यह चाहा है हमारा ज्यों का त्यों प्रशासन चलता रहे। यह तो रावण की सी कल्पना है और जब उसकी मौत आयी तो उसको पता भी नहीं लगा और जब सरकार मरेगी तो पता नहीं लगेगा कि नौकरशाही कहां चली गई। अंग्रेजों के साथ भी यही हाल हुआ। तो नौकरशाही को मजबूत करने के लिये कोआप्ट करने का मसला न रखें। यह प्रथा और गन्दगी पैदा करेगी। इसलिये मंत्री जी से भी और श्रीमती सरकार आलिया से कहूंगा "बीबी का गुलाम बाबू और बाबू का गुलाम मंत्री और मंत्री का गुलाम देश हाय मारा जाता है।" तो कोआप्ट करने की बात खत्म कीजिये, जनता में विश्वास कीजिये, उसको जिम्मेदारी दीजिये और देखिये आपसे ज्यादा से ज्यादा काबिल आदमी पड़े हुए हैं वह आगे आयेंगे। जो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा

है, सरकार अंधेरे में अंधे की तरह से नौकरशाही की पूंछ पकड़ कर बहती जा रही है तो रास्ता अगर लेना चाहते हैं वह सही जनता से लीजिये और उसमें विश्वास कीजिये।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन हमारे साथी गेंदा सिंह जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ दृष्टिकोण में अन्तर है। उनका दृष्टिकोण शायद, जैसा कि मैं समझता हूं, केवल राजनीतिक है और उसी दृष्टिकोण से कोआप्शन के प्राविधान को देख रहे हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वह है निर्माण का, विकास का। हो सकता है चुनाव हो, प्रधान चुने जायं और अनेक व्यक्ति ब्लाक कमेटी में आयें। लेकिन यह भी हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी हमें आये दिन आवश्यकता पड़ेगी, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं, एक व्यक्ति है जो शिक्षा में बहुत कुछ रुचि रखता है और चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने ब्लाक में कुछ विकास करे। हो सकता है किसी कारण वह चुनाव में न आ सके और ब्लाक कमेटी का सदस्य न हो सके तो हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो हमारे ब्लाक एरिया में हों हम उनको ब्लाक में लें और उनकी उचित सलाह से फायदा उठायें। तो यह तभी हो सकता है जब कि कोआप्शन का प्राविधान अपने अधिनियम में रखें। ऐसी अवस्था में, जैसा मान्यवर, मैंने कहा, केवल एक दृष्टिकोण का अन्तर है। हो सकता है संख्या कुछ हो, २ कोआप्ट हो जायं या ४,५ हो जायं, लेकिन जहां तक सिद्धान्त का संबंध है, इस सिद्धान्त के अन्तर्गत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस प्रारम्भिक अवस्था में जब कि एक नया ढांचा गांवों के अन्दर बनने जा रहा है और जब कि हम गांवों में सत्ता को विकेन्द्रित करके देना चाहते हैं तो हम को उन सूझ बूझ वाले आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी जो किसी कारण चुनाव में न आ सकें तो उनको कोआप्शन के द्वारा उसमें ला सकें। इस लिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन पर पुनर्विचार करके वापस ले लें, संख्या के बारे में सुझाव दें तो माननीय मंत्री जी उस पर अवश्य बिचार करें। लेकिन जहां तक कोआप्शन के सिद्धान्त का ताल्लुक है इस प्रारम्भिक अवस्था में उसे न हटावें और इसको रहने दें, क्योंकि इसी से कल्याण होगा।

*श्री गरीबदास (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में बोलना चाहता हूं। मान्यवर, विधेयक में इस प्रकार से रखा गया है कि "पांच से अनधिक व्यक्ति जो अनुमेलित करनेवाले सदस्यों को नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों" मनोनीति किया जाय। होना यह चाहिये था कि जब तक वह विकास या अन्य कार्यों में अभिरुचि रखने वाले न हों तब तक उनको अनुमेलित न किया जाय। यह समझ में नहीं आता कि चुन करके जो आयेंगे क्या वे नियोजन में अभिरुचि नहीं रखते होंगे। मैं यह समझता हूं कि यह जानबूझ करके पार्टीबन्दी पैदा करने के लिये कुछ ऐसे व्यक्तियों को लाया जायगा जो जनता से सम्पर्क स्थापित न करें बल्कि नेताओं के जरिये से क्षेत्रीय समिति में अपना प्रभाव कायम रखें। उनकी जो अभी सरकारी पक्ष से बोले हैं यही दशा है कि जैसे एक कहानी है कि हाथी को न जाननेवालो नें जब हाथी की पूंछ पकड़ी तो कहने लगे कि यह पूंछ जैसा है और सूंड़ पकड़ी तो कहना शुरू कर दिया कि यह तो सूंड़ जैसा है। ठीक उसी तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें जो व्यक्ति शिक्षा में अभिरुचि रखते होंगे उनको रखा जायगा। दूसरे एक सज्जन ने कहा कि इसमें पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को लिया जायगा। इससे यह स्पष्ट है कि इसके संबंध में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है अपने अपने विचार उनके हैं उसी से समझते हैं कि उनके पक्ष के आदमियों को चुन लिया जाय। यही मंशा सरकार की भी है कि बहुमत के पक्ष के आदमियों को उसमें रखें तो क्षेत्रों में अपना प्रभाव कायम रहे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि जो व्यक्ति विकास और नियोजन में अभिरुचि रखते होंगे उन्हीं को क्षेत्रीय समितियों में निर्वाचित किया जायगा। वे जब निर्वाचित हो कर आ सकते हैं तो फिर क्यों अनुमेलित सदस्यों को मौका दिया जाय। इसीलिये मैं संशोधन जो गेंदा सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, संशोधन के पक्ष में जो तर्क उपस्थित किये गये है उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। बड़ा सीधा सा प्राविजन है कि इसमें कुछ व्यक्तियों को कोआप्ट किया जाय। उसके विरोध में जो दलीलें दी गयी हैं वह मुझे बिल्कुल तथ्यहीन मालूम पड़ती है। इस तरीके पर तो जितने लोग गांव सभाओं में चुन करके आ गये हैं वह तो अपने पदों के अनुसार सदस्य मान ही लिये गये हैं, पर अधिकतर गांवों में वह लोग जिनकी रुचि विकास में होती है, मसलन अच्छे किसान हैं, जो शिक्षा में अभिरुचि रखते है, हरिजनोद्धार में अभिरुचि रखने वाले हैं अथवा विकास के कार्यों में अभिरुचि रखने वाले हैं दलबन्दी और इलेक्शन के झगड़ों से जान छुड़ाते हैं वह उनमें पड़ कर अपनी छीछालेदर नहीं कराना चाहते। उन लोगों के तजुर्बे से अगर क्षेत्रीय समिति में फायदा उठाने की बात मंत्री महोदय सोचते हैं और इस दृष्टिकोण से उनको यहां रखना चाहते हैं कि उनके ज्ञान तथा अनुभव का क्षेत्रीय समिति को फायदा पहुंचे तो इस बिल में जितने क्षेत्रीय समितियों के अधिकार हैं उनको देखते हुए वे उनका विरोध करेंगे एक शंका के ऊपर कि सरकार चोर दरवाजे से उनको घुसेड़ना चाहती है और उन्हीं को अधिकार देना चाहती है। यह तो आप फिर देखते नहीं है कि उनके जरिये से उनके अनुभवों तथा लियाकत का फायदा क्षेत्रीय समितियों को मिल जाय, तो इसमें कुछ नुकसान नहीं मालूम पड़ता। उसके बरखिलाफ एक ही नतीजा होगा कि हमारी दृष्टि से पीलिया रोग उनकी आंख में हो जायगा और हर बात को पीला ही पीला वह देखेंगे। यह कुछ अच्छी निशानी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर इस उप खन्ड २ की उपधारा १ इस खन्ड ६ में से निकाल दी जाय तो इसका क्या असर पड़ता है? हमको यह देखना है कि खण्ड ६ (१) में कुछ उपखन्ड दिये गये हैं, इसी प्रकार खण्ड ६ के उपखन्ड २, ३, ४ करके दिये गये हैं। तो इसको १ को हम निकाल देते है तो उसका असर कोआप्शन से क्षेत्रीय समिति को दिया जा रहा है वह उसके द्वारा छीना जा रहा है। इतना हम समझ पाये कि आज हम इस अधिकार को छीन लेते हैं तो जो प्लानिंग के बहुत बड़े जानकार होंगे उनका कभी मत नहीं होता है कि चुनाव के पचड़े में लोग पड़ें, जैसा कि हमारे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में है।

दूसरे, जो हरिजन बन्धु हैं इस समिति में, उनका पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन चुनाव के द्वारा न हो सकने के कारण कोआप्शन का अधिकार दिया जा रहा है। वह भी अधिकार छिन जायगा तो इसके द्वारा तीन प्रकार के व्यक्तियों पर असर पड़ेगा और यदि यह छिन गया तो तीन प्रकार के व्यक्तियों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं पड़ेगा और जो क्षेत्रीय समिति उनसे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहती है वह पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पायेगी। इसके माने यह होते है कि वे चुनाव भी न लड़ पायेंगे। तो मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने संशोधन को वे वापस ले लें, वर्ना कुछ मेहमान भी बन जायेंगे, रिफ्यूजी भी बन जायंगे और हरिजन बन्धु भी बन जायंगे, क्योंकि कोआप्शन जो है। चुनाव ही द्वारा यह होगा कि रिप्रेजेंटेशन हर एक को मिलेगा, चाहे बहुमत कांग्रेस भाइयों का ही हो और लोग न पहुंचें। छोटे तरीके से चुनाव भी होगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उससे यहां तक तो इत्तिफाक करता हूं कि यह कोशिश हमारी होनी चाहिये कि क्षेत्र समितियों में ज्यादा संख्या न हो और जो भाषा है विधेयक में और जिनको नियोजन में दिलचस्पी है इस भाषा से, मैं समझता हूं कि जो बात हमारे भाई चाहते हैं वह उससे स्पष्ट नहीं होती है। मेरा अपना विचार यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्र समितियों में हमें ऐसे टेलेन्ट्स मिल सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों। मिसाल के तौर पर कोई रिटायर्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं जो आमतौर से चुनाव में आना पसन्द नहीं करेंगे, तो उनकी सेवायें मिल जायं तो अच्छा ही है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि ५ अनधिक व्यक्तियों का कोआप्शन होगा और ५ हरिजनों का होगा, अगर वह उचित समझें तो अनधिक ५ व्यक्तियों के बजाय दो कर दें। इसलिये कर दें कि ज्यादा संख्या अच्छी नहीं होती। कोई अच्छा किसान है, यदि उसे उत्तम खेती पर प्राइज मिला हो तो वह इसमें शामिल हो सकता है। इसलिये ऐसे दो आदमियों के कोआप्शन का अधिकार दे दिया जाय जो या तो रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सरवेंट्स हों और किसी विषय के विशेषज्ञ हों या ऐसे आदमी हों जिनका जीवन सार्वजनिक कामों में बीता हो। ऐसे लोग इसमें आ सकें। पेश तरमीम में मेरी तरमीम इस तरह की है और अगर मंत्री जी को स्वीकार हो तो ५ के बजाय संख्या दो कर दी जाय तो उनकी बात भी स्वीकार हो जायगी और जो दलीलें दी गई हैं उनका भी समावेश हो जायगा।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, नवलकिशोर जी को सुनने के बाद यह प्रत्यक्ष हो गया है कि गेंदासिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी के बोलने के बाद हाउस को नजर आया था कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेजरी बेंचेज से नवलकिशोर जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के बोलने पर कि कोआप्शन को ५ से घटाकर दो कर दिया जाय, यदि हम कहते हैं कि कोआप्शन न हो तो क्या गलत कहते हैं? हम यह नहीं कहते हैं कि कोआप्टेड लोग गलत काम करेंगे, बेईमान होंगे, लेकिन जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में हम मनोनीति सदस्यों को नहीं चाहते हैं। इसलिये कि उन को ज्यादा मेनहत नहीं करनी पड़ती है और सब विचित्रनारायण जी जैसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मनोनीति और कोआप्ट व्यक्तियों में कोई भेद नहीं है। प्रोसीजर में फर्क हो सकता है, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ना होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि जनता से चुनकर लोग आयें अगर दो करने में आपत्ति हो तो चुने हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें।

जैसे अभी कहा गया कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की जरूरत पड़ सकती है तो विभागीय अधिकारी तो वहां रहेंगे ही। क्षेत्र समिति में तथा जिला परिषद् में अधिकारी रहेंगे ही। अगर इनमें डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रहेंगे तो खंड समिति में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स होंगे। यह तो एक प्रोसीजर है। इसमें कोई कोआप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो वहां रहेंगे ही। यहां पर ऐसे लोगों को कोआप्ट किया जा सकता है जो जनतांत्रिक पद्धति को समझते न हों या जैसा कि मैंने कहा, क्षेत्र समिति में पार्टी पालिटिक्स भी चल सकती है। एक व्यक्ति आप कोआप्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, तो काम नहीं चल सकेगा। उस क्षेत्र समिति का कार्य सुचारु रूप से चले वहां के सदस्यों में वैमनस्य न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि यहां पर कोआप्शन को समाप्त कर दिया जाय। माननीय नवलकिशोर जी ने जो पांच को बदल कर दो रखा तो सिद्धांततः वह भी मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आपकी ही पार्टी के सब लोग होंगे। कल को कोई हो सकता है। लेकिन ऐसा विधेयक पास कर रहे हैं जो १३ साल के बाद पास होने जा रहा है और उनके स्वप्नों को साकार करने जा रहा है जो समझते थे कि हमारे जिले और खंड का प्रबन्ध हमारे हाथ में होगा। तो कहीं ऐसा न हो कि १३ साल के बाद फिर गांव में जाने पर माननीय शर्मा जी को और हमको गालियां खानी पड़ें।

इन शब्दों के साथ मैं विचित्रनारायण शर्मा जी से, जो बहुत उदार रहते हैं, प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा यह हम नहीं कहते कि वह बेईमान होंगे लेकिन सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं चल सकेगी, अलग-अलग विचार और हित के लोग आयेंगे और अपने आदमी को कोआप्ट करना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको स्वीकार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गेंदासिंह जी के प्रस्तुत संशोधन का विरोध कर रहा हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक पार्टी का लीडर इतना निराशाजनक संशोधन क्यों रखे हैं। संशोधन में उनकी यह भावना व्यक्त होती है कि शायद वह निराश हो गये हैं कि हमारी पार्टी क्षेत्र समितियों में आयेगी ही नहीं, क्योंकि बार बार यह जोर दिया गया कि सरकार अपने आदमी घुसेड़ देना चाहती है, अपने आदमियों को चोर दरवाजे से ले जाना चाहती है। इसके मानी यह हैं कि भाई गेंदासिंह को खुद विश्वास हो गया है कि ट्रेजरी बेंचेज का बहुमत क्षेत्र समितियों में होगा। अगर ऐसा विश्वास हो गया है तो कोआप्शन रखें या न रखें तब भी उनकी, अर्थात् सरकार की, मैजारिटी रहेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसकी मैजारिटी होगी वही कोआप्ट करेगा। और जब उनको यह विश्वास है कि मैजारिटी ट्रेजरी बेंचेज की होगी क्षेत्र समितियों में, तो अगर पांच आदमियों का कोआप्शन होगा या न होगा, उसका क्या असर पड़ेगा?

रही सभापति के चुनाव की बात, या तो आपने देहातों के दर्शन नहीं किये या किये तो ग्राम पंचायतों के सभापतियों के चुनाव की रूपरेखा नहीं देखी। अगर देखी है तो जानकारी होगी कि हरिजन, और बहुत-सी महिलाएं राजनीति में भाग लेना चाहती हैं, लेकिन गांव सभाओं के चुनाव में वह खींचातानी में पड़ कर अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोना चाहतीं। इसके अलावा महिलाओं को छोड़ दीजिये, ऐसे किसान हैं जो खेती के विशेषज्ञ हैं और इतने विशेषज्ञ हैं कि वह अपने नाम को अखबारों में नहीं देना चाहते, लेकिन गांवों में वह खेती करने में इतने निपुण और प्रवीण हैं कि शायद गवर्नमेंट के फार्म वाले या और बड़े-बड़े फार्मर जो हैं वह भी उनके मुकाबिले में उतनी पैदावार नहीं कर सकते, जितना कि चार बीघे में वह कर लेते हैं, लेकिन वह चुनाव में पड़ना नहीं चाहते। तो मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी गांवों में मिलेंगे जिनको कि समस्त पार्टी वाले, सभी सभापति और पूरी क्षेत्रीय समिति सर्व-सम्मति से स्वीकार करेगी और जो कि उनको राय दे सकेंगे और फिर यह एहसान भी उनके ऊपर होगा कि अगर वह चुनाव में खड़े होते तो उनको पराजित करते। इसलिए जब नहीं खड़े हुए हैं तो हमको उन्हें कोआप्ट करना चाहिए।

फिर क्षेत्रीय समिति में रुपये का बटवारा होगा। ब्लाक का रुपया वह गांव समाज को वितरित करेगी। इसके अलावा चिकित्सा है, मेंड़बन्दी है, खेतों का रखरखाव है, प्राइमरी की शिक्षा है, इन मामलों में गांव के हर आदमी की राय लेनी आवश्यक है। इसलिए मैं जहां तक अपने विचार से समझता हूं, पांच आदमियों का कोआप्शन कम रखा गया है। चाहिए तो यह था कि दस आदमियों को या गांव पीछे एक आदमी को कम से कम कोआप्ट किया जाता तो अनुचित न होता। लेकिन पांच ही अगर रखा गया है तो पांच बहुत नहीं हैं। कम नहीं हैं तो ज्यादा भी नहीं हैं। पांच को घटा देना कोई उचित नहीं होगा और अगर कोआप्शन बिल्कुल निकाल दिया तो यह महान् अनुचित होगा क्योंकि जो व्यक्ति सर्वप्रिय हैं, उनके आने का यही एक साधन है। इसलिए मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने यह कहा कि जो तजुर्बेकार आदमी हैं, विशेषज्ञ हैं गांवों में, वह नहीं आ सकेंगे तो उनको इस कोआप्शन के जरिये से लाया जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, कि यह जो चुनाव की प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत कि यह १२, १३ साल जनतंत्र में जो गुजरे हैं, इसमें अपने इतनी अकर्मण्यता भर दी है देश के अन्दर कि आज जो हालत है वह इतनी खराब हालत है कि जहां चुनकर के भी आते हैं लोग वहां वह आपकी मीटिंग में शामिल नहीं होते। लेकिन चूंकि उसूली तौर से हम सभी ने इसको माना है कि चुनाव के जरिये से ही हर कमेटी में लोग आवें तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि अगर वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वप्रिय होंगे उस इलाके के वह विशेषज्ञ साहब या तजुर्बेकार साहब कृषि के या और किसी भी चीज के तो उनको चुनाव में खड़ा होने से कौन रोक लेगा? अखाड़े में आवें, कुश्ती लड़ें और उसके बाद जीतकर आवें, लेकिन इस बात से तो हमको बड़ा शक होता है सरकार की नीयत पर कि कहीं कोई ऐसी लिस्ट तो नहीं चल रही है देश के अन्दर आपकी कि कुछ तो चुनाव के जरिये से आ जायं, भूलभुलैया में डालकर किसी तरह से उनको चुनवा लें, और दूसरी एक लिस्ट ऐसी भी रखते हों कि जिनका कि कोआप्शन करा लें।

अभी-अभी जिन माननीय सदस्य ने यह कहा कि माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन गैर-सियासी है, उनकी बात कुछ मेरी समझ में नहीं आयी कि उन्होंने उसे गैरसियासी किस तरह से मान लिया। वह चाहते हैं कि कोआप्ट न हों। आप कहते हैं कि कोआप्ट किये जायं। यह बात साफ तौर से माननीय गेंदा सिंह जी ने कही है कि सीधे चुनाव करा करके सदस्यों का निर्वाचन हो। अभी-अभी माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि पांच की जगह दो रख दिये जायं, वह भी कुछ समझ में नहीं आया। उसूल के अन्दर जब संशोधन को मान लेते हैं और उसूल यही है कि चुनाव के अन्दर यह कोआप्शन का तरीका कुछ अच्छा नहीं मालूम होता तो यह किस प्रकार से उचित कहा जा सकता है। आपने पहले भी अदालती पंचायतों में नामजद मेम्बरों को कराया था या और भी जहां आप कोआप्ट करते हैं वह कोई सियासी नजरिया में नहीं समझता। अगर आप इस संशोधन को मान लेंगे तो जनतंत्र की रक्षा होगी और जो देश को विकेन्द्रीकरण की या समाजवाद की कुछ रोशनी दिखाना चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए कि कोआप्शन करें। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह कोआप्ट करने की जो धारा है इसको निकाल दें और माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन को मान लें।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है मैं इससे सहमति नहीं रखता। इसका कारण यह है कि वह यह चाहते हैं कि हमारी विकास समितियां जो बनी हुई हों उनको कोआप्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोआप्शन का अधिकार न दिये जाने का मतलब यह है कि हम उनमें विश्वास नहीं करते कि वह सही आदमी को कोआप्ट करेंगे। एक तरफ तो वह विकास समितियों को अधिकार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह अविश्वास लाते हैं कि उनको कोआप्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इस राय का हूं कि कोआप्ट होना जरूरी है। उसका कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास योजनाओं में अपनी इच्छा रखते हैं और उस कार्य में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन अपने गांव के उस चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनको यह हक होना चाहिये कि उन आदमियों को, जो विकास समिति में अच्छा काम कर सकें, कोआप्ट कर सकें।

दूसरी बात यह है कि कोआप्शन की बात को यदि छोड़ दिया जाय तो हमारे यहां महिलायें, हरिजन या जिनको और स्थान दिये गये हैं, जिनका विकास समिति में आना जरूरी है, उनका आना समाप्त हो जायगा। इस कारणवश मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

*श्री बलदेवसिंह—अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन पर काफी विवाद हो चुका और बहुत से भाइयों की राय सुनी, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोआप्शन इसमें होना आवश्यक है और वह इसलिये कि जैसा लोगों ने बतलाया कि सभी लोग अखाड़े में उतरकर आयें अगर वह आना चाहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यह मुनासिब नहीं समझते कि मल्लयुद्ध में आकर लड़ें। यह उनकी बहुमूल्य राय हो सकती है। मुमकिन है इससे उस इलाके की जिला परिषद् को लाभ पहुंचे, लेकिन एक बात की मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि यह संख्या बड़ी मालूम होती है। अगर विशेषज्ञ एक क्षेत्र के अन्दर १, २ हो जायं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

और उनको कोआप्ट कर लिया जाय तो निश्चित रूप से उसके लिये हितकारी होगा। अगर यह संख्या, जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा है, बजाय ५ के २ कर दी जाय तो उचित होगा। अगर मंत्री जी अपनी जिद पर रहते हैं तब भी हानि नहीं होगी, लेकिन मैं मंत्री जी से फिर अपील करता हूं कि इस संख्या को ५ की बजाय २ कर दें।

श्री रामलखनसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने रखा है कोआप्शन न होने का, मैं उसका विरोध करता हूं। हमें इस बात की बड़ी शंका होती है और कई किस्म की शंकाएं मालूम होती हैं जिनमें एक तो यह है कि या तो माननीय गेंदासिंह जी या उनके समर्थक जो पिछड़े हुये हैं, जो बहुत दिनों से सताये हुये हैं जैसे हरिजन हैं, या महिलायें हैं उनको समाज में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो यह जो हमारी शंका है उनके प्रति वह बहुत मजबूत नहीं मालूम होती, क्योंकि गेंदासिंह जी जैसे प्रगतिशील व्यक्ति से हमें ऐसी आशा बहुत कम है। हमें शंका इस बात की मालूम होती है कि गेंदासिंह जी को इस बात का विश्वास हो गया है या उनके समर्थकों को विश्वास है कि कांग्रेस के ही लोग उसमें बहुमत में आयेंगे। जनता का उनमें विश्वास है और दूसरी पार्टी के लोग बहुत कम आयेंगे। दूसरी पार्टी के लोगों का बहुमत नहीं हो सकता, इसलिये उन्हें इस प्रकार की शंका होती है। जब कांग्रेस का बहुमत हो ही जायगा तो उनको इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये, वह लोग अपना काम बहुमत के ही द्वारा करा सकते हैं, उन्हें और किसी प्रकार की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस विचार का हूं कि कोआप्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में महिलाओं का स्तर अभी भी बहुत नीचे है। उन्हें प्रगति और विकास के कामों में मौका नहीं मिल पाता। वह चुनाव में भाग नहीं लेतीं, अथवा कम लेती हैं। समाज में वह पुरुषों तथा प्राचीन रूढ़ियों के कारण काफी पिछड़ी हुई हैं और यदि वह हिम्मत करके आगे भी आयें तो पुरुषों का बहुमत रहता है। सारा समाज कुसंस्कार और रूढ़ियों में पड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—आप महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं।

श्री रामलखनसिंह—मैं इसलिये कह रहा हूं कि महिलाओं का कोआप्शन होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन वह अगले सेक्शन में है, इसमें नहीं।

श्री रामलखनसिंह—तो ऐसे हरिजन भी हैं कि जो विकास और नियोजन के काम में हिस्सा लेते हैं और उनकी जानकारी काफी है, लेकिन वह एलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। एलेक्शन में जो छीछालेदर होती है उसके कारण वह उसमें भाग नहीं लेते। ऐसी महिलायें भी हैं कि जो नियोजन और विकास के काम में भाग लेती हैं, किसान हैं और समितियों में आकर अच्छी सलाह दे सकती हैं लेकिन उन्हें घर के अन्दर ही रखा जाता है। तो इस तरह पर एक बहुत बड़ा समाज का अंग विकास और नियोजन में, उसके काम में भाग नहीं ले पाता जो अच्छी राय दे सकता है और अच्छा काम कर सकता है। विकास में बहुत सी बातें आती हैं। घर गृहस्थी का काम भी उनमें से एक है और इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी उनकी है उतनी पुरुषों में नहीं है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस हाउस से यह अपील करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी से भी अपील करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और कोआप्शन के लिये जो व्यवस्था है उसे मंजूर होने दें ताकि विकास और नियोजन का काम अच्छी प्रकार से चल सके और जो भाग लेने वाले हैं, जिनके लिये इस बिल में विशेष व्यवस्था की है, वह उस व्यवस्था के अनुसार उसमें भाग ले सकें।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री मदन पांडेय का नाम पुकारा।)

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी नहीं, कुछ देर बाद।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं और मुझे केवल तीन, चार मिनट ही चाहिये। यह जो आक्षेप किया गया है कि हम पर जनता को विश्वास नहीं है और इसलिये हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं इसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे तीन चार रोज से ऐसे सबूत एक पर एक मिलते जा रहे हैं कि जिन से मालूम पड़ता है कि हमारे विचित्र भाई, जिनको श्रेय है इस बिल को तैयार करने का और यहां लाने का, उन्होंने जब इस बिल को तैयार करने का प्रयास किया था शुरू-शुरू में तो उनको जनता पर विश्वास था और उस समय उन पर उनके संघों का और एनवायरेनमेंट्स का प्रभाव था, लेकिन मालूम पड़ता है कि ज्यों ही दबाव पड़ना शुरू हुआ, इस बिल में संशोधन होने प्रारम्भ हो गये। एक सबूत तो यह है कि मुझे एक पुस्तक मिली है, यद्यपि मैं कुछ थोड़ा पीछे जा रहा हूं लेकिन एक मिसाल देना चाहता हूं, उसमें धारा ६ के उपखंड (१) में, जो हमारे पास पुस्तक है, उसके अनुसार---वह पुस्तक में माननीय मंत्री जी को भेज दूंगा—इसमें केवल ५ उपधारायें जुड़ी हुई हैं। एम० एल० एज० और एम० पीज० की जो दो धारायें बाद को मालूम होती हैं कि जुड़ी हैं, उनका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जो दूसरी पुस्तिका हमारे पास है उसमें ६ठां और ७वां भी जुड़ा हुआ है। तो एक पुस्तिका में है और दूसरी में नहीं है, इससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि विचित्र भाई की नीयत इस बिल को तैयार करते समय बहुत शुद्ध रही है और उनकी नीयत पर मैं अब तक भी विश्वास करता हूं, लेकिन जनता पर जो उनका विश्वास था वह, जब उनके सहयोगियों का उन पर दबाव पड़ा तो जाता रहा और एक के बाद एक खिड़की उन्होंने खोलनी शुरू कर दी। एक खिड़की तो उन्होंने यह खोली कि एम० एल० एज० को पदेन सदस्य मान लिया जाय। कोई भी मासूम से मासूम संशोधन इधर से पेश किया जाता है, उसमें अपोजीशन की नीयत पर हमला किया जाता है।

मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर न तो महिलाओं के और न हरिजनों के कोआप्शन पर एतराज किया गया। आगे चल कर खंड ६ के उपखंड (२) (१) में लिखा है—

> "पांच से अनधिक व्यक्ति, जो अनुमेलित करने वाले सदस्यों को नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों;"

मैं यह जानना चाहता हूं कि नियोजन और विकास में कितने लोगों को अभिरुचि है? जितने सदस्य इसमें रखे गये हैं उनमें से १/३ सदस्यों का प्राविधान तो डायरेक्ट चुनाव से किया गया है और २/३ से भी अधिक का प्राविधान इनडायरेक्ट चुनाव से रखा गया है। तो और कौन ऐसे व्यक्ति रह जायंगे जिनको लेने के लिये यह सरकार इतनी उतावली है? और अगर कुछ लोग रह भी जायं तो नियोजन से उनका सम्बन्ध कराने के लिये और भी खिड़कियां सरकार के पास हैं। मुझे मालूम है कि इसी सदन के कई माननीय सदस्य प्लानिंग कमीशन के ऐडवाइजर तक बन चुके हैं। अगर ऐसी खिड़कियां खुली हैं तो उनको इन समितियों में डाल कर क्यों सड़ा रहे हैं। स्टेट लेबिल पर प्लानिंग की कोई ऐडवाजरी कमेटी बनाइये और उन्हें उसमें रखिये, कौन रोकता है। लेकिन जो आप चारों तरफ़ घपला फैला कर वहां अपनी क्रूड मैजारिटी करना चाहते हैं यह उचित नहीं है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से कल एक संशोधन को न स्वीकार करके उन्होंने एक भूल की है उसको आज फिर न दोहरायें, अनावश्यक कोआप्शन न करें और इस संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय गेंदा सिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। अगर उनका संशोधन मान लिया गया तो ऐसे लोग जोकि विकास कार्यों में अच्छी जानकारी रखते हैं वे क्षेत्रीय समितियों में नहीं आ पायेंगे।

मान्यवर, यह कुछ ऐसी प्रकृति होती जा रही है कि सब लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्षेत्र समिति में जो लोग हैं वे सभी ऐसे हैं जो किसी न किसी जगह से चुन कर अवश्य आयेंगे। प्रधान, विधान सभा के सदस्य, परिषद् के सदस्य, यह सभी चुन कर आयेंगे। किन्तु जो लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते उनमें ऐसे हैं कि विकास के कार्यों में उचित और योग्य सलाह दे सकते हैं। कुछ लोग जो खेती आदि में विशेष चि रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों का होना उसमें आवश्यक है और वे उनमें आ सकें, इसके लिये ही इसमें यह प्रावीजन किया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनकी राय से हमको फायदा हो सकता है, और जो चुनाव की झन्झट में फंसना नहीं चाहते, वे वास्तव में इसी व्यवस्था से आ सकते हैं और उन्हीं के लिये यह व्यवस्था की जा रही है क्योंकि उनकी सेवायें बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। जिन लोगों ने इस संशोधन का समर्थन किया उन्होंने एक तर्क भी इस बात का प्रस्तुत नहीं किया कि जो लोग कोआप्शन से आयेंगे वे खराब होंगे और उनके आने से विकास के कार्यों में अड़चन पड़ सकती है। इससे लाभ ही होगा, ऐसा मेरा विचार है।

इस सिलसिले में मैं, एक बात जरूर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह कि मन्त्री जो इस बात की जरूर कोई ऐसी व्यवस्था करें कि कोआप्शन के नाम पर ऐसे लोग न आ जायें जो वास्तव में किसी चीज के विशेषज्ञ न हों। जब आप कोआप्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें यह जरूर सावधानी बरतनी चाहिये कि उससे विशेष लोग ही आ सकें। अगर यह व्यवस्था की जायगी तो जरूर यह जो कोआप्शन की व्यवस्था की गई है वह सफल होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेन्दा सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं और जो व्यवस्था की गई है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, जब हम जनवादी परम्परा को मानते हैं तो हमें उसके बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रयत्न करना चाहिये और उसी के लिये हम यहां पर बैठे हैं। आप क्यों नहीं इस बात का प्रावीजन करते कि जो लोग आवें वे चुन कर ही आवें। इस तरह से चोर दरवाजे से घुसाकर कोआप्ट करने का जो तरीका रखा गया है वह जनवादी परम्परा के विरुद्ध है, और इससे गम्भीर अड़चन पड़ सकती है। मेरा तो तजुर्बा है, उन्नाव जिले के अन्दर कांग्रेस की तरफ से जब एम० एल० ए० चुन कर न आ सके, तो उन्हें जो जिला परिषद् बनी, उसमें रख दिया गया। जितने भी पुराने तिकड़मी लोग थे उनको किसी न किसी तरह से नामजद करके उसमें खपाया गया। तो इस तरह से जनवादी परम्परा पर कुठाराघात होता है।

एक बात यह कही गई कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो किसी चीज के विशेषज्ञ होंगे, जो अच्छी खेती करने वाले होंगे, वे छट जायेंगे। वे चुनाव से नहीं आ सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रधान वगैरह चुन कर आयेंगे क्या वे उनको अपनी सलाह नहीं दे सकते हैं। क्या वे कोआपप्ट किये जाने पर ही अपनी सलाह दे सकेंगे ? वे वैसे भी अपनी सलाह दे सकते हैं। इसलिये जनवादी परम्परा को जब हमने कायम किया है तो उसके अनुसार चुनाव ही होना चाहिये। इसलिये जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय।

श्री बलदेवसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदासिह**---अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे इस संशोधन के समर्थन में कुछ शब्द कहे। उसके साथ-साथ में सब से ज्यादा शुक्रगुजार माननीय मन्त्री जी का हूं कि जिन्होंने शुरू में ही अपना वह रुख जरूर दिखलाया जिससे कि दूसरे माननीय सदस्यों को एक बड़ी प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा से सम्भव है कि मेरे संशोधन का उन्होंने समर्थन किया हो। तो मैं खासतौर से इस बात को समझता हूं कि अब इस समय जो एक सद्भावना माननीय मन्त्री जी की तरफ से दर्शाई गई है उसका मैं लाभ उठाना चाहता हूं। यह बात सही है कि अगर उनकी इच्छा न होगी तो वह स्वीकार न होगा। मैं चाहता हूं कि पांचों कोआप्ट न किये जांय। अगर माननीय मन्त्री जी चाहते हों तो ५ की बात न मानकर कुछ अपनी बात रख दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं दो की बात मान सकता हूं।

श्री गेंदासिह---जो उन्होंने अपनी तरफ से संकेत किया, मैं समझता हूं उनकी जो कठिनाई है उसका उन्होंने दिग्दर्शन कराया। वह यह कि मान लो, ब्लाक कमेटी बन गई, प्रधान चुन कर आगये, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरी कमेटी चाहती है कि प्रधान बनाया जाय, सम्भव है कि वह चुन कर न आया हो। हो सकता है कि किसी कारण न चुना गया हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर पूरी कमेटी चाहती है तो यह छट होनी चाहिये कि उसे कोआप्ट करके सभापति बना सकें। इसलिये जहां तक सुरेशप्रकाश सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों को मैंने समझा उन सब की विचारधारा इसी तरफ काम कर रही है और ५ आदमियों के अनुमेलन करने के सम्बन्ध में बड़ी शंका मालूम पड़ती है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हम क्यों कहते हैं कि कोआप्ट करने की बात न मानी जाय। उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उनके कोलीग ऐसे हैं जिनकी मैं चर्चा करना नहीं चाहता और मैं समझता हूं कि केबिनट में बैठकर वह कहते होंगे कि बहुत पवित्र कामों में इतना अपवित्र मेल न मिलाया करें। अगर वह कहें तो झगड़ा होगा और इस तरह से अपवित्र काम,करने वाले लोग जोकि सहकारी संस्था और खेती बाड़ी वाली संस्था में अगर पहुंच जायें और जैसी कि प्लानिंग वगैरा की चीजें हैं उनमें अगर ऐसे लोग काम करते हैं तो हम लोगों को यह गुन्जायश है कि हम इस प्रकार की शंका करें। लेकिन एक पार्टी का गठ-बन्धन है जिसकी वजह से वह कह नहीं सकते और हमको यह कहने का अवसर है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का काम हुआ है। अगर वह कोआपरेटिव संगठन को, सारे सूबे के, देखने की चेष्टा करें तो स्पष्ट हो जायगा कि ऐसे अपवित्र लोग वहां बैठ गये हैं जिसके कारण सारा संगठन अपवित्र हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---वैसे ही इसमें भी जायगे।

श्री गेंदासिह---माननीय उग्रसेन जी इस प्रकार की बददुआ न दें, अभी तो हम शुभ कामना ही करें। जब काम नहीं चलेगा तो देखा जायगा। मैं तो यह कहता हूं कि गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको सोचा जाय।

किसी ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता, बल्कि बिलकुल गैर राजनीतिक दृष्टि से सोचता हूं और वह इसलिये कि इसकी जो ऊंची परिभाषा है उससे मैं घबराता नहीं लेकिन इसकी जो दूसरी परिभाषा की जाती है उससे जरूर घबराता हूं। तो मैं इस लेविल पर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको मालूम होगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में हम लोगों ने एलान कर दिया कि पार्टीबन्दी के लेविल से कोई उसमें खड़ा न हो। इसलिये अगर यही अवसर जिला परिषदों को भी मिलता तो यह सौभाग्य की बात होती। असेम्बली और पार्लियामेन्ट में तो पार्टीबन्दी के आधार पर ही चुनाव लड़े जायंगे क्योंकि यह एक डेमोक्रैटिक मुल्क है, उसके बिना चुनाव नहीं हो सकता लेकिन अगर इस प्रकार की संस्थाओं में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता और खासतौर से उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो सकता तो बहुत अच्छी बात होती। अब सवाल यह है कि इसकी बुनियाद कौन डाले ? हम तो इसकी बुनियाद डाल नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त हम ऐसी बात कहेंगे तो यह कहा जायगा कि हम झुक गये, हम कमजोर हैं, बुजदिल हैं, हमें हारने का डर है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी, लेकिन अगर यह बात शर्मा जी की तरफ से कही जाय कि हम नान-पार्टी बेसिस पर एक संगठन बनाना चाहते हैं तो उनको कोई हारने वाला नहीं कहेगा क्योंकि वह पावर में हैं। इसी दृष्टि कोण से मैं कल से निवेदन कर रहा हूं।

इस संशोधन के सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर जो संशोधन आ रहे हैं। वह इसलिये नहीं आ रहे हैं कि इसमें देर की जाय। हम तो पहले ही फैसला कर चुके हैं कि इसको ८ दिन में पास कर देंगे। और सेलेक्ट कमेटी में भी हमने इस बिल को इसलिये नहीं भेजा कि देर न हो और यह जल्दी से पास हो जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह नहीं सोचते थे कि जो कुछ वहां है वही रह जाय, इस बिल से कोई फायदा न हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो ब्लाक्स के क्षेत्र बने हुये हैं उनमें बहुत सी गल्तियां और असुविधायें हैं और वही अगर रखे जाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे कोई कठिनाई नहीं दूर होगी। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से बांट दिया था उसी प्रकार से हल्के और तहसीलें चली आ रही हैं। हम को खुद सोचना चाहिये कि अब इतनी जन-संख्या बढ़ जाने के बाद हमारे क्षेत्रों का संगठन सुविधानुसार होना चाहिये। इन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुये नान-पार्टी बेसिस पर इसका संगठन किया जाना चाहिये। श्रीमन्, उन्होंने एक सभापति की बात कही और दो के लिये उन्होंने उंगली दिखाई तो मैं समझता कि कोई कम्प्रोमाइज करना इस सरकार के लिये सद्भावना का चिह्न होगा। लेकिन यह शर्त जरूर ध्यान में रखी जाय, जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा कि जब आवश्यकता समझी जाय तभी ऐसा किया जाय।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे खुशी है कि आखिर में गेन्दा सिंह जी राहे-रास्त पर आ गये। शिकायत यह की जाती है कि हम हर एक चीज को पार्टी बन्दी की निगाह से देखते हैं और उधर से जो प्रस्ताव या संशोधन आते हैं वह पार्टीबन्दी की दृष्टि से नहीं आते, लेकिन संशोधनों की पुष्टि में जो भाषण दिये जाते हैं उनमें कहा जाता है कि अपनी मैजारिटी बढ़ाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। नामिनेशन और कोआप्शन, यह दोनों शब्द इस प्रकार से इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे दोनों एक ही चीज हों।

बार-बार कहा जाता है कि जनता का विश्वास कीजिये, जनता का विश्वास करके जो आते हैं, उन पर विश्वास कीजिये। हम उन्हीं पर विश्वास कर रहे थे, और उन्हींपर छोड़ रहे थे कि जिन ५ आदमियों को वह समझें उनको वह लेलें। इसमें कौन सा अविश्वास हुआ ? लेकिन फिर भी यह शक न रहे कि सरकार के पास कोई सीक्रेट लिस्ट है जिनको वह लेना चाहती है, मैंने ५ आदमियों के बजाय दो को रखना स्वीकार कर लिया था। जो लोग सचमुच में योग्य होंगे वे अपनी तरफ से आना नहीं चाहेंगे और न पहले से कंवेसिंग ही करेंगे। यह तो इसीलिये कर लिया था कि आसानी से उन लोगों को अगर ले लिया जाता हो तो ले लिया जाय। हम यहां कितना ही कहें कि पार्टीबाजी की बेसिस पर नहीं लेंगे लेकिन वहां सभी अपने-अपने आदमियों को लेना चाहते हैं। अगर पोलीटिकल पार्टी नहीं होगी तो दूसरी पार्टी होगी। एक चीज हो सकती थी लेकिन वह उधर के लोगों की समझ में नहीं आई। वह अगर होती तो झगड़ा ही न रहता। मैं भी पहले उसको न समझ सका। यह रखा जा सकता था कि

७० या ७५ प्रतिशत वोटों से वह चुने जायेंगे। लेकिन जब २ की बात हो जाती है तो फिर उसमें मैं दिक्कत पैदा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है उनको ७० प्रतिशत वोट न मिलें। इसके लिये सरकार के सामने कोई ऐसी बात नहीं थी कि वह उसके रहने से संकट में पड़ जाती। यह किसी मन्त्री की तरफ से भी नहीं आया था। यह सुझाव तो डिपार्टमेन्ट की तरफ से आया था जिसको हमने स्वीकार कर लिया। इस लिये अगर २ की बात एक मत से हो जाती है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उप-खंड (२) के भाग (१) को निकाल दिया जाय।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप बैठ जायें तो मैं सफाई कर दूं। अब तो न हमारा ही अमेन्डमेन्ट है और न वह बात है जो बिल में है। अब तो ५ के स्थान पर अंक २ हो जायगा। अगर वह २ हो जाता है तो हमारे अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी हालत में हमारे अमेन्डमेन्ट पर वोट लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आगे जो एक अमेन्डमेन्ट है उसमें ५ के स्थान पर ३ कर देने के बारे में जिक्र है। उसके जरिये से यह चीज हो सकती है।

श्री गेंदासिंह---उसको इसी समय ले लिया जाय तो आगे समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता---जो संशोधन का रूप है, मैं उसमें तरमीम नहीं कर सकता। जब तक सब्सटेंटिव मोशन मेरे सामने न हो तब तक मैं इस तरह से ले नहीं सकता हूं। आप उसको वापस ले सकते थे।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, अभी तक मैं नहीं समझ सका। संस्कृत में एक श्लोक है---"सर्वनाशे समुत्पन्ने, अर्धत्यजति पंडितम्", अर्थात जहां सब चला जा रहा हो वहां आधा छोड़ देना ही ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि माननीय मन्त्री जी ने "पांच" को छोड़ कर "दो" को स्वीकार कर लिया, तो वह दो से कौन सी गाड़ी चला लेंगे, मैं नहीं समझ सका।

श्री अधिष्ठाता---इसको सदन स्वीकार कर चुका।

श्री उग्रसेन---लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकी।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (२) के भाग (३) की पंक्ति (३) में शब्द "तथा इस उपधारा के खण्ड (१) तथा (२)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिया जाय---

"के खन्ड (१) से (५) तक"।

[श्री सुखरामदास]

मान्यवर, इससे यह होगा कि जैसे हमारे जिले में एम० एल० ए० और एम० पी० हैं वह तो पदेन सदस्य हैं ही, अगर इनको लेकर ४ हो जाते हैं तो १ ही अनुमेलन के लिये रह जाता है। यह तो है ही, इसके अलावा ५ और रख दिये जायं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ५०-६० में करीब १४ हरिजन आते थे। इसमें यह होगा कि केवल ५ ही होंगे। तो इस सिद्धान्त से कम से कम १० तो आ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं इस शक्ल में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। पहले जब अनुमेलन का प्रस्ताव रखा गया था तो उस समय वास्तव में हरिजनों के लिये कोई भी सीट्स नहीं थी, जब शुरू-शुरू में ड्राफ्टिंग किया गया था। बाद में एम० एल० एज० के लाने की बात तय हुई। फिर भी हमने यह समझा कि एम० एल० एज० में भी अनुसूचित जातियों के सदस्य मुमकिन है ५ से कम ही होंगे तो यह रहने दिया कि वह संख्या ५ तक नहीं पहुंचती है तो ५ की संख्या पूरी करने का अनुमेलन कर लिया। लेकिन जैसा कि मैं पहले दिन कह चुका हूं, जो डायरेक्ट इलेक्शन हम हर खण्ड से कर रहे हैं, उसमें जो चुनाव होंगे, उसमें हम संरक्षण के सिद्धान्त को मानते हैं। वह हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है। तो एम० एल० एज० से भी संरक्षण हो जाता है। कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी संरक्षण हो जाता है। इसलिये जो पदेन थोड़े से आदमी आएंगे उनमें संरक्षण नहीं था। इतना हमको मानना चाहिये, क्योंकि संरक्षण का जो सिद्धान्त है, जहां चुनाव होता है वहीं स्वीकार किया जाय। हमारी काउन्सिल आफ स्टेट में १२० आदमी हैं। जितने आदमी चुनकर आते हैं, टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी से, ग्रेजुएट कास्टीटुएंसी से और दूसरी जगहों से, उसमें कहीं संरक्षण का सिद्धान्त नहीं है। इतने हरिजन होंगे यह भी नहीं है। अगर हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि हर जगह तादाद पूरी होनी चाहिए तो यह भी हो सकता है कि इतने प्रेसीडेंट्स हैं म्युनिसिपल बोर्ड्स के तो इसमें इतना संरक्षण जरूर मिलना चाहिये और फिर इसके बाद टाउन एरिया और गांव सभाओं के अन्दर भी यह सवाल होगा। यह कहां जाकर खत्म होगा, उसका क्या अन्त होगा, यह हम कंसीव नहीं कर सकते।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

एक निवेदन और हरिजन भाइयों से करना चाहता हूं। जिस जगह वह अधिकार-पर्वक आ सकते हों वह आयें तो शोभा की जगह पर बैठेंगे। अब एक ऐसी जमात में जहां पर सब लोगों की नियुक्ति पदेन हो रही है, उसमें अगर ३० आदमी हैं तो पांचवां हिस्सा या छठां हिस्सा हरिजनों का रख दें तो वह एक नया ब्लाक अलग से हो जायेगा। तो वह उनके लिये एक थोड़ा-सा अप्रतिष्ठा का स्थान हो जाता है और साथ ही दूसरे लोगों को भी अरुचिकर मालूम होगा, जिससे तनाव बढ़ेगा। उससे हरिजन भाइयों का लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा क्योंकि असली संरक्षण जो जीवन में उनको मिलना चाहिये, हर कदम में मिलना चाहिये, गांव-गांव, शहर-शहर तथा हर स्थान में मिलना चाहिये वह किसी कानून से नहीं मिल सकता है। वह समाज के विचार बदलने से ही मिल सकता है और जिन चीजों से विचार बदलने में कावट हो, तनाव आवे उसकी वजह से वह हित करने के बजाय अहित करेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को पेश न करें और अगर करते हैं तो सदन उसको अस्वीकार करे।

श्री सुखरामदास—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कठिनाई बताते हैं। इससे बहुत ज्यादा सुविधा जनता को होती, जैसी सब लोगों को जानकारी है, हरिजन हर जिले में काफी तादाद में हैं और जनगणना के आधार पर उनको संरक्षण नहीं मिलता है। तो कोआप्शन में ५ बढ़ाये गये। अगर और तादाद बढ़ायी गई होती तो ठीक रहता। ५ की तादाद बहुत

ही कम है, इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया, ताकि उनका संरक्षण हो सके, नहीं तो जहां ५० में १०, १२ आते थे अब ५ आ रहे हैं। तो आप कहां उनको सुविधा दे रहे हैं? दुख की बात है, मंत्री जी इस संशोधन को सोच नहीं रहे हैं अन्यथा यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। अगर मंत्री जी नहीं मानते तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, वापस लेने के प्रस्ताव का विरोध करने का मौका मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—वापस लेने के प्रस्ताव पर तो जवाब वगैरह इसका हो गया।

प्रश्न यह है कि निम्न संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय—

खन्ड ६ के उपखन्ड (२) के भाग (३) की पंक्ति (३) में शब्द "तथा इस उपधारा के खण्ड (१) तथा (२)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिया जाय—

"के खन्ड (१) से (५) तक"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—५८,
विपक्ष में—१८।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—मेरा संशोधन बीच में रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका जो संशोधन है उसका कोई अर्थ नहीं मालूम होता, वह निरर्थक है। इसलिये वह समाप्त कर दिया है। आप पढ़ लीजियेगा। अगर आप संशोधन करके देना चाहेंगे तो मुझे बताइयेगा।

श्री मुरलीधर कुरील—उपाध्यक्ष महोदय, उसका सही अर्थ निकलता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप फिर से पढ़िए और सोचिये।

***श्री वीरसेन** (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (२) भाग (३) में दूसरी पंक्ति में शब्द "यदि उपधारा (१) से पांच हो जाय" तक के शब्द निकाल दिये जायं तथा निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय—

"उप खण्ड (१) के भाग (५) में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से परिगणित जाति के सदस्यों के लिये उतनी संख्या में स्थान सुरक्षित किये जायेंगे जितनी संख्या का अनुपात भाग (१) से भाग (५) तक के समस्त सदस्यों की संख्या से वही हो जो अनुपात परिगणित जातियों की जनसंख्या का क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या से है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि इस खन्ड में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि रिजर्वेशन होना चाहिये, लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया है? जब तक संविधान में रिजर्वेशन रहता है तो इस बात से माननीय मंत्री जी भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि वहां जो रिजर्वेशन का सिद्धान्त है। उसे वह मानते हैं और कांस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल के ऊपर ही आलरेडी जो एक्स-आफिशियो मेम्बर बनाये गये हैं इस संख्या के मातहत हैं तो मेरा जो संशोधन है उसका तात्पर्य यही है कि जितने हाउस में एलेक्टेड मेम्बर्स हों और और एक्स-आफिशियो मेम्बर्स हों उनको सब को मिलाकर जो होंगे उनमें जो एलेक्टेड मेम्बर्स हों उनमें इतना परसेंटेज फिक्स किया जाय कि सारे के सारे मेम्बर्स की तादाद के ऊपर उनका उतना परसेंटेज बैठ जाय जो हरिजनों के लिये फिक्स है। मिसाल के लिये मैं अर्ज करूं कि सौ के करीब गांवों से चुनकर आये और ३,४ टाउन एरिया वगैरह से प्रधान इसमें होंगे जो कोआप्टेड होंगे वह होंगे इस तरह से ११० का रिप्रेजेन्टेशन हो जायगा। तो इसमें यदि निश्चय किया जाय कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरसेन]

इतने एलेक्टेड हों तो उनमें, अर्थात् कुल १७० की सदस्य संख्या में से, ३० के करीब संख्या बैठेगी जो प्रतिशत हरिजनों के लिये फिक्स है। उसके अनुसार और उसको यदि रख दिया जाय तो जो अन्डर रिप्रेजेन्टेशन है इसमें वह पूर्ण हो जायेगा।

इस संबंध में एक थोड़ा-सा एतराज भी हो सकता है और वह एतराज यह हो सकता है कि जो पोस्ट्स है उनमें रिजर्वेशन किस तरह से हो सकता है ? माननीय मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया और कोआप्शन का सिद्धान्त स्वीकार किया। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को नहीं समझ सका हूं कि कोआप्शन करने से जो स्टेट्स और रैन्क प्रेसीडेंट का है वह कैसे बुरा हो जायगा ? दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बाते हैं। रिजर्वेशन नहीं मानना चाहिये, तब कोआप्शन की गुंजायश नहीं है। कोआप्शन की गुंजायश समझते हैं तो पूरा जस्टिस करना चाहिये इन वर्गों के साथ में। वह जस्टिस तब हो सकता है जो इलेक्टेड पोस्ट्स हैं उनमें उतना रिजर्वेशन कर दिया जाय जिससे सारा का सारा कोटा पूरा हो जाय। इन सारे के सारे मेम्बर्स को जो प्रोपोज्ड सेक्शन्स में है उन सबको वोट के अधिकार हैं और रिजर्वेशन का जो सिद्धान्त है आबादी के आधार पर उसमें यह बात निहित है कि जहां कहीं वोट का अधिकार हो वहां पर हरिजनों के प्रतिनिधि इतने हों जितने की आबादी के आधार पर बनते हों। तो इस तरह से इन सभी सदस्यों को वोट का अधिकार होगा और उस वोट के मुकाबले में जो हरिजन सदस्यों की राय है वह ओवरपावर न हो जाय। इसका इलाज यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्स कर दिये जायं उतने सदस्यों से।

जो संशोधन पहले चल रहा था जिसमें अनुमेलन के सिद्धान्त पर चर्चा सदन के दोनों पक्षों ने की मैं यह समझता हूं कि अनुमेलन का सिद्धान्त बहुत अच्छा नहीं है। हरिजनों के मामले में यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। अगर माननीय मंत्री रिजर्वेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर जो ५ की संख्या रखी गयी है इसको निकाल दें। कोई इस तरह का प्रतिनिधित्व न हो, बनिस्बत इसके कि जो हो वह दूसरे के हाथ का खिलौना बन कर रहे। इन बातों को खयाल में रखकर माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करके इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री प्रतापसिंह—मैं माननीय वीरसेन द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संविधान ने इस बात को माना है कि जन संख्या के आधार पर उनको सीट दी जायगी। इस संशोधन के मुताबिक ५ की संख्या अगर आप रखते हैं तो आप इस बात को मानते हैं कि उनके लिये रिजर्वेशन रखा जाय। लेकिन जिस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार कर चुकी है वह यह है कि संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय। माननीय वीरसेन जी के संशोधन का यही अर्थ है कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय। अभी विकास इतना नहीं हुआ है कि एक दम इलेक्शन में अलग से खड़े हो जायं। इसलिये ५ स्थान जो उनके लिये रिजर्व किये गये हैं उसके स्थान पर जन संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ वीरसेन जी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील—मैं माननीय वीरसेन जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो पिछली कमेटियां बनी हुई थीं वे सरकार द्वारा नामजद थीं। अब यह चुनाव होने जा रहा है समितियों का। यद्यपि वह चुनाव इण्डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से चुनी हुई कमेटियों का माना जायगा। और जहां तक इसमें विधान मंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जो इन कमेटियों में पहुंच पाता हो, क्योंकि इतने कार्यक्रम लगे रहते हैं कि उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवकाश नहीं मिल पाता। साथ ही साथ विधान सभा के सदस्यों के क्षेत्रों में कई-कई विकास खन्ड समितियां होती हैं और उनमें शायद ही कोई पहुंच पाता हो। ऐसी दशा में उनका वहां रहना न रहना बराबर है। अब संशोधन हो गया है कि ५ के बजाय २ ही सदस्य कोआप्ट किये जायेंगे, तो हरिजन भी दो ही होंगे। इस तरह से देखा जाय तो जितनी संख्या खन्ड समितियों की होगी उसके आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कोआप्शन में भी संख्या बहुत कम रह जाती है। इसलिये बीरसेन जी ने जो संशोधन रखा है वह उचित है और मंत्री जी को मान लेना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरसेन जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि खन्ड समितियां जो बन रही हैं वह उस खन्ड के बसने वाले लोगों की भलाई के लिये बन रही हैं। ज्यादातर गांवों में बसने वाले उपेक्षित लोग हरिजन हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा तादाद में नहीं रहेगा तो उनके इंटरेस्ट की बातों पर कोई खयाल नहीं किया जायगा। इसलिये संविधान ने जो उनको अख्तियार दे रखा है जो उनकी तादाद मुकर्रर है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके संशोधन को मान-कर हरिजनों का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिये उतना दिया जाय। मंत्री जी ने माना है कि उनको रहना चाहिये। लेकिन पता नहीं किस परसेंटेज के हिसाब से ५ रखे हैं। संबिधान कहता है कि उनके लिये १८ परसेंट होना चाहिये या हरिजनों की आबादी के लिहाज से रखा जाय। ५ जो रखा है वह किसी उसूल पर नहीं है। इसलिये यह तादाद किसी उसूल के मुताबिक रखी जाय, क्योंकि क्षेत्र में जो काम होंगे अगर हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो उनके भलाई के काम नहीं हो सकेंगे। इसलिये यह संशोधन बहुत जरूरी है और मंत्री जी इसको जरूर मान लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव रखा गया है वह यद्यपि वीरसेन जी की तरफ से रखा गया है लेकिन इसमें सभी विरोधी पार्टियों का समर्थन है। विशेषकर समाजवादी पार्टी का समर्थन इसलिये भी है कि हम पिछड़ी जाति वालों को हर जगह पर उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं—न केवल निर्वाचन के सवाल में बल्कि उन उम्मीदवारों में जो पार्टी की तरफ से खड़े किये जायं। यहां ऐसी कल्पना है कि जितनी उनकी जनसंख्या है उस अनुपात से उनकी जगह सुरक्षित कर दी जायं। अभी तक संविधान में रिजर्वेशन का नियम चला आ रहा है। ऐसी हालत में इसको मान लेने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मंत्री जी एक दिक्कत रख सकते हैं कि सुरक्षित करने से चुनाव में बटवारा करना पड़ेगा कि किस को करें और किस को न करें। वैसे हर काम में दिक्कत होती है और वह दिक्कत और परेशानी से बचना चाहें तो बात दूसरी है। जितनी बातें अब तक इधर से रखी गई हैं, सरकार उनको बराबर टालती रही है कि देर करने से चुनाव नहीं कर पायेंगे। चुनाव तो वह नहीं करायेंगे, यह तो हमें मालूम है। फरवरी वाली बात ऐसे ही है। वह तो एक छुआई ले रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम है। चुनाव में कोई सुरक्षित है, कोई अरक्षित ऐसा बांटना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होगी। मंत्री जी कुछ प्वांइन्ट्स नोट करते जाते हैं जिनसे वे कहेंगे कि इन-इन वजूहात से हम चुनाव नहीं करा पाये, हमारी तो बहुत चाहना थी, बहुत इच्छा थी। वकील को जब मुकदमा हार जाने का बहाना बनाना पड़ता है तो कुछ न कुछ शहादत की कमी पहले से सोच रखता है। इसलिये हमें मालूम है कि शायद सरकार इस प्वाइन्ट को नोट करे और अगर नहीं नोट करती है तो इसको मान लेना चाहिए। यह संशोधन तो वीरसेन जी की तरफ से आया है, इधर से तो आया नहीं है। आशा है कि उधर जितने हरिजन भाई बैठे हैं सभी समर्थन करेंगे। रामेश्वर जी समर्थन करने के लिये उठने वाले हैं। मैं उधर बैठने वाले हरिजन भाइयों से कहूंगा कि आइये, हम और आप हाथ मिलाएं, फिर देखें कि सरकार क्या कहती है।

श्री बादामसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरसेन जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि माननीय मंत्री जी ने काउंसिल का उदाहरण दे कर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन क्षेत्र समितियां जो बनने जा रही हैं, वह गांव सभा, नोटिफाइड एरिया, नगरपालिकाओं से बनने जा रहीं हैं उन सब में संरक्षण होता है। गांव सभा में संरक्षण होता है, नगरपालिका में भी संरक्षण होता है। उन्हीं के नुमाइन्दों से क्षेत्र समिति बनने जा रही है। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि इसमें हरिजनों का संरक्षण होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

***श्री गरीब दास**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव में मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र समितियों में परिगणित जातियों के लिये उनकी संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित किये जायं। मान्यवर, सर्वप्रथम बात तो यह है कि परिगणित जातियों के लिये संविधान में उनकी विशेष परिस्थितियों को देखकर के स्थान सुरक्षित किये गये हैं और एक निश्चित अवधि तक के लिये किये गये हैं। जब तक संविधान में उनके लिये स्थान सुरक्षित है तब तक अगर सरकार उनके अधिकारों का अपहरण करती है तो निस्संदेह अन्याय है। और उस सरकार की नीयत खराब है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में अभी तक जिस-जिस विभाग में अछूतों के रिजर्वेशन के संबंध में रिजर्वेशन किये जाते हैं वहां हमेशा १८ फीसदी दिया हुआ रिजर्वेशन अपूर्ण निकलता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार स्पष्ट चाहती है कि अछूतों को जिस तरह से कुचला जा सके कुचला जाय, क्योंकि जहां जनता से सीधा संपर्क होकर व्यक्ति आना चाहता है, उसको सरकार बाध्य करती है कि वह मनोनीत होकर या कोआप्ट हो कर आये। यह तो इस तरह से है कि पहले चावल मिलता है उसके बाद माड़ मिलता है। उसी तरह से सरकार से सरकारी पक्ष के परिगणित और अछूत जाति के सदस्य तिलमिला रहे हैं। हो सकता है कि अनुशासन से बाध्य होकर वह हाथ न उठाएं। लेकिन वह तिलमिला रहे हैं।

सरकार चाहती है कि सरकार को मजबूत बनाने के लिये एक ऐसा वर्ग मिलता रहे जो उसके इशारे पर मेम्बरशिप पाये, जिसमें विरोध करने की ताकत न हो, हमेशा के लिये अपंग हो जाय। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सरकार की नीयत अछूतों को कठपुतली की तरह नचाने के लिये खराब है। वह अछूतों के हित के लिये संरक्षण नहीं देना चाहती है, बल्कि अपने को मजबूत करने के लिये संरक्षण देती है। अछूतों के हित के लिये नहीं है।

मान्यवर, मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर उनके इस अधिकार का हनन किया जाता है तो जहां तक यह पांच सदस्य कोआप्ट करने की बात आती है, यह भी न हो, जिससे कम से कम यह बात तो हो जाय कि जो पांच वह अपने खरीदे हुए आदमियों को रखना चाहती है जो कि हमेशा अछूतों का विरोध करते रहें और यह कहा जाता रहे कि अछूतों का तो रिप्रिजेंटेशन है। वह बात तो खत्म हो जाय और उनको अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर तो मिले। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत बिल्कुल भ्रष्ट है और वह उनको उठने नहीं देना चाहती है, उनको अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं इस प्रस्ताव की जान और जो उसकी मंशा है उससे पूर्णतया सहमत हूं, क्योंकि इसी प्रकार का प्रस्ताव कि उनकी सीट्स वहां ज्यादा से ज्यादा हों, मैंने इसके आगे दे रखा है, वह अभी आपके सामने आयेगा, लेकिन जो यह प्रस्ताव है इस प्रस्ताव में माननीय वीरसेन जी ने जो यह कहा है, उनकी जो मंशा है इस प्रस्ताव के जरिये से कि क्षेत्रीय समिति में हरिजनों के लिए स्थान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षित कर दिये जायं तो मैं यह समझ रहा हूं उसमें दिक्कत होगी, अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय। माननीय वीरसेन भी अपने जवाब में इस बात को साफ करें तो शायद मैं समझ सकूं, अभी तक तो मैं समझा नहीं। मान लीजिए कि अगर स्थान सुरक्षित कर दें हरिजनों के लिए तो उनकी सर्विस कैसे होगी? क्योंकि जो क्षेत्रीय समिति में लोग आयेंगे वह हर गांव से एक प्रधान आयेगा, कोआपरेटिव सोसाइटीज के लोग चुन कर आयेंगे, टाउन एरिया के प्रधान चुन कर आयेंगे, तो अगर मान लीजिए कि १०० आदमी इस तरह से होते हैं किसी समिति में और वीरसेन जी के अनुसार रिजर्वेशन मान लिया, कह दिया कि फलां क्षेत्र में पांच, छः, सात या आबादी के हिसाब से हम रिजर्वेशन करते हैं, वह पहले से सरकार डिक्लेयर कर दे तो कैसे ऐडजस्ट वह उसमें होंगे? इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो आपका प्रस्ताव है सीटों के सुरक्षित करने का यह उसमें फिट नहीं बैठता है।

उसकी भावना से मैं पूर्णतया सहमत हूं और उस भावना का मैं समर्थन करता हूं और इसीलिए मैंने २५-क पर अपना एक प्रस्ताव भी दिया है जो इससे ज्यादा साफ है, क्योंकि अगर उसका कोई तरीका हो सकता है तो वह कोआप्शन से ही हो सकता है, रिजर्वेशन से नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट चाहती है इस बात को तो गवर्नमेंट को यह बात माननी पड़ेगी कि या तो वह कोआप्शन से हमारे नम्बर को पूरा करे और अगर कोआप्शन से नहीं हो सकता तो नामिनेशन से या चाहे जैसे करे। लेकिन रिजर्वेशन का सिद्धान्त उसमें लागू नहीं होता।

श्री मुरलीधर---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरसेन जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मेरा तो विश्वास है कि प्रस्ताव बहुत ही समझ-बूझकर रखा गया है, क्योंकि आज के देश के वातावरण में जब कभी भी वोट या चुनाव का मामला आता है तो गांव-गांव और घर-घर में वोट जाति और बिरादरी के नाम पर मांगे जाते हैं और जाति-बिरादरी के नाम पर वोट मांगने में यह पिछड़े हुए और हरिजन व्यक्ति यह हिम्मत नहीं कर पाते कि वह भी जाति बिरादरी के आधार पर वोट मांग सकें या कर सकें। इसलिए वह अपनी बिरादरी के प्रतिनिधियों को उन संस्थाओं में भेज नहीं सकते। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि अगर संविधान में आज हमारे संरक्षण की व्यवस्था न की गई होती तो हरिजन समाज का जो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व आज इस हाउस में मौजूद है वह यहां न आया होता और मैं समझता हूं कि इसी भावना और परिस्थिति को समझते हुए हमारे केन्द्रीय गृहमंत्री और प्रधान मंत्री ने हमारे रिजर्वेशन को १० साल के लिए और बढ़ा दिया और उसी की पृष्ठभूमि में मेरा विश्वास है कि माननीय शर्मा जी भी अपने नये कानन में हरिजनों को पूरे और उचित प्रतिनिधित्व का स्थान रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरसेन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरिजनों के लिये संरक्षण दिया जाय, पूरी सुविधा दी जाय कि क्षेत्र समितियों में भी उनको अपने प्रतिशत, अपनी जनसंख्या के आधार पर जैसा कि विधान सभा और लोक सभा में या दूसरी जगहों में प्रतिनिधित्व मिला है, उन्हें मिलना चाहिये। रामेश्वरलाल जी ने एक टेक्निकल सवाल उठाया। उसमें जरूर कुछ टेक्नीकलिटी है। उसको वीरसेन जी समझते हैं, वह बतलायेंगे। यदि इस तरह से होगा तो उसके लिए दूसरा चारा नहीं है, सिवाय इसके कि नामिनेशन किया जाय या नामजदगी की जाय। मगर कोआप्शन हो जाय क्षेत्र समिति में तो यह कुछ अच्छा है। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो यह संशोधन आया था कि दो आदमियों को कोआप्ट करें तो उनको लिया जाता और विधेयक में यह था कि पांच आदमियों को, जो विकास के कामों में अभिरुचि रखते हों, लिया जाय। तो फिर इसमें यह क्यों न रखा जाय कि ५ हरिजनों को ले लिया जाय? इसमें यह नहीं किया जासका। इतना भी कर दिया जाता कि ५ हरिजन आयेंगे तो इस तरह से मंत्री जी, वीरसेन जी के जो विचार हैं, उसकी पुष्टि कर सकते थे। फिर कोआप्शन से उनके लाने की जरूरत नहीं थी। अब

[श्री उग्रसेन]

कोआप्शन से ठाकुर, आयेंगे, ब्राह्मण आयेंगे, गुप्ता आयेंगे। उनको चुना भी जा सकता है, लेकिन जो ये पिछड़े हुये लोग हैं जिनका चुना जाना कठिन है। उनके लिये इस विधेयक में एक धारा रखनी चाहिये कि इस तरह के कोआप्शन से जो ५ आदमी आयेंगे उनके स्थान पर इन लोगों को जनसंख्या के अनुसार कोआप्ट कर लिया जाय या फिर दूसरी तरह से हो जाय। लेकिन यह माननीय मंत्री जी सोचते नहीं हैं। जहां पर आपको अपनी नाव खेना होती है वहां पर आप अपना रास्ता साफ करते हैं और हरिजनों की जब बात आती है तो कहते हैं कि बड़े पहाड़ हैं और खतरा है चलने से नाव चूर-चूर हो जायगी।

हमने रामेश्वर प्रसाद जी के संशोधन को नहीं देखा है। इसमें दो राय नहीं है कि ५ हजार वर्षों से इन ठाकुर, ब्राह्मण और गुप्ता ने इन लोगों को दबाया है। उनको उठाने के लिये अगर कोई कठिन रास्ता भी तय करना पड़े तो वह करना चाहिये। मंत्री जी जानते हैं कि ६० प्रतिशत हमने उनको देने के लिये कहा है जो नीचे हैं और जो दल-दल में पड़े हुये हैं। इसमें कोई ब्राह्मण या ठाकुर का सवाल नहीं है। जो आज ऊपर उठे हुये हैं उनको नीचे कर दिया जाय, यह सोशलिस्ट पार्टी कहती है। वीरसेन जी अपने जवाब में इन सब बातों को साफ करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी उनके संशोधन की भावना का पूर्ण समर्थन करती है। हरिजनों के लिये जो १८ फीसदी स्थान देने का सवाल है, यदि उसके लिये कुछ प्रबन्ध इस विधेयक में नहीं किया जाता है तो यह आप असंवैधानिक कार्य करते हैं और सरकार करती है। हम यह ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। जितने हरिजन सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज से बोले हैं सभी ने इसका समर्थन किया है तो फिर माननीय मंत्री जी को इसमें क्या विरोध है? वह इसके विरुद्ध कोई बात कहें तो यह दूसरी बात है।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो उनके हक़ के लिये हिमायती न हो। सब से बड़ा इस हिमायतीपन में राजनीतिक कारण होता है। अगर एक पार्टी कहती है कि हम आबादी के हिसाब स रिजर्वेशन मानने के लिये तैयार हैं, तो माननीय उग्रसेन जी की पार्टी कहती है कि नहीं, ६० प्रतिशत हम देने के लिय तयार हैं। आम तौर पर पार्टी भी पंडों की तरह होती है जो अपनी-अपनी तरफ खींचती हैं, और खींचने की कोशिश करती हैं। अपने-अपने घाट पर पंडे बैठे हुये हैं लेकिन प्रजातन्त्र की बात माननी चाहिये। प्रजातन्त्र की बात स्पष्ट और सीधी है कि जनता के द्वारा चुने हुये लोगों को ही हक मिलना चाहिये।

उस समय यह संरक्षण रखने की बात उठाई थी जब देश में आजादी की लड़ाई के सम्बन्ध में बाधा रूप में दो शक्तियां काम कर रही थीं—एक अम्बेदकर की शक्ति काम कर रही थी और एक जिन्ना की शक्ति काम कर रही थी। मुस्लिम और हरिजन माइनारिटी के लिये नारा लगाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरिजनों को उसी तरह से अलग कर दिया था जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को अलग किया था। लेकिन बाद में पूना पैक्ट हुआ और क्या-क्या कार्यवाहियां हुईं उन पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक हमारी हरिजन अथवा दूसरी पिछड़ी हुई जातियों को अपमानित किया गया, उस समय तक वे उन्नति नहीं कर सकीं।

समाजवाद में या कहीं भी जाति के हिसाब से किसी को भी कोई विशेष स्थान या सुविधा देना दुनिया के विधान में कहीं भी नहीं मिलता। हां, पिछड़े हुए दलित वर्ग के या शोषित वर्ग के लोगों को जितनी भी अधिक सुविधायें दी जायं वह सभी वांछनीय हैं और ठीक हैं। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग आज के बदले हुए जमाने में भी, जब कि दबाने के लिये जमींदार नहीं हैं, बड़े-बड़े दबाने वाले काश्तकार जब नहीं रह गये हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब गांवों में ऐसा कोई नहीं रह गया है कि जो यह कह सके कि तुम हमारी जमीन पर बसे हो, यहां से उठ कर चले जाओ, तो उन्हीं बातों को दोहराते जाना, हरिजनों के हित की बात नहीं है और न उनको यह किसी भलाई के रास्ते पर ले जाने का तरीका है। जो लोग भी उनको भलाई के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उन लोगों को चाहिये कि वे प्रजातंत्र के इस युग में उनको वोट लड़ाने का अभ्यास करायें, उनको सीटों पर खड़ा करा कर लड़ायें और खुद उनका साथ दें।

मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने यह जानते हुए भी कि हमारी सीट कमजोर हो रही है, हरिजनों और महिलाओं को स्थान दिया। इस तरह से जब पार्टियां एलेक्शन लड़ने चलती हैं तो उनके तौर तरीके में यह बात होनी चाहिये और उनको चाहिये कि वे हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों तथा दूसरे ऐसे तत्वों को स्थान दें और जिन लोगों के भीतर सार्वजनिक सेवा की भावना रहती है वह किसी भी समय किसी के पास मांगने नहीं जाते, बल्कि वह जनता के समक्ष जाते हैं और जनता उनको पहचानती है और वोट देती है। मैं इस प्रकार के अनेकों उदाहरण सकता हूं जहां जुल्म करने वाले जमींदार एक तरफ थे और दूसरी ओर बिलकुल साधारण, दबा हुआ किसान और अछूत और हरिजन कहलाने वाले लोग थे। अपनी सेवा के बल पर ही वह अन्य पार्टियों की मदद से जीते।

जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है इस सम्बन्ध में, उसमें शत प्रतिशत उन लोगों के लिये संरक्षण है जो लोग कि जनता की सेवा करना चाहते हैं और उसका काम करना चाहते हैं। फिर भी सरकार के दिमाग में ऐसा खयाल रहता है कि संभव है कि कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जहां हरिजनों का चुना जाना, बावजूद हमारे प्रयत्नों के संभव न हो इसलिये कम से कम उन्होंने ५ सीटें उनके लिये सुरक्षित रखी हैं कि पांच आदमी कोआप्ट कर लिये जायेंगे। ऐसी हालत में जो यह संशोधन रखा गया है यह अत्यन्त प्रतिगामी है, देश को पीछे ले जाने वाला है और इस सारे समाज को दकियानूसी तत्व की ओर, पिछड़ेपन की ओर ले जाने वाला है। यह हरिजनों के हित के विपरीत है और समाजवाद के सिद्धान्तों के विपरीत है और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के बिलकुल विपरीत है।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरसेन जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि जब देहातों में अभी तक हरिजनों के साथ ऊंच नीच के भावों को खत्म नहीं किया गया है तो उस समय ऐसा कहना कि उनको सुरक्षित स्थान न दिये जायं, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि किसी भी स्थान पर अब भी ऐसा नहीं है कि जहां हरिजनों के हित की रक्षा के लिये ग्रामीण आदमी, कम पढ़े लोग तैयार हों। जहां पढ़ा-लिखा समाज है वह तो थोड़ा इस बात को समझता है लेकिन अभी देहात की ग्रामीण जनता में जाति-पांति और घृणा की बात खत्म नहीं हुई है। अगर क्षेत्रीय समितियों में इनके स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये तो मैं समझता हूं कि उनके हितों का हनन होगा क्योंकि जहां तक विकास का सम्बन्ध है कोई भी आदमी उनका विकास करने के लिये तैयार नहीं होगा। जो कोआप्शन की दिक्कत हमारे रामेश्वर भाई ने उठायी है उसको मैं जानता हूं कि कोआप्शन ही एक तरीका हो सकता था उनके लाने का, लेकिन जहां मंत्री जी ने ५ आदमियों के कोआप्शन की बात रखी है वहां जनसंख्या के आधार पर भी रख सकते थे और कह सकते थे कि उनकी संख्या के आधार पर जैसी भी स्थिति हो।

आज के समाज में हरिजनों के अधिकार की और उनके हितों की बात कही जाती है। संविधान में इस दिक्कत को समझते हुये साफतौर पर १८ प्रतिशत का संरक्षण हरिजनों के लिये रख दिया गया। तो जहां यह संरक्षण है वहां तो हरिजनों के हितों की कुछ रक्षा की जाती है लेकिन जहां उनको यह संरक्षण नहीं दिया गया है वहां आज भी कोई उनके हितों की रक्षा करने वाला नहीं है। हमारे समाज की मनोवृत्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिस

[श्री सुक्खनलाल]

समाज में हरिजनों की यह हालत हो वहां हरिजनों की एक छोटी सी बात पर इतना वादविवाद हो और यह कहा जाय कि आज हरिजन काफी उन्नत हो चुके हैं, उनको संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये अन्त में मैं कहूंगा कि इस प्रस्ताव का सभी को समर्थन करना चाहिये और माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे बहुत ही ज्यादा दुःख है कि भाई वीरसेन जैसा समझदार आदमी इतना गलत प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने लाया। जिसे कहते हैं गुनाह बेलज्जत वह हालत यह है। वीरसेन जी यह चाहते हैं कि खंड ६ में जो उपखंड (३) है उसमें यह कर दिया जाय कि—"उपखंड (१) के भाग (५) में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से....". तो निर्वाचित सदस्य कौन हैं? वे हैं धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन खंड से निर्वाचित जिला परिषद् के समस्त सदस्य। धारा १८ को अगर आप देखें तो उसमें खंड (७), जिसमें वीरसेन जी चाहते हैं कि संरक्षण मिले, में यह है कि प्रत्येक खंड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित उतने व्यक्ति, जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे। वीरसेन जी चाहते हैं कि इनको सुरक्षित कर दिया जाय। अगर ६०, ७० या ८० आदमी खंड समिति में हों तो उसमें जो उनका परसेंटेज है इस धारा के अन्तर्गत सबके सब हरिजन चुने जायं यह वे चाहते हैं।

श्रीमन्, अगर हम वीरसेन जी का सुझाव मान लेते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि जितने भी इस धारा के मुताबिक चुन कर लोग आयेंगे वे सब हरिजन होंगे। यानी जितने भी फिर जिला परिषद् के अन्दर, डाइरेक्ट चुनाव हों उन सबमें हरिजन ही आ जायं। श्रीमन्, इसका असर क्या होगा, इस पर भी माननीय सदस्य ने विचार किया? इससे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और कटुता बढ़ेगी और फायदा कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ऐसी तो मंशा होगी नहीं उनकी कि जितने भी लोग चुने हुए आयें वे हरिजन हों। पता नहीं क्या समझ कर विरोधी सज्जन यह कहते हैं कि हम इसका पक्ष करते हैं। वह शायद यह समझते हैं कि इस तरह से वे कांग्रेस पार्टी के अन्दर कुछ फूट पैदा कर सकेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा गलत चीज और कोई हो नहीं सकती।

श्रीमन्, बार-बार विधान का हवाला दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या है विधान के अन्दर? क्या विधान में यह है कि सब जगह उनके लिये सीटें सुरक्षित होंगी? गांव सभा अपना प्रधान चुनेगी, उसमें संरक्षण कैसे कर दिया जाय? हर गांव की कमेटी होती है और वह अपने गांव को रिप्रजेन्ट करती है, अपने-अपने गांव की बात करते हैं। ५ आदमी हमने इसलिये उसमें रखे हैं कि वे बिलकुल अनरिप्रेजेन्टेड न चले जायं। इसलिये इस संशोधन से कोई मतलब नहीं निकलता है। यह तो वही मसल होगी कि पाप किया, चोरी की, और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इस हिसाब से तो सारा जिला परिषद् का करैक्टर ही हम बदल देंगे जो किसी को भी पसन्द नहीं होगा।

श्री मदन पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि चोरी भी की और कोई फायदा भी न हुआ, तो क्या चोरी जैसी बात इस संशोधन के सिलसिले में कहना या उसका रेफरेन्स देना उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं आपत्तिजनक जरूर है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह तो भाषा का मुहावरा है, और मुहावरे के तौर पर मैंने इसको इस्तेमाल किया था। मेरा मंशा कोई और किसी प्रकार का नहीं था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये । आप किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी ने ....

श्री उपाध्यक्ष—सवाल यह है कि परसनल एक्सप्लेनेशन में यह होता है कि कोई बात नहीं कही हो और आपके मुंह से कहलवा दें, किसी दलील का जवाब देने के लिए परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं होता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैंने कहा कि ५ परसेंट रख रहे हैं वहां उनकी आबादी के मुताबिक परसेंटेज मुकर्रर कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—यह परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

***श्री वीरसेन**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं सभी सदस्यों का जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस क्वार्टर से मैं समझता था कि मेरे संशोधन का समर्थन नहीं हो सकता है, उन्होंने भी एक माने में समर्थन किया—मेरा मतलब है रामेश्वर प्रसाद जी से । सारे जितने सदस्य बोले, उनमें मैं समझता हूं कि एक ही सदस्य ऐसे रहे और दुर्भाग्य से कहूं या सौभाग्य से कहूं, जो हरिजन नहीं हैं जिन्होंनें इसका विरोध किया है—श्री रामलक्षण तिवारी । बाकी जो विरोधी दल के सदस्य हैं, वह चाहे किसी वर्ग के रहे हों, उन्होंने सभी ने इसका समर्थन किया । मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

इस प्रश्न पर कुछ मौलिक प्रश्न उठाये गये । मैं चाहूंगा कि ५ या ७ मिनट की जो कैद है इसको आप ढीला कर दें तो मैं उत्तर दे सकूं । अभी माननीय रामलक्षण तिवारी जी ने यह कहा कि आजादी के रोड़े अम्बेदकर और जिन्नाह थे, और उस वक्त में इस प्रकार की मांग स्वीकार की गयी, जिससे उनका एतराज खत्म हो । मैं समझता हूं यह एक बड़ी गलत धारणा के ऊपर आधारित बात उन्होंने कही है । इसका मतलब यह हुआ कि हरिजनों की समस्या उस वक्त में भी नहीं थी और आज भी नहीं है और उसको वह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने आगे भी स्पष्ट करने की कोशिश की और कहा कि आज कोई मकान से निकालता नहीं है, आज सब सुख-सुविधा उनको है । मैं यह चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

सन् ३४ में जब इस बात को स्वीकार किया गया पूना पैक्ट में, जो परिस्थिति उस वक्त थी, वैसी की वैसी आज भी बनी हुई है (तालियां) । आप कृपया सुनिये । इस वक्त में आप सुनें । मैं १९५५–५६ की बात कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय । मेरी कांस्टीट्युएन्सी में एक केस हुआ जिसमें एक आदमी का मकान था जो कि उसने किसी जमाने में जमींदार की जमीन पर बनवाया था । उससे कहा गया कि तुम बेगार नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हें निकाल दिया जायगा । नतीजा यह हुआ कि एक दिन जब वह कहीं गया हुआ था उसकी मां के साथ उसका सामान बाहर फेंक दिया । उसकी पुलिस में रिपोर्ट हुई । मैंने कोशिश की, भूतपूर्व मंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जिक्र किया । उसके बाद भी नतीजा यह हुआ कि उसका जो मकान था उसको मिसमार कर दिया गया, उसका निशान भी नहीं छोड़ा गया और वह उस मकान से निकल कर दूसरे गांव में बसा हुआ है । और राम लक्षण तिवारी कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है हरिजनों की, सब समाधान हो चुकी है ।

मजदूरों के ऊपर रोजाना सवाल उठते हैं । मेरी कांस्टीट्युएंसी में इस प्रकार के कई सवाल उठ चुके हैं । उनसे कहा जाता है कि ६ आने पर मजदूरी करो नहीं तो तुम्हारा रास्ता बन्द, खाना बन्द, खेतों में नहीं जाने देंगे, घास नहीं खोदने देंगे, जानवर नहीं पालने देंगे । यह परिस्थिति आज भी मौजूद है और रामलक्षण तिवारी जी को खास तौर से इस बात को मानना चाहिए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य शान्त रहें ।

श्री वीरसेन—यह बातें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सत्य हैं और कटु सत्य हैं । मैं जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अब भी तहसील गाजियाबाद में इसी प्रकार की मेरे पास शिकायत आयी हुई है कि वहां का रास्ता बन्द किया हुआ है । जब तक जमींदारी अबालीशन नहीं हुआ था, कम से कम लोगों को यह सुविधा थी कि घास खोद कर बेच सकते थे, अपने जानवरों को पाला करते थे, लेकिन अब तो वह भी खत्म हो गया है । तो आप जो कहते हैं कि समस्या खत्म हो गयी है हरिजनों की यह बिलकुल गलत है, बल्कि पहले जो अत्याचार होते थे उनकी मात्रा बढ़ी है, घटी नहीं है ।

एक बात और अर्ज करूंगा कि रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं । मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई भी सद्बुद्धि रखने वाला आदमी इनकार नहीं कर सकता कि इसकी जरूरत है । इस सदन में भी अधिकार मिले हुये हैं, सुरक्षित सीटों पर लोग आते हैं लेकिन बहुत से प्रश्नों पर वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते । अपनी इच्छा के विरुद्ध वह वोट देते हैं । ऐसे प्रश्नों पर जहां अधिकारों का प्रश्न हो, हितों की रक्षा का सवाल हो वहां पर उनका होना जरूरी है नहीं तो अधिकारों का हनन होता है । सर्विसेज के बारे में ही आप देख लें कि एकाध डिपार्टमेंट को छोड़कर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि रिजर्वेशन पूरा हो गया हो । चपरासियों तक में भी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है । कह दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते । मैं भी मानता हूं कि छुआछूत की वजह से चूंकि वह अफसरों के घर बर्तन नहीं धो सकते इसलिये वह योग्य नहीं होते । इस संबंध में अब मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

मान्यवर, कुछ टेक्निकल एतराजात किये गये । श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि उनका आगे आने वाला संशोधन ज्यादा साफ है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका संशोधन ज्यादा साफ नहीं है बल्कि ज्यादा गलत है । यह बात आपस में तय करने की नहीं है, सदन स्वयं इसको तय करेगा । उन्होंने एतराज किया कि किस तरह से संख्या तय की जायगी । मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में गुंजायश है कि कोई रिजर्व्ड सीट का आदमी जनरल सीट पर जा सकता है । आखिर कहां तक ज्यादा हरिजनों की आबादी होगी ? अगर हरिजनों का कोई व्यक्ति फाजिल आ जाय तो उसके लिये आपको एतराज नहीं होना चाहिये, बल्कि आपको थोड़ा फराखदिल होना चाहिये ।

जहां तक यह बात कही गई कि कोआप्शन और नामिनेशन के सिवाय कोई चारा नहीं है, मैं इन दोनों के खिलाफ हूं क्योंकि यह बात डेमोक्रैटिक इंस्टीट्यूशन्स के खिलाफ है । यह अन-डिमोक्रैटिक है, रेप्रेसिव है और पीछे हटाने वाला है ।

एक बात पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने और खाई को दूर करने के संबंध में कही गई । इसका भी जिक्र किया गया कि जो संशोधन है वह हरिजनों के अहित में है, हित में नहीं है । मैं अर्ज करूंगा कि जिन लोगों में यह छुआछूत और भेदभाव का मर्ज है उनके दिमागों को साफ करने की जरूरत है । आज जो पिछड़े हैं, जिनको पिछड़ा कहा जाता है वह पिछड़े नहीं हैं बल्कि वह पिछड़े हैं जो कि यह समझते हैं कि अछूतों के साथ न्याय नहीं होना चाहिये, उनको अधिकार नहीं मलने चाहिये । असल में वही पिछड़े हैं और उनको यह सिखाने की जरूरत है कि न्याय क्या चीज होती है, हरिजनों के साथ में अनन्तकाल से जो अन्याय होता रहा है उसको दूर करके किस प्रकार से न्याय किया जाय ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो कि डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट एलेक्शन्स से सिद्धान्त के बारे में है । मंत्री जी ने इस सैक्शन में जो प्रस्ताव किया है वह प्रधानों और दूसरे एक्स-आफिशियो मेम्बर्स का किया है वह मैं नहीं समझ पाया । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी समझावें कि जब छोटी-छोटी कांस्टीटुएन्सीज हैं तब फिर इनडायरेक्ट एलेक्शन्स की क्या जरूरत है । जहां पर बहुत बड़ी कांस्टीटुएंसी हो वहां पर तो इनडाइरेक्ट एलेक्शन कराने की बात समझ में आ

सकती है लेकिन छोटी कांस्टीट्युएंसी के लिये ऐसा क्यों किया जा रहा है ? इसके अलावा यहां पर कोई स्पेशल नालेज या स्किल का भी सवाल नहीं है, यहां पर एक प्रधान को जितनी नालेज होगी उतनी नालेज दूसरे चुने हुये लोगों को भी हो सकती है । मैं को आप्शन आफ मेम्बर्स के बिलकुल विरुद्ध हूं । उपखंड (१) और (२) को तो बिलकुल निकाल दिया जाय तथा (३) और (४) में जहां स्पेशल इन्टरेस्ट्स का सवाल है, उनको अगर रखा जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

अब मैं माननीय मंत्री जी की बात पर आता हूं । उन्होंने कहा कि गुनाह बेलज्जत । मैं इस बात को जानता हूं कि वे इसको स्वीकार नहीं करेंगे और जब मैंने इसको पेश किया था तभी मैं जानता था कि इसको वे स्वीकार करने वाले नहीं हैं । मैंने इस प्रस्ताव को इसलिये रखा था कि रिकार्ड पर आ जाय कि हम लोग क्या चाहते थे और अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी यह रिकार्ड में तो रहे कि हरिजन सदस्य जिस बात को चाहते थे उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया । अगर माननीय मंत्री जी हरिजनों के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि खंड १८ के मा हत भी कोई दिक्कत नहीं है और उनकी संख्या को बढ़ा कर रिजर्वेशन का कोटा फिक्स किया जा सकता है ।

अन्त में एक बात मैं कहूंगा । माननीय मुरलीधर जी ने इस बात का जिक्र किया कि शर्मा जी गांधीवादी हैं । मैं आपको सन् ३४ की तरफ से ले जाना चाहता हूं । सन् ३४ में प्राइम मिनिस्टर ने यह तय किया कि हरिजनों को अलहदा भी वोट देने का अधिकार होगा और ज्वाइन्ट इलेक्शन में भी वोट दे सकते हैं, उस समय गांधी जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सीट्स तय की हैं वे उनसे ज्यादा देंगे और इसके लिये पूना पैक्ट हुआ । अब माननीय मंत्री जी गांधीवादी हैं लेकिन बजाय बढ़ाने के वे हरिजनों के अधिकारों को और घटा रहे हैं और उसको घटा कर उन्होंने ५ कर दिया है । मेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि ५ में ही क्या सेंक्टिटी है । बजाय उसके इतनी संख्या क्यों न रखी जाय जिससे उनके हितों का संरक्षण हो सके ? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमान्, मुझे अफसोस है कि वीरसेन जी ने अपनी बात को साफ करने के बजाय और बिगाड़ दिया । जो मकसद उनका था, वह उनकी तरमीम को मानने से भी हल नहीं होता है । इस छोटी सी बात को समझने से वे जो इंकार करते हैं उससे मुझे दुःख होता है और बिना समझे हुए दूसरे माननीय सदस्य भी कहते हैं कि मंत्री जी उनको एकोमोडेट कर सकते हैं । उनको यह समझना चाहिये कि मंत्री जी क्या क्या कर सकते हैं । एक एक जिले के अन्दर ३० से ३२ तक खंड हैं । जो साधारण हैं उनमें २५ हैं । उनको छोड़ दिया जाय जो पहाड़ी जिले हैं जिनमें ५, ७ या ८ हैं । आमतौर पर अगर २५ की संख्या भी मान ली जाय तो २५ आदमी डायरेक्टली चुन कर जिला परिषदों में आयेंगे और २५ एक एक खंड से हो गये । इस तरह से ५० हो गये । अब एम० एल० ए० और एम० पी० भी वहां जाने के इच्छुक हैं । उन सबको मिला कर १८–२० हो जाते हैं । कुछ अनुमेलन से आयेंगे, कुछ बहनें भी आयेंगी । अब इसके अन्दर ५ भी हरिजन मान लें तो १०–१२ की संख्या यह हो जाती है । तो यह तादाद कहां पहुंचेगी ?

अब अगर सिर्फ एक एक सदस्य में और बढ़ाना चाहूं भाई वीरसेन के दिल के दर्द को कम करने के लिये तो दुगुना करूं तब एक क्षेत्र से उनको दो सदस्य मिलेंगे । माननीय वीरसेन जी अनुमेलन के भी बरखिलाफ हैं, नामिनेशन के भी बरखिलाफ हैं और जहां ५ लिखा हुआ है उसको वे ५ की जगह २ कराने के लिये कह रहे हैं । तो इस तरह से डाइरेक्टली ७५ हो जायंगे और दो चुने हुए तथा एक पदेन होंग । बड़े-बड़े जिलों के अन्दर जहां तीस तीस खंड हैं वहां एकदम ९० हो जायेंगे और बाकी एम० एल० एज०, एम० पीज० और १०, १२ जो दूसरे आने वाले हैं वे सब मिला कर १२० के करीब तादाद जाती है । और फिर भी क्या मिलेगा ? इतना लोगों को खिलाफ करने के बाद आपको सिर्फ दो सदस्य मिले । खोदा पहाड़ और निकला चूहा ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

आपने बिटरनेस तो इतना क्रिएट किया लेकिन भाई वीरसेन जी इसको समझे नहीं कि इतने बिटरनेस के बाद उनको मिला क्या ।

मैं समझता हूं कि श्री वीरसेन के दिल में बहुत दर्द है लेकिन मैं उनको बतला दूं कि उनका जो दुख है वह उन लोगों के हरिजन होने की वजह से नहीं है, बल्कि वह गरीबी की वजह से है । गरीब अगर ब्राह्मण हो, गरीब अगर ठाकुर हो तो उसके मकान भी उसी तरह से गिरा दिये जाते रहे हैं । कोई उनके ठाकुर या ब्राह्मण होने की परवाह नहीं करता था । कुछ बनिये हमारे पास भाग कर रोते हुए आये । लेकिन मैं यह मानता हूं कि आमतौर से उनके साथ गरीबी भी बाबस्ता है । श्री वीरसेन जी को कोई हरिजन कह कर उनकी तरफ आंख नहीं उठा सकता । अगर कोई उनकी तरफ आंख उठावेगा तो वे उसकी आंख फौरन निकाल लेंगे । किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई उन्हें हरिजन भी कह दे । तो वे ज्यादा बरखिलाफ हरिजनों के नहीं हैं जितना कि गरीबी के खिलाफ हैं ।

मैं किसी पार्टी, किसी जाति या लोगों के विषय में अभी नहीं जाता हूं । मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि यह बड़ा डेलिकेट मामला है और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सुधार ऐक्ट और कानून से नहीं हो सकता, इसका सुधार अगर होगा तो जनता में जागृति पैदा कर, समझदारी पैदा कर ही होगा । इसके अलावा और कोई चारा नहीं है । अब अगर भाई वीरसेन की बात हम मान लें तो इसका परिणाम यह होगा कि डाइरेक्टली जो जिला परिषदें बनें उनमें कोई भी नान हरिजन न जाने दें । मैं श्री वीरसेन जी से पूछना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं कि इस तरह की टेरिबिल चीज करके हरिजनों को वहां का मेम्बर बनाया जाय ? इसका परिणाम यह होगा कि नान हरिजनों के अन्दर यह चीज उत्पन्न हो जायगी कि इन हरिजनों ने हमको परिषद् में नहीं आने दिया । क्या वे इस कास्ट पर दो सीट क्षेत्र में लेना चाहते हैं ? यह ज्यादा आसान है कि चूंकि मामला डेलिकेट है इसलिये गवर्नमेंट को इस पर दबाया जा सकता है, जैसा कि दूसरे पक्ष का खयाल है, लेकिन खुदा के वास्ते हम किसी बात को समझें तो ।

नासमझी की बात के पीछे, उल्टी सही बातों के पीछे, गलत बातों के पीछे जाना और फिर यह कहना कि माननीय मंत्री महोदय हमारे सुझाव को नहीं मानते हैं, सही नहीं है । क्या मैं ऐसे सुझाव को मान कर एक भी नानहरिजन को जिला परिषद् के अन्दर न जाने दूं ? और संविधान के नाम पर न जाने दूं, समझदारी के नाम पर न जाने दूं, हरिजनों के हित के नाम पर न जाने दूं ? क्या यह सही बात होगी ? अपनी बातें कहते हुए श्री वीरसेन ने अपनी सारी विद्वता बघार दी और जितना दर्द उनके दिल में था वह सब निकाल दिया, उससे कुछ कटुता ही बढ़ी सदन के अन्दर और माननीय सदस्य का कोई लाभ नहीं हुआ । लेकिन उनका कहना है कि वे इस चीज को रेकार्ड में रखना चाहते हैं कि उनका यह प्रस्ताव था कि जिला परिषद् के अन्दर नान हरिजन को न रखा जाय । अगर इससे उनको सन्तोष है तो रखें रेकार्ड में । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और दस्तबस्ता प्रार्थना करता हूं कि वे अपने इस गलत संशोधन को मेहरबानी करके, इस सदन पर मेहरबानी करके वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आर्डर, आर्डर ।

श्री वीरसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी राय तो पहले ही जाहिर कर चुका हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि किसी तरह की कटुता नहीं होनी चाहिये । लेकिन यह भी मैं चाहता हूं कि जहां तक अधिकारों की रक्षा का ताल्लुक है, उसका कोई न कोई उपाय होना चाहिये । जहां तक इसको वापस लेने का प्रश्न है, उसके बारे में मैं वह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इसमें खुशी नहीं है कि यह वोट लेने पर गिरे । मैं जानता हूं कि यह गिरेगा अगर प्रेस किया गया तो । इसलिये मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय :—

खंड ६ के उपखंड (२) भाग (३) में दूसरी पंक्ति में शब्द "यदि उपधारा (१) से पांच हो जाय" तक के शब्द निकाल दिये जायं तथा निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय :—

"उपखंड (१) के भाग (५) में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से परिगणित जाति के सदस्यों के लिये उतनी संख्या में स्थान सुरक्षित किये जायेंगे जितनी संख्या का अनुपात भाग (१) से भाग (५) तक के समस्त सदस्यों की संख्या से वही हो जो अनुपात परिगणित जातियों की जनसंख्या का क्षेत्र की सम्पूर्ण जन-संख्या से है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६३,

विपक्ष में—२५ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब आगे जितने संशोधन हैं वह करीब-करीब इसी समस्या से संबंधित हैं, तो हम हर संशोधन-कर्ता को मौका देंगे कि अपना पेश कर ले । चूंकि इसमें काफी भाषण हो गये हैं पक्ष और विपक्ष के, इसलिये माननीय मंत्री जी अन्त में जवाब दे देंगे । तो आप लोगों का समय बच जाएगा । मेरा यही निवेदन है । जहां तक हो संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—प्रस्ताव से भी कम संक्षेप में कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की तृतीय पंक्ति में शब्द तथा (२) को निकाल दिया जाय । मान्यवर, इस समय जो प्रस्तुत विधेयक है इसमें जो व्यवस्था है उसके अनुसार २ व्यक्ति नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले अनुमेलित किये जायेंगे और उसके बाद ५ महिलायें और अनुमेलित की जायेंगी । लेकिन मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह उपधारा (२) के खंड ३ से संबंधित है और इसमें यह है अगर खंड १ में और खंड २ में महिलायें जहां पर हैं वह भी कोआप्ट हो जायं, हरिजन महिलायें, तो जो हरिजन मेम्बर्स कोआप्ट किये जायंगे उनकी संख्या ५ से कम हो जायगी । इसलिये मेरा संशोधन है अगर हरिजनों को स्थान देना चाहते हैं, जैसा कि सदन की भावना से स्पष्ट है, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा इस खंड २ को निकाल दें उससे बिलकुल हरिजनों के लिये ५ स्थान सुरक्षित हो जायेंगे और मैं समझता हूं मंत्री जी सदन की भावनाओं का आदर करते हुए मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं । खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की चौथी पंक्ति का शब्द "पांच" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "उनकी उस क्षेत्र की जन-संख्या के प्रतिशत के हिसाब से जो प्रतिशत क्षेत्र समिति के कुल सदस्यों का क्षेत्र की कुल जन-संख्या के प्रतिशत के आधार पर निकाला जायगा" रख दिया जाय तथा अन्तिम पंक्ति में शब्द "पांच हो जाये" को निकाल कर शब्द "उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर हो जाये" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मेरी मंशा बिलकुल साफ़ है और मैं पहले भी प्रस्ताव पर अपनी मंशा को जाहिर कर चुका हूं कि मैं ऐसा समझता हूं क्षेत्र समिति में रिजरवेशन से हरिजनों को नहीं लिया जा सकता है । इसलिये मैं मंत्री जी के दिल में जो बात है कि नोमीनेट कर दिया जाय ५ आदमियों को कोआप्ट करके क्षेत्र समिति में, तो ५ के नम्बर के बारे में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उसका कोई आधार मेरी समझ में नहीं आता, कोई कह सकता है कि ७, १०, या १४ रखे जायं, लेकिन मेरी अपनी राय है कि ७ का नम्बर शुभ माना जाता है इसलिये ५ की बजाय ७ रखे जायं । लेकिन इसका कोई आधार नहीं है । अतः मेरी मंशा

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

यह है कि क्षेत्र समिति में हरिजनों की संख्या इससे अधिक होनी चाहिये । इस युग में जब हम जनतंत्र की बात कर रहे हैं तो मैं इस मनोवृत्ति का चाहे वह किसी तरफ़ से रखी जाय सख्त विरोधी हूं कि मैं ही अकेला हरिजनों का ठेकेदार हूं, या मैं ही उनका सेवक हूं और दूसरे समाज के व्यक्ति नहीं हैं ।

यहां बहुत से कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी हरिजनोद्धार में बिताई है । और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी उसी श्रेणी में गिनता हूं तो मैं यह गुस्ताखी इस सदन में नहीं कर सकता हूं कि केवल हरिजन ही हरिजनों का वेलफेयर देखते हैं और नहीं । यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है इससे हरिजनों का नुकसान हो सकता है क्योंकि समाज में हमारा प्रतिशत एक चौथाई या एक बटे पांच होगा अगर इस तरह का वातावरण हम समाज में पैदा कर दें और हर जगह बिटरनेस पैदा हो जाय तो आप जो इस विचार से हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं कि उन्हें अपनी बराबरी पर लावें और यदि यह भावना आ जावे कि हरिजन आपकी सेवाओं को ठुकरा रहे हैं तो आपको ठेस पहुंचेगी और आपकी तरह से सभी सेवा करने वालों को ठेस पहुंचेगी । इसलिये इस तरह की बात सदन में कहना ठीक नहीं होगा । यह समाज के हित में नहीं है । इस प्रसंग में यह अवश्य कह दूं कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं, मंत्री जी मुझसे योग्य हैं, अगर मेरा जो प्रस्ताव है वह फिट नहीं बैठता है तो माननीय मंत्री जी अपनी तरह से मान लें लेकिन जो मेरी भावना है वह मैंने रख दी कि हमारा आबादी के हिसाब से परसेंटेज हो और आबादी के हिसाब से न हो तो भी कोई शिकायत मुझे नहीं होगी लेकिन १२० में से केवल ५ मेम्बर हों यह बहुत कम है, ऐसा मैं समझता हूं ।

मैं अपने समाज सेवी और कर्मठ स्वशासन मंत्री जी से, जिन्होंने जिन्दगी भर हरिजन सेवा में (हरिजनोद्धार में) अपना जीवन खपाया है, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हो सकता है यह कैबिनेट का विषय हो, अब कैबिनेट तो अभी बैठी नहीं है तो इस प्रस्ताव पर इस वक्त वोटिंग न करावें और वे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से जिनसे बातें हो चुकी हैं और जिनका काफी सहयोगपूर्ण रुख हरिजनों की तरफ है परामर्श कर लें, अन्य मंत्रिवृन्द से परामर्श कर लें और अगर विचार ठीक समझ पड़े तो मैं आग्रह करूंगा और इसको वे मेरा दुराग्रह न समझें बल्कि प्रार्थना और आग्रह ही मानें, मैं उनके पास अपनी अपील और अपना संदेशा भेजता हूं कि वे इस बात को मान लें और हम लोगों की और वीरसेन जी की उन भावनाओं को संतुष्टि दिलावें । जितना बिटरनेस आज दिखलाई दिया है वह सब समाप्त हो जावेगा । केवल टारगेट यही है कि जो यह संख्या है वह बढ़ जाय तो हम लोगों का मतलब हल हो जायगा । मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको मान लेंगे और चाहे कोआप्शन और चाहे नामिनेशन जिस भी तरह हो, मुझे नामिनेशन में भी आपत्ति नहीं होगी, इस संख्या को बढ़ावें । उस भावना के तहत में जो सदन में प्रकट हो रही है मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव जरूर मान लिया जायगा, इसमें दो राय नहीं हैं । इस विश्वास के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश कर रहा हूं ।

श्री माताप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा-सा संशोधन करके अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास आ गया है । आप पेश करें ।

श्री माताप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की पंक्ति २ से शब्द "यदि उपधारा (१)" से लेकर पांचवीं पंक्ति की "पांच हो जायें" तक निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय :—

"खंड की कुल जन संख्या में अनुसूचित जातियों की जन-संख्या के अनुपात में उतने व्यक्ति जिनसे अनुसूचित जातियों का संरक्षण पूरा हो जाय ।"

मान्यवर, इस संशोधन के रखने से मेरा मतलब यह है कि उस क्षेत्र में कुल मेम्बरों को मिलाकर जितनी अनुसूचित जातियों की संख्या हिसाब से आती हैं उतनी रखी जाय । यह कोई गलत चीज

भी नहीं है जब कि ग्राम सभाग्रों में , टाउन एरियाग्रों में, नोटीफाइड एरियाग्रों में, नगर महापालिकाग्रों में, विधान सभा में ग्रौर पार्लियामेंट में भी हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व्ड हैं तो यह समझ में नहीं ग्राता कि ये जो नई इकाइयां बन रही हैं जिनका गांव के उत्थान में बहुत ज्यादा स्थान होगा उनमें हरिजनों का स्थान क्यों नहीं रखा गया है । इसमें काफी संख्या सदस्यों की हो जायगी जो क्षेत्रीय समितियों के सदस्य होंगे । उनमें कुछ हरिजन सदस्य प्रधान के रूप में ग्रौर कुछ लोग नामिनेशन के रूप में ग्रा सकते हैं लेकिन इससे जो हरिजनों के निर्माण के कार्य होंगे वे नहीं हो सकेंगे । क्षेत्रीय समितियां ही हरिजनों का कल्याणकारी काम करेंगी । इसलिये इन क्षेत्रीय समितियों में हरिजनों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

मैं यह भी मानता हूं कि दूसरी जातियां भी हरिजनों के लिये कल्याणकारी काम करती हैं । यहां विधान सभा में ९० सदस्य हरिजन हैं ग्रौर करीब-करीब सभी सदस्यों की यह राय है कि क्षेत्र समितियों में हरिजनों की संख्या के ग्राधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिये । माननीय मंत्री जी हरिजनों की भावना को ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरिजनों को जो रिजर्वेशन संविधान के द्वारा प्राप्त है वह उनको मिल सके । भारत के संविधान में संरक्षण जनसंख्या के ग्रनुपात से है लेकिन ग्राप ५ की संख्या रखने जा रहे हैं यह समझ में नहीं ग्राता । कुछ सदस्यों ने कहा कि हरिजनों के लिये संरक्षण की बात कहीं इतिहास में नहीं मिलती है । जो लोग ऐसा कहते हैं वे हमारे संविधान के प्रति ग्रास्था प्रकट नहीं करते । जो हमको संविधान में मौलिक ग्रधिकार दिये गये हैं उनको हमें मानना चाहिये । ग्रगर चुनाव के द्वारा हरिजन न ग्रा सकें तो कोग्राप्शन या नामिनेशन के द्वारा उस खंड की ग्राबादी के हिसाब से लिये जायं । इन शब्दों के साथ मैं ग्रपना संशोधन रखता हूं ।

श्री सजीवनलाल—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) में ग्राखिरी पंक्ति के ग्रन्त में शब्द "पांच हो जाय," निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "समिति के कुल सदस्यों की संख्या के १८ प्रतिशत हो जायं," रख दिये जायं । मुझे यह प्रस्ताव रखना था ।

***श्री मोतीलाल ग्रवस्थी**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के प्रथम तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं ।

श्रीमन्, जो दो प्रतिबन्ध हैं वह इस प्रकार हैं कि:—"प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम उक्त खंड के क्षेत्र की राज्य विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित न हो ग्रथवा जो धारा १३ के ग्रधीन ग्रनर्हित हो उपधारा (१) के खंड (३) तथा (४) के ग्रधीन सदस्य न चुना जायगा ग्रौर न उपधारा (२) के ग्रधीन ग्रनुमेलित किया जायगा ।"

"द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान या टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या नोटिफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्ट के पद के रिक्त रहने की ग्रवधि में यथास्थिति उप-प्रधान, वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसीडेन्ट का पद धारण करने वाले व्यक्ति, (यदि कोई हो) क्षेत्र समिति या उसकी समितियों (कमेटियों) की बैठकों में प्रधान, चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट के स्थान पर सम्मिलित होने का हकदार होगा ।"

इसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है । मुझे भय है कि इसके रहने से शायद ऐसे लोगों के भी नाम हट जायं जिनका रहना उचित होता । इसलिये ऐसे लोग भी इस सूची में ग्रा जायं इसलिये यह संशोधन रखा गया है । दूसरे प्रतिबन्ध के संबंध में मुझे दुविधा मालूम होती है क्योंकि वाइस प्रेसीडेन्ट या वाइस चेयरमैन उसकी एक दो मीटिंग में ही पहुंच पायेंगे इससे कोई काम नहीं हो पायेगा । उचित होता यदि कोई प्राविधान होता ग्रौर वह सदस्य के रूप में रहते । वरना वह तो एक दो मीटिंग में ग्रा पायेंगे ग्रौर उसके बाद चेयरमैन ग्रायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ऐसी दशा में यह क्रम अच्छा दिखाई नहीं देता । इन्हीं कारणों से मैंने यह संशोधन रखा है कि यह हटा दिये जायं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की पंक्ति चार और पांच में अंक "५" के स्थान पर अंक "८" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि मंत्री जी बहुत उदार हैं और हरिजनों का खयाल रखने वाले हैं । इसमें हमें शुबहा नहीं है इसलिये इस रूप में इसको पेश करने की हिम्मत कर रहा हूं । मुझे आशा है कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से मेम्बर बढ़ जायेंगे और वह भी सदस्य हो जायेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, बहुत ज्यादा बहुमत और भावना को देखते हुये मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की तृतीय पंक्ति में शब्द "तथा (२)" को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं अपना संशोधन वापस लिये लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री माता प्रसाद---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) में आखिरी पंक्ति के अन्त में शब्द "पांच हो जाय" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "समिति के कुल सदस्यों की संख्या के १८ प्रतिशत हो जायं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के प्रथम तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (३) की पंक्ति चार और पांच में अंक "५" के स्थान पर अंक "८" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

क्षेत्र समिति के प्रमुख तथा उप-प्रमुख और उनका निर्वाचन

७---(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति का एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख होगा, जिनका निर्वाचन धारा ६ की उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित क्षेत्रसमिति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही गुप्त मतदान द्वारा ऐसी रीति से, किया जायगा जिसकी नियमों के द्वारा व्यवस्था की जाय और उन नियमों में प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन से सम्बद्ध शंकाओं तथा विवादों के निर्वारण की भी व्यवस्था की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (६) तथा (७) में निर्दिष्ट सदस्यों में से कोई भी सदस्य प्रमुख अथवा उप-प्रमुख निर्वाचित नहीं किया जायगा ।

(२) यदि धारा ६ के उपधारा (१) के खंड (१) या खंड (२) में उल्लिखित कोई सदस्य प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के रूप में चुन लिया जाय, तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी वह उस पद पर न रहेगा जिसके आधार पर वह क्षेत्र समिति का सदस्य बना था, परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा ६ में है, वह पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति यथास्थिति पूर्वोक्त खंड (१) या खंड (२) के अधीन, क्षेत्र समिति का सदस्य होगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रमुख या उप-प्रमुख इस पद पर उस दशा में नहीं रहेगा जब वह क्षेत्र समिति का सदस्य न रहे अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रमुख या उप-प्रमुख बने रहने के लिये अन्य प्रकार से अनर्हित हो जाय ।

(४) यदि क्षेत्र समिति के कार्यकाल के व्यतीत होने के पूर्व प्रमुख अथवा उप-प्रमुख का पद रिक्त हो जाय, तो रिक्त की पूर्ति के लिये यथास्थिति प्रमुख या उप-प्रमुख, नियत रीति से निर्वाचित किया जायगा और इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये उक्त स्थान के लिये निर्वाचित व्यक्ति, अपने पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये पद धारण करेगा ।

श्री माताप्रसाद—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति एक, दो तथा पांच में शब्द "प्रमुख तथा उप प्रमुख" के स्थान पर क्रमशः "क्षेत्रपति" तथा "उप क्षेत्रपति" रख दिये जायं । तथा इस विधेयक में जहां कहीं भी "प्रमुख," "उप-प्रमुख" आये हों वहां क्रमशः "क्षेत्रपति" तथा "उप-क्षेत्रपति" रख दिया जाय ।

मान्यवर, यह शाब्दिक संशोधन है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि प्रमुख और उप-प्रमुख एक तरह से टेक्निकल शब्द हो गये हैं । नगरमहापालिकाओं के सभापति और उप-सभापति क्रमशः प्रमुख और उप प्रमुख नाम से पुकारे जाते हैं । इसी तरह से हमारे विधान सभा के सभापति, अध्यक्ष कहलाते हैं और विधान परिषद् के चेयरमैन कहे जाते हैं । इसलिये अलग-अलग नाम होने चाहिये । अगर नगरपालिकाओं और खंड समितियों के सभापति दोनों प्रमुख ही कहे जायेंगे तो अगर कहीं एक जगह इकट्ठा होंगे तो भ्रम हो जायगा । दूसरी चीज यह है कि इन खंडों की जो समितियां हैं उन्हें क्षेत्र समिति नाम दिया है । इस तरह से मैं चाहता हूं कि क्षेत्र-पति नाम जो हैं मंत्री जी मान लें । इसमें कोई विशेष अड़चन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं खंड ७ के उपखंड (१) के सब संशोधन साथ ले रहा हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) की पंक्ति २ में शब्द "अपने में से ही" निकाल दिया जाय । इस संशोधन का अर्थ यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि संभव है कि जो प्रधान गांव सभा से चुनकर आयें उस क्षेत्रीय समिति में उनको वोट देने का अधिकार हो, लेकिन उस क्षेत्र समिति का प्रमुख उनमें से न होकर उस क्षेत्र का कोई दूसरा आदमी भी हो सके, इस संशोधन का केवल इतना ही अर्थ है । मैं ऐसा समझता हूं कि पार्टी पालिटिक्स के आधार पर या चुनावों में नामिनेशन के आधार पर जैसे कि पंचायत राज ऐक्ट के संशोधन में सरकार ने यह भी अधिकार लिया है कि जिस गांव में गांव सभा के प्रधान का नियमानुकूल चुनाव न हो सके और फिर एक मौका देने के बाद भी न हो सके तो सरकार नामिनेट कर देगी प्रधान को, तो इस प्रकार के नामिनेटेड और चुनाव से आये हुए दो प्रकार के प्रधान गांव सभा से

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

चुनकर क्षेत्र समिति के सदस्य होंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग भी सदारत करने के योग्य और प्रमुख पद के कार्य भार को निभाने योग्य हो सकते हैं। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि उन सदस्यों में से जो क्षेत्र समिति के सदस्य हों उनके अलावा दूसरे लोग भी उस क्षेत्र के प्रमुख, उप-प्रमुख या कनिष्ठ प्रमुख हो सकें। यह मेरे संशोधन का अर्थ है।

मैं यह भी आपसे निवेदन करूंगा कि इसके साथ ही मेरा एक और भी संशोधन है इसा खण्ड के प्रतिबन्ध के रूप में, अगर आप इजाजत दें तो उसको भी पेश कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह है ३१-क—हां, इसे भी पेश कर दीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—तो आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रत्येक क्षेत्र समिति का उपप्रमुख या कनिष्ठ उप-प्रमुख दोनों में, एक हरिजन या, स्त्री का चुनाव उक्त पदों के लिये अनिवार्य होगा"।

इस खण्ड के पहले इस पर काफी विवाद हुआ और काफी लड़ाई हुई। मेरा मंशा केवल यह है कि अगर कोई हरिजन उप-प्रमुख या कनिष्ठ उप-प्रमुख चुन लिया जाय तो ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जायगा बजाय इसके कि पांच की जगह आठ उन्होंने करा लिया माननीय मंत्री जी से। आखिर जिनको आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं वही यही दो वर्ग हैं, हरिजन और स्त्री वर्ग, यही दो वर्ग पिछड़े हुए हैं। इनको प्रमुख का पद देने के लिये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख का स्थान जरूर इन्हें दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही सीधा सादा संशोधन है और इससे हमारे हरिजन भाइयों की इच्छाओं की पूर्ति हो जायगी। प्रमुख भले ही कोई न हो लेकिन उप-प्रमुख और कनिष्ठ, उप-प्रमुख जरूर स्त्री या हरिजन हो। मैं समझता हूं कि सदन इस संशोधन का समर्थन करेगा और इसे स्वीकार करेगा।

श्री सजीवनलाल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (१) के खण्ड" तथा "(६)" के बीच में शब्द "(२)" बढ़ा दिया जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री माता प्रसाद जी का जो खण्ड ७ में संशोधन पेश है वह देखने में तो जो क्षेत्र समिति बनेगी उसके संदर्भ में तो ठीक सा लगता है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं उनसे कहना कि जो एक डेमोक्रेटिक हमारी भावना है जिससे प्रेरित होकर हम यह बिल लाये हैं उसमें पति या मालिक इस तरह की बातें डेमोक्रेसी में हम लोग न रखें तो ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूं कि जो बिल में "प्रमुख" और "उप-प्रमुख" का शब्द है यह बड़ा प्रेसफुल शब्द है। बड़ा अच्छा लगता है और उससे ऐसा लगता है कि वह हमारा अगुवा होगा, हमारी रहनुमाई करने वाला होगा, उसका यह द्योतक है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा है।

इसके साथ ही साथ जो हमारे मित्र ब्रजनारायण तिवारी जी ने दो प्रस्ताव रखे हैं उनके लिये मेरा निवेदन यह है कि एक तो उन्होंने यह कहा है कि जो क्षेत्र के सदस्य होंगे वह अपने में से ही नहीं, बल्कि बाहर से चुने। इससे मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं। वह इसलिये कि एक तरफ तो जब विवाद होता है, हमारे तिवारी जी यह बहस करते हैं कि जितना भी हो सके हम नीचे की लीडरशिप उठायें, उनको ट्रेनिंग दें और गांवों का डेवलपमेन्ट करें, यूनिट में लोग होशियार बनें। डेमोक्रेसी को चलाने के लिये उनके कन्धे को मजबूत करें जैसा कि कल यहां पर बहस की गई कि एम० एल० ए० और एम० पी० वहां पर नहीं होना चाहिये तो मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से यह खतरा पैदा होगा कि यदि कोई एम० एल० ए० है और अगली असेम्बली के चुनाव में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सदन में वह नहीं

आ पाता है, हार जाता है और बाहर से उसको आपने रखा हुआ है, तो उसके लिये हमेशा के लिये दरवाजा खुल गया। उसके लिये कहा जायगा कि अनुभवी आदमी था, एम० एल० ए० था। वह इस बात की कोशिश करेगा कि वह क्षेत्रपति बना जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि वहां वही सिद्धान्त लागू होगा और गांव वालों को कम मौका मिलेगा, अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है। इसलिये डेमोक्रसी की खातिर, गांववालों को इस तरह से मजबूत बनाने के लिये कि कोई सभापति ट्रेनिंग पाते पाते किसी दिन काम सीखकर जिला परिषद् का सभापति बने, बल्कि वह विधान सभा का सदस्य भी हो सके, ऐसा ही चलता रहे, तो उचित है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

एक और संशोधन तिवारी जी का है जिसमें वह कहते हैं कि जो उप-प्रमुख चुना जाय वह महिला या हरिजन जरूर हो। मैं समझता हूं कि हरिजन और महिलाओं की सेवाओं के जजबात को हमको इतना सीमित नहीं रखना चाहिये। उनके लिये इतना बन्धन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। उनका रिप्रिजेन्टेशन जहां चाहे रहना चाहिये। प्रमुख या उप-प्रमुख वह हो सके तो होने दे। अगर उसमें वह चुने जाते हैं और सारा क्षेत्र उनको विश्वास देता है तो वह यह होगा कि वह प्रमुख या उप-प्रमुख बनेंगे। वह वोट से बनेंगे और पूरे सदस्यों की राय से उस आफिस को चलाने के लिये वह वहां आयेंगे। उसके लिये पूरे सदस्यों का विश्वास उनको प्राप्त होना जरूरी है। अगर प्राविजन कानून में कर देते हैं कि हमारे इस कानून की तहत में एक महिला और हरिजन अवश्य चुना जाय तो ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहिये। इस कारण मैं प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि इसको वापस ले लें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। तिवारी जी का जो प्रस्ताव है कि हरिजन और महिलाओं को बढ़ाया जाय, यह बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि जब हम नीचे के लोगों को उठाना चाहते हैं तो जब तक हम उनको कन्धा नहीं देंगे तब तक उनका उठना आसान नहीं है। जब तक वह पानी में अपने हाथ नहीं मारेंगे तो तैरना नहीं सीख सकते हैं। उनको उठाना चाहते हैं तो उनको जिम्मेदारी दें। हम जरूर चाहते हैं कि महिला और हरिजनों को प्रमुख बनाया जाय। उनको उप-प्रमुख ही नहीं, बल्कि प्रमुख बनाया जाय। उनको सब जगह रखे ताकि यह पिछड़े वर्ग आगे बढ़ें और उन्नति करें, पिछड़े हुए को बढ़ायें और महिलाओं को बढ़ावें। अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि हम स्वतन्त्रता के काबिल नहीं हैं तो स्वराज्य कैसे दिया जाय। अगर आप यह बात उनके लिये रखते हैं, तो फिर व तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि हरिजन और महिलाओं के लिये प्रमुख और उप-प्रमुख का स्थान दिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारे इस संशोधन को सदन स्वीकार न करे, जैसा कि रामेश्वर जी ने विरोध किया है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करके इस बात को माना गया है कि एक आदमी दो पद नहीं ले सकता। पंचायत राज ऐक्ट के मुताबिक एक आदमी गांव सभा का सदस्य या पंचायती अदालत का सदस्य दोनों पद नहीं ले सकता। तो इसलिये बात सीधी सी है। इससे डेमोक्रेसी बढ़ेगी ही और लोगों के अधिकार बढ़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो व्यवस्था आपने इस बिल के द्वारा की है उसमें यह है कि एक आदमी गांव सभा का प्रधान होगा और वह समिति का सदस्य होगा। उसका प्रमुख भी होगा और फिर वह जाकर जिला परिषद का मेम्बर होगा। तो एक आदमी गांव से लेकर जिले तक सीधे सीधे जाता है। मेरा संशोधन यह है कि गांव सभा का प्रधान है तो क्षेत्र समिति का सदस्य रहे और क्षेत्र समिति में जो प्रमुख या उप-प्रमुख हैं वह उन प्रधानों में से न चुने जाकर बाहरी आदमियों को उस स्थान के लिये चुना जाय और वोट देने का उनको अधिकार हो। आज के पहले जो जिला बोर्ड का संगठन होता था वह बालिग मताधिकार पर होता था और उसमें हर बालिग को खड़े होने का और चुनाव लड़ने का या वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस नये बिल के मुताबिक एक प्रतिबन्ध लगाया गया है डेमोक्रेसी पर भी और वह नियंत्रित जनतंत्र है। इसमें लोगों के अधिकारों को कम करके

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

पेश किया गया और बालिग मताधिकार के बल पर जो सदस्य हो सकते थे वे अब नहीं हो पायेंगे। यह भी संभव है कि गांव सभा के प्रधान में वह योग्यता न हो कि वह एक पूरे क्षेत्र के काम का संचालन कर सके। गांव में पार्टी पोलिटिक्स होती है, तो ऐसा हो सकता है कि वह वहां काम न सम्हाल सके और लोगों पर अपनी छाप डाल सके। तो इसलिये मेरा प्रस्ताव जनतंत्र की रक्षा करता है और उससे पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता है, अगर हम उसको मान लेते हैं तो।

मेरा दूसरा संशोधन है प्रतिबन्ध के बारे में, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र का जो प्रमुख हो उसको छोड़ कर जो उसके नायब हों वह कोई स्त्री या हरिजन हों। इसका विरोध करना तो स्वाभाविक है। अभी उन्होंने एक संशोधन पास करके ५ की जगह पर ८ कर दिया और उसी में वे लोग खुश हो गये कि उनको कुछ मिल गया। गांधी जी का कहना था कि किसान को इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिये। उसका मतलब क्या है? किसान मैं उन लोगों को नहीं मानता कि जो खेती का सभी काम अपने हाथ से नहीं करते और हरिजन और पिछड़े वर्ग के आदमी सभी खेती का काम अपने हाथ से करते है। उसको जिला बोर्ड का अध्यक्ष बनाना तो दूर रहा, एक क्षेत्र समिति जो २०, २५ हजार की जन-संख्या पर बनेगी उसका उपाध्यक्ष भी नहीं बनाना चाहते, तो कैसे यह विकास की गाड़ी चल सकेगी और कैसे आप हरिजनों की भलाई कर सकेंगे? बार-बार संरक्षण के नाम पर, उनको प्रतिनिधित्व देने के नाम पर चर्चा हुई और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने चारों तरफ से ठोकर खाने के बाद उसे मान भी लिया। उसी प्रकार महिला वर्ग भी समाज में पिछड़ा हुआ है, वह एक पिछड़ी हुई जमात है और उसे भी मौका मिलना चाहिये कि कम से कम वह इस पद पर पहुंचे कि जहां से उसे पूरे क्षेत्र के बारे में सोचने का मौका मिल सके। जब जिम्मेदारी दी जाती है तो आदमी की बुद्धि भी विकसित होती है। इसे मैं मानता हूं और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि यदि स्त्रियों और हरिजनों को इस पद के लिये सुविधा दी जाय तो वह ज्यादा भला कर सकते हैं और अपने वर्ग को वह ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पेश करता हूं।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन २९ क क क क पर अंकित है उसमें कहा गया है कि प्रमुख और उप-प्रमुख के स्थान पर क्षेत्रपति और उप-क्षेत्रपति रख दिये जायं। मैं इस प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं समझता। हम जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं वह इस तरह से करना चाहते हैं कि सारे देश में एक समानता हो। तो क्षेत्रपति और उपक्षेत्रपति का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, प्रमुख और उप-प्रमुख का तो हुआ है। दूसरे इस तरह का प्रयोग हम बन्द करना चाहते हैं कि किसी के साथ 'पति' लगाया जाय। राष्ट्रपति काफी है और प्रान्तपति और क्षेत्रपति, इस तरह के नाम हम नहीं रखना चाहते हैं।

जो ३० नम्बर पर संशोधन है उसमें यह कहा गया है कि जो हमारी क्षेत्र समितियां होंगी उनके सदस्य अपने में से ही प्रमुख और उप-प्रमुख का चुनाव करेंगे। संशोधन यह है कि शब्द "अपने में से ही" निकाल दिये जायं। इस तरह का संशोधन हम मानने को तयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो सचमुच वहां के मेम्बर हो कर आये हैं वे अपने में से ही चुनें, अब और हम मौका नहीं देना चाहते हैं उनको जो उसके मेम्बर नहीं हैं यानी कोई बाहरी प्रभाव हम नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

३१ नम्बर पर जो संशोधन है इसकी मंशा यह है कि जो हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि विधायक और एम० पी० प्रमुख या उप-प्रमुख नहीं हो सकेंगे तो इस संशोधन के जरिये वे चाहते हैं कि टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया के प्रेसीडेंट भी प्रमुख और उप-प्रमुख न हो सकें। लेकिन हमने यह किया है कि टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया के प्रेसीडेंट प्रमुख और उप-प्रमुख हो सकेंगे, मगर अगर वे चुने जाते हैं तो उनको

टाउन एरिया की चेयरमैनी या नोटिफाइड एरिया की प्रेसीडेंट शिप छोड़नी पड़ेगी। तो जब ऐसी व्यवस्था है कि दो पद एक साथ नहीं रख सकेंगे तो हम इस संशोधन को नहीं मान सकते हैं।

जो चौथा संशोधन हैं, श्रीमान् जी, सच बात तो यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो इससे मतलब उन्होंने लिया है मैं उससे ही अपने को संबंधित करना चाहता हूं। उनका मन्शा यह मालूम होती है कि जो दो उप-प्रमुख होंगे, एक ज्येष्ठ, और दूसरा कनिष्ठ, उसमें शायद वे चाहते हैं कि एक स्त्री हो और एक हरिजन। हम किसी सदस्य के लिये तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी के पद का रक्षित करना किसी तरह से उचित नहीं होगा। अगर हम सबकी यह भावना है कि हमारे अनुसूचित भाई या महिलायें उप-प्रमुख बनें तो हम कोशिश करें, केवल कानूनी जकड़ लगा देने से नहीं कर सकेंगे। यह तो हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री माताप्रसाद—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "अपने में से ही" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में 'उपधारा (१) के खण्ड' तथा '(६)' के बीच में शब्द "(२)" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रत्येक क्षेत्र समिति, का उप-प्रमुख या कनिष्ठ उप-प्रमुख दोनों में, एक हरिजन या स्त्री का चुनाव उक्त पदों के लिये अनिवार्य होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सजीवनलाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ का उप-खण्ड (२) निकाल दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इसमें कुछ शब्दों की गड़बड़ी है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें यह लिखा है कि यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (१) या खण्ड (२) में उल्लिखित कोई सदस्य प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के रूप में चुन लिया जाय, तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी वह उस पद पर न रहेगा जिसके आधार पर वह क्षेत्र समिति का सदस्य बना था, परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा ६ में है, वह पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति यथास्थिति पूर्वोक्त खन्ड (१) या खन्ड (२) के अधीन, क्षेत्र समिति का सदस्य होगा। इसमें आप देखें कि पंक्ति ४ में यह लिखा है—"परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा ६ में है, वह पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा।" इससे उनका भाव दूसरा मालूम होता है कि जो सदस्य चुने जायेंगे धारा ६ के अनुसार वे भी उसके साथ साथ सदस्य बने रहेंगे। अंग्रेजी में लिखा है "इन एडीशन टू"। यानी इसका अर्थ हुआ कि उसके साथ साथ यह भी रहेंगे। तो जो अंग्रेजी की भावना है उसी भावना को हिन्दी में भी रखने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें जो भाषान्तर हो गया है यह नहीं होना चाहिये। इसलिये यदि माननीय मंत्री जी उचित समझें तो शब्द "अतिरिक्त" के स्थान पर शब्द "साथ-साथ" रख दिये जायं। अन्यथा इसे बिलकुल निकाल दिया जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। इस धारा को पढ़ने से ही सब स्पष्ट हो जायेगा। यह धारा इस प्रकार है—"यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (१) या खण्ड (२) में उल्लिखित कोई सदस्य प्रमुख अथवा उप-प्रमुख के रूप में चुन लिया जाय, तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी वह उस पद पर न रहेगा जिसके आधार पर वह क्षेत्र समिति का सदस्य था, परन्तु उन सदस्यों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख धारा ६ में है, वह पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति यथास्थिति पूर्वोक्त खण्ड (१) या खण्ड (२) के अधीन, क्षेत्र समिति का सदस्य होगा।"

श्रीमन्, इसमें तीन बातें हैं। एक तो यह कि जो गांव का सभापति होगा वह पहले सभापति चुना जायेगा। अब क्षेत्र लेविल पर सौभाग्य से अगर वह क्षेत्र का क्षेत्रपति या वहां का प्रधान हो गया तो उसके लिये प्राविजन है और उसके अनुसार उसको सभापति के पद से इस्तीफा देना होगा। वह एक ही पद पर बना रह सकेगा। प्रधान का जो आफिस होगा वह बहुत बड़ा होगा। इसलिये इस्तीफे का प्राविजन किया गया है।

एक तो इसमें यह है जो बिलकुल वाजिब है और दूसरी बात यह है कि चूंकि वह उस क्षेत्र समिति का सदस्य होगा, अगर वह गांव पंचायत का सभापति न चुना गया होता तो वह क्षेत्र समिति का सदस्य होने का हक न मिला होता, तो चूंकि अब वहां के सभापति के अख्तियार से, उसके हक से उसका इस्तीफा हो जायगा तो क्षेत्र समिति के सदस्य होने का हक खत्म हो जाता है। तो इसमें यह प्रावीजन रखा गया है कि अगर क्षेत्र समिति की सदस्यता छिन जाय तो प्रमुख तो रहेगा ही, साथ ही सदस्य का भी अधिकार रहे जिससे वह उसमें हिस्सा ले सके।

तीसरी बात यह है कि जो सभापति का स्थान रिक्त है वहां पर वह रिक्त न रहे, वरना इसके अनुसार वह रिक्त पड़ा रहेगा तो गांव सभा द्वारा दोबारा चुनाव कराकर सभापति चुन लिया जाय और क्षेत्र समिति का सदस्य हो जाय। तो इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य पेश कर रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने जो मंशा बतायी वह यही है कि खन्ड ६ के उपखन्ड (१) के भाग (१) और (२) में एक में प्रधान है और दूसरे में है टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया के प्रेसीडेंट। अगर इन में से कोई क्षेत्र समिति का प्रमुख या उप प्रमुख चुन लिया जाय तो जिसकी वजह से, यानी प्रधान के होने की वजह से या टाउन एरिया के चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया के प्रेसीडेन्ट होने की वजह से जो क्षेत्र समिति का मेम्बर बना था वह उस पद पर न रह जायगा, यानी प्रधान प्रधान नहीं रह जायगा और उसी तरह से टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया के प्रेसीडेंट अपने घर पर नहीं रह जायंगे। अगर वह प्रमुख या उपप्रमुख चुन लिया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रमुख या उप प्रमुख है तो वह पदेन उस क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा।

यह जो हमारे साथी मोतीलाल जी ने कहा और "अतिरिक्त" शब्द पर आपत्ति की है उसके माने "इन ऐडीशन टू" ही होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह कहां किस कोष में लिखा हुआ है?

श्री जयराम वर्मा—आपके कोष में नहीं होगा, लेकिन जो शब्दकोष है उनमें यह माने हैं।

इस तरह से जो यह स्थान खाली हो जाते हैं उनकी जगह पर प्रधान, टाउन एरिया का चेयरमैन, नोटीफाइड एरिया का प्रेसीडेंट जो चुना जाता है, वह क्षेत्र समिति का मेम्बर हो जायगा, यही मंशा है। जो इसमें संशोधन किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्याक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ का उप-खण्ड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८ व ९

क्षेत्र समिति और उसके सदस्यों का कार्यकाल

८—(१) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी खंड की प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती क्षेत्र-समिति का कार्य-काल पांच वर्ष का होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर समस्त क्षेत्र समितियों अथवा किसी भी क्षेत्र समिति का कार्य-काल इस प्रकार बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्यकालों का योग एक वर्ष से अधिक न हो ।

(२) किसी खंड की प्रथम क्षेत्र समिति का कार्यकाल, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक से प्रारम्भ होगा और प्रत्येक पुनस्संघटित क्षेत्र-समिति का कार्यकाल उस दिनांक से प्रारम्भ होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे।

(३) धारा ६ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल, क्षेत्र समिति के कार्यकाल के आरम्भ से प्रारम्भ होगा और उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित सदस्य का कार्यकाल, अनुमेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस धारा में या इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल क्षेत्र समिति के कार्यकाल तक होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उस सदस्य का कार्यकाल, जो उस रिक्ति की पूर्ति करे, उस दिनांक से प्रारम्भ होगा जब वह उस रिक्ति की पूर्ति करने का अधिकारी हो जाय।

(४) (क) कोई भी व्यक्ति जो धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१), (२) तथा (५) से (७) तक में से किसी के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य हो, उस पद पर जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना हुआ था न रहने पर, सदस्य न रहेगा।

(ख) धारा १४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई व्यक्ति जो धारा ६ की उपधारा १ के खंड (३) या खंड (४) के अधीन सदस्य चुना जाय अथवा उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन सदस्य के रूप में अनुमेलित किया जाय, चुने जाने या अनुमेलित किये जाने के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा ।

प्रमुख तथा उप-प्रमुखों का कार्य-काल

९—इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायगा और क्षेत्र समिति के कार्यकाल तक रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रमुख क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् तब तक पद बना रहेगा जब तक कि पुनस्संघटित क्षेत्र समिति द्वारा उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाय; और

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि प्रमुख का पद रिक्त हो तो ज्येष्ठ, उप-प्रमुख और यदि ज्येष्ठ उप-प्रमुख का भी पद रिक्त हो तो कनिष्ठ उप-प्रमुख क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि पुनस्संघटित क्षेत्र समिति द्वारा नये प्रमुख का निर्वाचन न हो जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय।

मान्यवर, विचाराधीन धारा में यह दिया हुआ है कि—

"इस अधिनियम के उप-बन्धों के अधीन रहते हुये किसी खंड की प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती क्षेत्र–समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा"। लेकिन इसमें प्रतिबन्ध यह है——

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर समस्त क्षेत्र समितियों अथवा किसी भी क्षेत्र समिति का कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्य-कालों का योग एक वर्ष से अधिक न हो।"

मेरा संशोधन यह है कि प्रतिबन्धात्मक अंश हटा दिया जाय। इसका कारण स्पष्ट है कि जो विधेयक प्रस्तुत है, यह जब अधिनियम के रूप में प्रचलित होगा, तो प्रारम्भ में भी जो क्षेत्र-समितियां बनने जा रही हैं, उसके सम्बन्ध में सरकार इस बात का अधिकार अपने हाथ में लेने जा रही है कि अगर आवश्यकता समझे तो क्षेत्रीय समिति का कार्यकाल एक साल तक बढ़ा सकती है, मैं इसके विरुद्ध हूं। पुराना अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को सरकार ने इसी तरह से टाला। क्षेत्रीय समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन नये विधेयक के अनुसार जिला परिषदें जो बनने जा रही हैं उनकी क्षेत्र समितियां प्रथम इकाई होंगी, इसलिये अगर इकाई के लिये ही सरकार इस बात का अधिकार लेती है कि वह एक साल तक का कार्य-काल बढ़ा सके तो फिर वह जिला परिषदों के कार्य-काल को भी एक साल या उससे अधिक बढ़ाने का अधिकार हासिल करेगी। पुराने अनुभवों को देखते हुये सरकार को ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिये। जिस दिन क्षेत्रीय समिति का कार्य काल समाप्त हो उसके बाद नियम के अनुसार उसका चुनाव हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही आवश्यक है, माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा——श्रीमन, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य इस बात को खुद ही मानते हैं कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर ही कार्यकाल बढ़ावेगी। इसमें व्यवस्था यह है कि एक साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक साल तक कार्यकाल चाहे एक बार में बढ़ाया जावे या कई बार बढ़ावे, यह प्राविजन है। कभी-कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि एक कमेटी के एलेक्शन और दूसरी के एलेक्शन में संघर्ष हो जाता है तो इस प्रकार की अगर कोई बात हो जाय उसके लिये सरकार के पास यह अधिकार रहना चाहिये। यह भी हो सकता है कि उस समय असेम्बली न हो रही हो तो इस अधिकार को न रखने पर आर्डिनेन्स का प्रयोग करना पड़ेगा जोकि हम नहीं करना चाहते। इस सदन की ही पहले से स्वीकृति रहे ताकि उस समय हम उसको बढ़ा सकें। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

कुंवर श्रीपार्लसिंह (जिला जौनपुर)——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात ही निवेदन करना चाहता हूं। मन्त्री जी ने कहा कि वह एक साल का कार्यकाल एक बार में या कई बार में, बढ़ा सकते हैं, यह कई बार वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि कार्यकाल ५ साल के बाद समाप्त होता है तो फिर उसके बाद कई बार कैसे बढ़ाया जा सकता है। केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, चाहे वह एक दिन के लिये बढ़ावें, या एक साल के लिये बढ़ावें.....

श्री उपाध्यक्ष——उनका मतलब यह है, कि एक बार ६ महीने, फिर तीन महीने और फिर तीन महीने करके एक साल तक बढ़ा सकते हैं।

कुंवर श्रीपार्लसिंह——एक साल तक ही अगर बढ़ाने की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन यह कई बार वाली बात खतरनाक मालूम होती है। मैं सिर्फ कई बार वाली बात का ही विरोध करता हूं, एक बार के लिये अगर मन्त्री जी रखें तो कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह संशोधन बहुत सादा सा मालूम होता है इसलिये इसमें ज्यादा सदस्य भाग न लें, क्योंकि आगे अभी बहुत से संशोधन महत्वपूर्ण हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—उपाध्यक्ष महोदय, विशारद जी ने जो संशोधन रखा है, मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको जरूर स्वीकार कर लें, क्योंकि उनके पिछले कार्य जो हुये हैं, वह हम लोगों को खटका पैदा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को १३ साल तक घसीट लाये, वह फिर उसे करना शुरू कर दें। इस लिये यह उचित है कि उनकी इस पुरानी आदत को छुड़ाना चाहिये। वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें, अगर बाद में कभी कोई जरूरत पड़ी तो उस वक्त सदन से पास करा सकते हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मान्यवर, डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इसको स्पष्ट कर दिया है, लेकिन चूंकि कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने उसको समझने में कुछ असमर्थ रहे इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें सरकार को पावर दी जा रही है कि अगर जरूरत पड़ जाय तो इसका प्रयोग किया जाय वरना यह प्राविजन निकम्मा पड़ा रहेगा। इसमें प्राविजन यह है कि टोटल प्राविजन एक साल कार्यकाल बढ़ाने का होगा चाहे वह एक मर्तबे में बढ़ाया जाय या थोड़े-थोड़े महीने करके कई बार में बढ़ाया जाय। बस इतनी पावर मन्त्री जी को इसके द्वारा दी जा रही है। इसमें और कोई जादू का खेल नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने निवेदन की थीं उनसे मैं समझता था मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। वे कहते हैं कि इसको इसलिये रखा गया है कि कहीं आवश्यकता पड़ जाय और उन्हें आर्डिनेंस न निकालना पड़े। अगर ऐसी बात थी तो उनको कहना चाहिये था कि जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसा होगा। मैं एक मध्यम मार्ग भी बताता हूं वह यह कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़े तो विधान सभा में इसको स्वीकार करा सकती है। अगर माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करें तब तो मैं इसको मान सकता हूं वरना मेरा संशोधन मौजूद है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि या तो वे बीच का मार्ग अपना लें अथवा हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं नहीं समझता था कि इस निर्दोष खंड के ऊपर भी इतनी बहस होगी। बार-बार न बढ़े और ज्यादा न बढ़े इसलिये एक साल की बन्दिश लगा दी गई है। सरकार खूब अच्छी तरह से महसूस करती है कि विरोधी दल उसे सन्देह की दृष्टि से देखता है। लेकिन जैसे म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स सन् ६२ में होने वाले हैं, तभी हमारे इलेक्शन भी होंगे। अब गवर्नमेन्ट को दो-दो इलेक्शन्स को कन्डक्ट करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन को पोस्पोन करना ही पड़ेगा। असेम्बली इलेक्शन्स को पोस्पोन करने में तो माननीय सदयों को अधिक एतराज हो सकता है। अब म्युनिसिपल बोर्ड में जो प्रेसीडेंट्स हैं उनमें विरोधीदल के लोग भी हैं। अगर हम समय बढ़ायेंगे तो उनको भी लाभ होगा और इसलिये उनको इसमें कम सन्देह होगा। इसके अलावा अगर प्लेग या हैजा आदि फैल जाय तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रबन्ध करना नामुमकिन होगा। ऐसी स्थिति के लिये यह प्राविजन रखा गया है। इसके द्वारा गवर्नमेन्ट अपने लिये कुछ नहीं ले रही बल्कि वह सदन के लिये यह मौका दे रही है। यह एक तरीका रखा गया है कि आगे हमें समय न नष्ट करना पड़े और माननीय विरोधी दल के नेताओं को भी बिला वजह अमेन्डमेन्ट न लाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "उसी दिनांक से प्रारम्भ होगा" के पश्चात् आने वाले शब्दों के स्थान पर शब्द "जब राज्य सरकार पुनः संघटन गजट में विज्ञापित करे" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यदि आदरणीय सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो धारा (२) (१) इस प्रकार हो जायगी—

"किसी खंड की प्रथम क्षेत्र समिति का कार्यकाल, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक से प्रारम्भ होगा और प्रत्येक पुनस्संघटित क्षेत्र–समिति का कार्य-काल उस दिनांक से प्रारम्भ होगा, जब राज्य सरकार पुनःसंघटन गजट में विज्ञापित करें"।

श्रीमन्, यह केवल शाब्दिक संशोधन है। इसलिये मैं इस पर बहुत ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता।

श्री जयराम वर्मा—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति तीन में शब्द "उसी दिनांक से प्रारम्भ होगा" के पश्चात् आने वाले शब्दों के स्थान पर शब्द "जब राज्य सरकार पुनःसंघटन गजट में विज्ञापित करे।" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ और खण्ड ९ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १० तथा ११

क्षेत्र समितियों का संघटन तथा पुन-स्संघटन

१०—(१) राज्य सरकार प्रत्येक खंड के लिये प्रथम क्षेत्र समिति के संघटन का और प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती कार्यकाल की समाप्ति पर या जब इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अपेक्षित हो, उसके पुनस्संघटन का प्रबन्ध द्वारा ६ के उपबन्धों का ध्यान रखते हुये करेगी।

(२) किसी संघटक गांव सभा के प्रधान के या खंड में स्थित किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्ट के पद की या किसी खंड से जिला परिषद् के सदस्य के स्थान की रिक्ति के कारण अथवा धारा ६ की उप–धारा (१) के खंड (३) या खंड (४) के अधीन प्रतिनिधि का चुनाव न होने के कारण किसी खंड की क्षेत्र–समिति के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी।

प्रमुख, उप-प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र

११—(१) प्रमुख, उप–प्रमुख या धारा ६ के उप–धारा (१) के खंड (३) या (४) अथवा उक्त धारा की उप–धारा (२) में उल्लिखित कोई सदस्य क्षेत्र समिति को लिखित नोटिस देकर पद त्याग कर सकता है;

(२) प्रमुख का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति क्षेत्र समिति के कार्यालय में प्राप्त हो जाय और उप–प्रमुख या सदस्य का त्यागपत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब क्षेत्र समिति के कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

१२—(१) यदि धारा ६ के अधीन चुने या अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल व्यतीत होने के पूर्व, उसका स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये दूसरे सदस्य को, यथास्थिति, चुनकर या अनुमेलित करके, नियत रीति से की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यथास्थिति, महिला सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों, की संख्या पहले ही से पांच या अधिक हो तो रिक्ति की पूर्ति के लिये धारा ६ की उप–धारा (२) के खंड (२) या खंड (३) के अधीन कोई अनुमेलन न किया जायगा।

(२) यदि क्षेत्र समिति का कार्यकाल व्यतीत होने के पूर्व प्रमुख या उप–प्रमुख का स्थान मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति करने के लिये यथास्थिति प्रमुख या उप–प्रमुख का निर्वाचन नियत रीति से उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

सदस्य चुने या अनुमेलित किये जाने के लिये अनर्हता

१३—कोई व्यक्ति धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (३) तथा (४) के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य चुने जाने के लिये या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित किये जाने के लिये अनर्हित होगा, यदि

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास–दन्ड दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके छोड़े जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों; या

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; या

(ग) वह, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी—जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी हैं—के दाय से अधिकार में चलने वाले किसी लाभ—स्थान पर हो, या अवैतनिक मैजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टर अथवा अवैतनिक मुंसिफ हो; या

(घ) वह सरकार या जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर रहा हो और उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों, या

(ङ) वह, किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से निधि—व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १३ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड १३ के उप–खंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "न्यायालय द्वारा किसी" तथा शब्द "अपराध" के बीच शब्द "नैतिक" जोड़ दिया जाय।

[श्री होरीलाल यादव]

मान्यवर, अब मेरे संशोधन के बाद जो धारा बन जायगी वह इस प्रकार से होगी--

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास दन्ड दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके छोड़े जाने के समय पांच वर्ष बीत चुके हों।"

मान्यवर, अगर इसमें "नैतिक" शब्द नहीं जोड़ा जाता है तो बड़ा ही अनर्थ होगा। क्योंकि मान लीजिये कि कोई भी व्यक्ति जो कहीं अकस्मात् किसी लड़ाई-झगड़े में फंस गया और उसको दो वर्ष का कारावास हो गया तो वह ऐसी धारा के रहते हुये वह इसके किसी चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जायगा। उचित तो यही है कि जो व्यक्ति किसी नैतिक अपराध में अदालत द्वारा सजा पा चुका हो, उसी को इससे वंचित किया जाना चाहिये और नैतिक अपराधों के अलावा अगर किसी फौजदारी या दीवानी के मामले में उसे सजा हो जाती है दो वर्ष की, तो उसे चुनाव के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ के उप-खंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "न्यायालय द्वारा" तथा शब्द "अपराध" के बीच शब्द "घृणित" रख दिया जाय।

मेरे संशोधन के बाद इस धारा का रूप इस प्रकार से हो जायगा--"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी घृणित अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास-दन्ड दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके छोड़े जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों।" श्रीमन्, इस संशोधन के ले आने का एक मात्र कारण यही है कि जैसा अभी होरीलाल जी ने बतलाया अनेक प्रकार के अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सजा हो सकती है दो साल की, लेकिन वह ऐसे नहीं होंगे कि उस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर कोई लांछन हो। मेरा जहां तक खयाल है, इसको रखने का माननीय मन्त्री जी का मतलब यही रहा होगा कि वह आदमी ऐसा होना चाहिये कि क्रिमिनल मेन्टेलिटी का न हो। इसलिये उसको साफ कर दिया जाय। मामूली मार-पीट में भी सजा हो सकती है चाहे वह मार-पीट करने वाला अनैतिक न हो। तो "घृणित" शब्द रख देने से सब साफ हो जायगा।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ के उप-खंड (क) की पंक्ति दो में शब्द "द्वारा" तथा शब्द "किसी" के बीच में शब्द "राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त" रख दिये जायं। इसको मैं इसलिये रखना चाहता हूं कि इसके न होने से किसी राजनैतिक कारण से भी अगर किसी को दो साल की सजा होगी तो वह क्षेत्र-समिति में नहीं चुना जा सकता है। मान लीजिये हमारे राजनारायण जी हैं इनको अक्सर सजा हुआ करती है, राजनैतिक कारणों से, वह उसमें आना चाहें तो नहीं आ सकते हैं। इसमें शब्द "किसी अपराध" जो है इसकी परिधि बहुत बड़ी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को मान लिया जाय। मैं नहीं समझता कि इसमें माननीय मन्त्री जी को कोई एतराज होगा, क्योंकि वह बहुत पुराने राजनैतिक व्यक्ति हैं और उस जमाने में भी राजनैतिक लोगों को छोड़ा ही जाता था। मुझे आशा है माननीय मन्त्री जी इसे अवश्य मान लेंगे।

श्री प्रतापसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ के उप-खंड (क) की पंक्ति २-३ में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "६ मास" रख दिये जांय।

श्रीमन्, अगर मन्त्री जी मारेल टरपीट्यूड की बात मान लें तब तो २ वर्ष या ५ वर्ष का प्रश्न उठता ही नहीं। अगर "किसी अपराध" शब्द रखते हैं तो वह कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इससे यह होगा कि दो साल के अन्दर जो लोग भी जेल जायेंगे उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लेकिन आप का जो संशोधन है इससे तो और कड़ा हो जायगा।

***श्री भगवतीसिंह विशारद**—मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "दो वर्ष या अधिक कारावास-दण्ड" के स्थान पर अंक तथा शब्द "६ मास या अधिक का कारावास या १०० रुपये आर्थिक दण्ड" रख दिया जाय। यह प्रस्ताव मैं यह मानकर प्रस्तुत कर रहा हूं कि "नैतिक" शब्द को माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लेंगे। मान्यवर, जो इसमें प्रस्तुत धारा है, उसमें केवल कारावास का दन्ड ही दन्ड माना गया है। मेरा निवेदन है कि जो नैतिक अपराध के दोषी हैं उनको कभी कभी कारावास का दन्ड नहीं दिया जाता है, उनको केवल अर्थ दन्ड दिया जाता है। तो ऐसे लोग नैतिक अपराध करने वाले होते हुये भी आ सकेंगे। तो उनको भी वंचित किया जाय जिनको आर्थिक दन्ड हुआ हो। दो वर्ष का दन्ड जी इसमें रखा गया है उसके स्थान पर मैं चाहता हूं कि ६ मास का दन्ड अधिक से अधिक सीमा रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक खंड १३ के उपखंड (क) का सवाल था सब संशोधन पेश हो गये। अब जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—मान्यवर, मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। यह देखा गया है कि जब कभी स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में कानून बने हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अनैतिक अपराध करने वालों को किसी भी समय किसी स्थान पर जाने का मौका न मिले और इन अनैतिक अपराध करने वालों को समाज हमेशा अनुचित ही समझता रहा, इसलिये यह रखा गया है कि वह किसी रूप में प्रतिनिधि न हो सकें। लेकिन, हमने यह देखा सरकार जब ऐसा विधेयक सामने लाती है जैसा आज है उनमें इस बात का वर्गीकरण सरकार नहीं करती है। नैतिक, अनैतिक अपराधों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं करती है। एक जवाब में बताया गया कि पंचायत राज ऐक्ट में अनैतिक अपराध की परिभाषा की है। तो एक जगह कर देते हैं दूसरी जगह नहीं करते हैं। यहां उसे स्पष्ट करना चाहिये—अनैतिक अपराधों को ही जघन्य अपराध मानते हैं और उनको प्रतिनिधि नहीं बनाना है। इसमें अब एक छिपाव है। दो साल का कारावास तो बहुत से राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को अनायास हो जाता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसी भी अवधि का कारावास मिलने का सौभाग्य हमेशा होता ही रहता है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कभी भी वह हमें इस योग्य समझेगी कि हम क्षेत्र समिति में आ सकें। इसलिये अगर सरकार विरोधी दल के लोगों को आने देना चाहती है तो उसे कुंवर श्रीपाल सिंह के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। दोनों ही बातें उन्होंने रख दी हैं जघन्य अपराधों और राजनीतिक अपराधों के अर्थ करके कह दें कि इन अपराधों को करने वाला इससे अलग रखा जाय। लेकिन सरकार मानेगी नहीं। जब कारपोरेशन बिल का संशोधन आया था तब मैंने स्वयं...

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

मैं भी मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरा खयाल है अन्य विधेयकों में कुछ रूल्स की विभिन्न धाराओं में नैतिक या अनैतिक धाराओं का समावेश हुआ है। इसलिये चूंकि समय भी अब मिल गया आप इस चीज़ को ६ तारीख तक देख लें।

(इसके बाद सदन ५ बजे, मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ सितम्बर, १९६०।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

सूची

१—श्री राधा मोहन खत्री, सदस्य,	नगरपालिका	झांसी
२—श्री भगवानदास साहू, सदस्य,	"	"
३—श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, सदस्य,	"	"
४—श्री राम नरायन शर्मा, सदस्य,	"	ललितपुर
५—श्री लक्ष्मी प्रसाद, आक्ट्राय मुहर्रिर,	"	झांसी
६—श्री हीरालाल, आक्ट्राय मुहर्रिर,	"	"
७—श्री जुगल किशोर, आक्ट्राय मुहर्रिर,	"	"
८—श्री उदय नरायन, आक्ट्राय मुहर्रिर,	"	"
९—श्री बिहारी लाल, आक्ट्राय मुहर्रिर,	"	"
१०—श्री रामचरन लाल, रिफंड क्लर्क,	"	"

११—श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, पेपर मर्चेन्ट, झांसी ।

१२—श्री विशम्बर दयाल अग्रवाल, पेपर मर्चेंट, झांसी ।

१३—श्री गोपाल दास, झांसी के निवासी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

उत्तरखंड में विशेष योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों पर व्यय के हेतु प्रस्तावित ४९८·९० लाख रुपयों की धनराशि का विभागानुसार वितरण

क्रम-संख्या	विभाग	योजनायें	१९६०–६१ में लागत
१	माल विभाग ..	.. ..	३.८२
२	पुलिस विभाग ..	.. ..	१७.५३
३	सार्वजनिक निर्माण विभाग—		
	(१) आर्थिक महत्व की विचौलि या सड़कें (Link roads of Economic Importance)	.. ..	६०.००
	(२) भवन ..	.. ..	१००.००
	(३) यंत्र, मशीनें तथा प्रसाधन	.. ..	३५.००
	(४) कर्मचारी ..	.. ..	१६.००
४	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग	.. ..	३८.६७
५	खाद्य तथा रसद विभाग ..	.. ..	९७.७०
६	शिक्षा विभाग ..	.. ..	३३.७५
७	उद्योग विभाग ..	.. ..	१६.६५
८	उद्यान विकास विभाग ..	.. ..	२५.४६
९	पशु पालन विभाग ..	.. ..	८.४९
१०	प्रान्तीय रक्षक दल ..	.. ..	४२.८०
११	सूचना विभाग ..	.. ..	३.०३
		योग ..	४९८.९०

नत्थी 'ग'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

LUCKNOW :
Dated April 1, 1960.

FROM

SOME MEMBERS OF LEGISLATURE,
UTTAR PRADESH.

Respected Babu Ji,

Reg. Construction of Motor Roads in Border Area

After some study and careful consideration of the Hill roads from security point of view we have the following suggestion to make, that—

(1) The motor roads be not constructed right up to the Tibetan Border, for the enemy can also use it, so a gap, say of about five miles be left and as such building of such roads as the Kalapani-Lipulake one be amended to that extent.

(2) The provisions for money made in the budget for repairing or constructing of bridge paths be remodelled after proper survey as to convert the same as motor roads.

(3) The link motor roads (A) (B) shown in the *attached map, viz. Barichhina-Chowkoree (Berinag) be built and completed for linking Kumaon Regimental Centre, Ranikhet Gurkha Rifles Military Station, Almora, and the Railway head at Kathgodam by the shortest route, with the Tibetan Border, over an easy and strong terrain, passing through the two most backward Pattis of Athigaons of newly created district Pithoragarh where no roads exist so far. It will also connect the inhabitants of these two Pattis (about 20,000) with their newly formed Tahsil and District Headquarters at Didihat and Pithoragarh.

(4) The road constructions be done departmentally. Labour corps be recruited and peoples co-ordinating committee at Zonal, District and individual work levels be constituted to ensure that the work progresses smoothly and efficiently.

(5) Suspension bridges be also constructed over river Saryu at places Sirsoli (Patti Walla Athigaon), (2) Kalbe Farsola (Patti Palla Athigaon) and (3) Ara Salpar.

We, however, welcome the recent move of the Government in appointing a full-fledged Superintending Engineer for each new district for accelerating the road construction programme. In this connection we request you to please appoint the best and trusted staff on whom full powers can be conferred and full responsibility assigned. The present P.W.D. staff stationed there needs transfer.

Last but not the least time factor is of great importance for road construction and a single day's delay at times proves fatal in such cases where an aggresive enemy is sitting across the border with full military equipment. For early construction of roads the Sappers and Miners Wing of Territorial Army which is perhaps been made permanent and is stationed at Almora can be used with advantage.

---

*छापा नहीं गया ।

Hope you will please do the needful.

Thanking you.

Yours sincerely,

1. (Sd.) Dr. Jai Gopal, M.L.A., Saharanpur (Congress).
2. (Sd.) Ganga Prasad, M. L. A., Gonda (C).
3. (Sd.) Ganesh Prasad Pandey, M.L.A.
4. (Sd.) Surya Bali Pandey, M.L.A., Deoria.
5. (Sd.) Vashishtha Narain Sharma, M.L.A., Ghazipur (Congress).
6. (Sd.) Kalyan Rai, M.L.A., Rampur (C).
7. (Sd.) Mathura Prasad, M.L.A., Basti (C).
8. (Sd.) Har Dayal Singh, M.L.A., Shahjahanpur.
9. (Sd.) Duryodhan Prasad, M.L.A., Gorakhpur (Socialist Unity Party)
10. (Sd.) Kesho Pande, M.L.A.., Socialist Unity Party. Gorakhpur (Congress).
11. (Sd.) Bhajan Lal, M.L.A., Etawah (Soc.)
12. (Sd.) Mohd. Sulaiman Adhami, M.L.A., Basti (Congress).
13. (Sd.)Garib Das Chaudhary. M.L.A, Basti (P.S.P.).
14. (Sd.) Rukunuddin, M.L.A. (Congress).
15. (Sd.) Behari Lal, M.L.A., Pilibhit, P.S.P.
16. (Sd.) Gopali, M.L.A.
17. (Sd.) Dwarka Prasad Doharey, M.L.A.,Farrukhabad (Communist)
18. (Sd.) Brij Narain Tewari, M.L.A., Deoria (P.S.P.).
19. (Sd.) Dashrath Prasad, M.L.A., Gonda (J.S.)
20. (Sd.) Avadhesh Pratap Singh, M.L.A., Fyzabad (I.P.C.P.).
21. (Sd.) Jagdish Saran Agarwal, M.L.A., Bareilly (Congress).
22. (Sd.) Aziz Imam, M.L.A. (Con.).

To—Dr. Sampurnanand, Chief Minister, Uttar Pradesh, Lucknow.

Copy to—

Sri Ch. Girdhari Lal, Minister for Public Works Department, Uttar Pradesh, Lucknow.

2. Sri R. S. Das, I.A.S., P.W.D. Secretary.

3. Sri D. D. Agarwal, Under Secretary, P.W.D.

4. Sri Jagdish Prasad, Chief Engineer, P.W.D.

For information and necessary action.

Lucknow :
Dated april 1, 1960

23. (Sd.) B. B. S harma. M.L.A. (J.S.).
24. (Sd.) J. P. Tewari, M.L.A. (J.S.).
25. (Sd.) Mannalal, M.L.A. (J.S.).
26. (Sd.) Jagdish N. D. Singh, M.L.A. (J.S.).
27. (Sd.) Shiva Ram, M.L.A., Bijnor (J.S.).
28. (Sd.) Gayanbaksha Singh, M.L.A. (J.S.).
29. (Sd.) Mukut Behari Lal, M.L.A., (J.S.).
30 (Sd.) Malikhan Singh, M.L.A., (J.S.).
31. (Sd.) Pratap Singh, M.L.A.(P.S.P.).
32. (Sd.) G.N. Tewari, M.L.A.(P.S.P.).
33. (Sd.) Pratap Chandra Azad, M.L.C. (Congress).
34. (Sd.) Amar Nath Misra, M.L.A. (Soc., U. P.).
35. (Sd.) Mukti Nath Rai, M.L.A. (Congress).

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

तालिका

दिनांक ५-८-६० को मऊ-आजमगढ़ के मुहल्ला कियारी टोले में नगरपालिका की एक नाली बनाई जा रही थी जिसका विरोध श्री मुहम्मद याकूब द्वारा किया जा रहा था। अतः उक्त मुहल्ले में शांति कायम रखने के लिये थानेदार मऊ ने चार कांस्टेबुल (जिनमें दो सशस्त्र थे) व एक हेड कांस्टेबुल को उक्त मुहल्ले में भेजा जहां एक कांस्टेबुल की गल्ती से अकस्मात गोली चल जाने के फलस्वरूप एक व्यक्ति श्री अब्दुल रहीम के चोट आई। सम्बन्धित कांस्टेबुल को मुअत्तल कर दिया गया है और मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची नगरपालिका जहां बालकों के हेतु अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना लागू है तथा जिन पालिकाओं में बालिकाओं के निमित्त हैं उनके सम्मुख अंकित है।

क्रम-संख्या	नाम नगरपालिका		क्रम-संख्या	नाम नगरपालिका	
१	देहरादून		३६	नगीना	
२	मसूरी		३७	नजीबाबाद	
३	सहारनपुर		३८	बदायूं	
४	हरद्वार	बालिका	३९	उझानी	
५	देवबन्द		४०	सहसवान	
६	रुड़की		४१	मुरादाबाद	
७	मुजफ्फरनगर		४२	चन्दौसी	
८	कैराना		४३	अमरोहा	
९	शामली		४४	संभल	
१०	मेरठ		४५	हसनपुर	
११	गाजियाबाद		४६	शाहजहांपुर	
१२	हापुड़		४७	तिलहर	
१३	बढ़ौत		४८	पीलीभीत	
१४	पिलखुवा		४९	बीसलपुर	
१५	बुलन्दशहर		५०	फर्रुखाबाद	
१६	खुर्जा		५१	कन्नौज	
१७	सिकन्दराबाद		५२	कायमगंज	
१८	अलीगढ़	बालिका	५३	इटावा	
१९	हाथरस		५४	कानपुर	
२०	अतरौली		५५	फतेहपुर	बालिका
२१	सिकन्दरा राव		५६	इलाहाबाद	
२२	मथुरा	बालिका	५७	झांसी	बालिका
२३	वृन्दाबन	बालिका	५८	मऊरानीपुर	
२४	आगरा		५९	ललितपुर	
२५	फिरोजाबाद		६०	जालौन	
२६	मनपुरी		६१	उरई	
२७	एटा		६२	कालपी	
२८	सोरों		६३	कोंच	
२९	कासगंज		६४	बांदा	
३०	जलेसर		६५	बाराणसी	
३१	बरेली		६६	मिर्जापुर	बालिका
३२	आंवला		६७	जौनपुर	
३३	बिजनौर		६८	गाजीपुर	
३४	चांदपुर	बालिका	६९	बलिया	
३५	धामपुर		७०	गोरखपुर	

क्रम-संख्या	नाम नगरपालिका	
७१	आजमगढ़	
७२	मऊनाथ भंजन	
७३	बस्ती	
७४	नैनीताल	
७५	काशीपुर	
७६	हलद्वानी	
७७	अल्मोड़ा	
७८	लखनऊ	बालिका
७९	उन्नाव	
८०	रायबरेली	
८१	सीतापुर	
८२	खैराबाद	
८३	हरदोई	
८४	शाहाबाद	
८५	सण्डीला	
८६	पिहानी	
८७	लखीमपुर खीरी	
८८	फैजाबाद	
८९	टांडा	बालिका
९०	गोंडा	
९१	बलरामपुर	
९२	बहराइच	
९३	सुल्तानपुर	
९४	प्रतापगढ़	
९५	बाराबंकी	

हिंदी भवन

नत्थी 'च'

(देखिय तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय के तारांकित प्रश्न संख्या २६-२७ से संबंधित घटना का विवरण

दिनांक २६-७-६० को ग्राम टेकमलपुर, थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के श्री सिधारी नामक व्यक्ति ने अपने दो पुत्रों को गंडासे से निर्मम हत्या कर डाली। हत्या के पश्चात् उसे घटनास्थल पर ही ग्रामीणों द्वारा गंडासे के साथ पकड़ लिया गया, और थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम में ही बन्दी बनाया गया।

२—श्री सिधारी को चकबन्दी में गांव में सर्वोत्तम स्थानों पर चक दिये गये थे। चकों में दी गई भूमि उसकी पुरानी भूमि की अपेक्षा अच्छी ही है अतः यह कहना गलत है कि उसने हत्या चकबन्दी के कारण की। हत्यारा एक कर्महीन व्यक्ति है और अपनी पत्नी के पारिश्रमिक पर निर्भर था। हत्यारे की पत्नी द्वारा थाने में लिखाई गई एफ० आई० आर० से प्रकट है कि उनका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। हत्यारे ने थानाध्यक्ष के समक्ष अपने बयान में अपने छोटे बच्चे की जन्म-संदिग्ध की ओर भी इशारा किया है। सम्भवतः उसने इसी कारण बच्चों की हत्या कर दी।

३—इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय के विचाराधीन है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

तालिका

नाम थाना	सन् १९५९ में हुई डकैती और कत्ल की संख्या		१९६० जुलाई तक हुई डकैती और कत्ल की संख्या	
	डकैती	कत्ल	डकैती	कत्ल
१—ठठिया ..	१	४	२	२
२—सौरिख ..	४	१	—	१
३—गुरसहायगंज ..	१	—	२	२
४—छिबरामऊ ..	३	३	—	१
५—कन्नौज ..	७	५	२	—
६—नवाबगंज ..	३	४	२	—
७—शमसाबाद ..	३	१	१	२
८—राजेपुर ..	२	३	—	१
९—कायमगंज ..	३	७	—	४
१०—कम्पिल ..	१	२	१	१
११—मोहम्मदाबाद ..	५	—	१	१
१२—फतेहगढ़ ..	—	१	—	१
१३—फर्रुखाबाद ..	—	३	—	२
१४—इन्दरगढ़ ..	—	२	—	३
१५—कमालगंज	—	५	—	४
कुल जोड़ ..	३३	४१	११	२५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५९ एल० ए०—१९६०—८४५ ।